Thursday, 02 December, 1954

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक सभा

गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मलेरिया नियंत्रण यूनिट

*६२३. **श्री एस० एन० दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर बिहार में मलेरिया नियंत्रण यूनिटों का कार्यक्रम क्या है और वे कब तक इन क्षेत्रों को मलेरिया से सुरक्षित बना लेने की आशा करते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : कार्यक्रम में ये सब बातें सम्मिलित हैं कि इन क्षेत्रों के लोगों को मलेरिया-नाशक दवाइयां बांटी जायें और उन के घरों और पशुशालाओं में साल में दो बार डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाय। यह बताना संभव नहीं है कि कब तक ये क्षेत्र मलेरिया से सुरक्षित हो जायेंगे।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक उत्तर बिहार में कितने मलेरिया नियंत्रण यूनिट भेजे जा चुके हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : प्रथम योजना में सात यूनिट बिहार को भेजे गये थे बाद में सात यूनिट और भेजे गये इस के अतिरिक्त बाढ़ के बाद बिहार के लोगों ने चार यूनिट की और मांग की जिस में से तीन यूनिट उन को फिर भेज दिये गये हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बता सकने की अवस्था में हैं कि बिहार को भेजे गये मलेरिया नियंत्रण यूनिटों में से कितने यूनिट उत्तर बिहार में काम कर रहे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : दस मलेरिया नियंत्रण यूनिटों में से, तीन मलेरिया नियंत्रण यूनिट मुजफ्फरपुर सहसरा और पूर्निया में काम कर रहे हैं। वे मार्च १९५३ से काम कर रहे हैं। सात मलेरिया नियंत्रण यूनिट सीता-मढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, फोरबेस गंज, कटिहार और मोतीहारी में काम कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : इन यूनिटों ने, अब तक कितनी जनसंख्या के क्षेत्रों में काम किया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : प्रत्येक मले-रिया नियंत्रण यूनिट के अधीन चार सब-यूनिट होते हैं और प्रत्येक सब-यूनिट ढाई लाख जन संख्या की सेवा करता है। मार्च, १९५३ से उत्तर बिहार में काम करने वाले मलेरिया नियंत्रण यूनिटों ने ३० जून, १९५४ को समाप्त होने वाली तिमाही में

७,५६,५७२ घरों और पशुशालाओं में छिड़काव किया है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि छोटा नागपुर में कितने यूनिट काम कर रहे हैं जब कि वहां मलेरिया सब से अधिक फैलता है ।

राजकुमारी अमृतकौर: मेरे पास जो जानकारी थी वह मैं ने बता दी है । अब मैं कुछ नहीं बता सकती ।

पाकिस्तान के चावल के बदले भारतीय माल का विनिमय

*६२४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पाकिस्तान के चावल के बदले उपभोग की वस्तुयें देने के लिये राजी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो किन उपयोग की वस्तुओं का विनिमय किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) . नहीं, श्रीमान् ।

रेलवे कर्मचारी

*६२५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ७६० कर्मचारियों, जिन्हों ने प्रारम्भ में पाकिस्तान जाने के पक्ष में राय दी थी किन्तु बाद में जो भारत लौट आये थे, में से कितने कर्मचारियों को १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक फिर से नौकरियों पर लगा दिया गया है;

(ख) अभी कितने मामले रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं; और

(ग) उक्त अवधि में कितने मामलों में उन व्यक्तियों को फिर से नौकरी पर लगाने से इन्कार कर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). पूछी गई अवधि में १५ कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर लगा दिया गया है । २८ अन्य व्यक्तियों के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । दो व्यक्तियों को फिर से नौकरी पर लगाने की प्रार्थनायें अस्वीकृत कर दी गयी हैं । शेष मामले विचाराधीन हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है क्योंकि गत आयव्ययक सत्र में बताया गया था कि कुल ७६० मामले हैं ?

श्री अलगेशन: विचाराधीन मामलों की ठीक संख्या ७७१ है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: इस बात को ध्यान में रख कर कि इन कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है क्या सरकार इन मामलों को निपटाने में शीघ्रता करेगी ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् हमारा ऐसा विचार है । हम ने सभी रेलों से अग्रेतर ब्यौरे मांगे हैं । सम्पूर्ण उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । ज्योंही उत्तर प्राप्त होंगे हम अन्तिम निश्चिय करेंगें ।

संचार साधनों का अस्तव्यस्त होना

*६२६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री उत्तर प्रदेश आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर में हाल की बाढ़ों के कारण अस्तव्यस्त हुए तार, टेलीफोन और डाक संचार वाले क्षेत्रों और प्रत्येक स्थान पर संचार रुके रहने के समय का

एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि :

(क) संचार को शीघ्रता से पुनः जारी करने के लिये डाक विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई थीं; और

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय प्राधिकारियों को अतिरिक्त व्यय पर विशेष प्रबन्ध करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस० ४६४/५४]**

(ख) जी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ने लम्बा विवरण पढ़ लिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि डाक, तार और टेलीफोन संचार को अस्तव्यस्त होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री जगजीवन राम : यह तब तक हमारे सामर्थ्य से परे है जब तक कि विज्ञान इतनी उन्नति न करले कि हम प्राकृति के सभी तत्वों पर नियंत्रण कर सकें ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में डाक विभाग ने हमारी सेना के वायु सेना विभाग की सेवाओं का उपयोग किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इन मामलों में भारतीय वायु सेना से वायुयानों का प्रयोग किया गया था ?

श्री जगजीवन राम : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि उन का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया था ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि पारसलों को नैपाल से वायुयान द्वारा लाया गया और माननीय मंत्री कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ ।

श्री जगजीवन राम : यह बात मैं ने सेवा के सम्बन्ध में कही थी; उन्हों ने इस बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा था ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा मतलब भारतीय वायुयान सेवाओं से था ।

श्री जगजीवन राम : मैं न वायु सेना समझा था । जहां आवश्यकता पड़ी, वहां हम ने वायुयान सेवा का उपयोग किया । जिन स्थानों पर बाढ़ अधिक समय तक रही है और जहां हवाई अड्डे हैं, वहां हम वायुयान सेवा का उपयोग करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से मुझे पता चलता है कि कुछ प्रबन्ध तदर्थ प्रकार के थे । क्या मैं जान सकता हूं कि उन को कब स्थायी आधार पर कर दिया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : यह बताना बहुत कठिन है , पर समय समय पर हम परीक्षण करते हैं कि कहां कहां पर वायुयान द्वारा डाक के लाने ले जाने का काम लाभ के साथ हो सकता है और हम तदनुसार करते भी हैं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य संग्रहालय

*६२७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) एक केन्द्रीय स्वास्थ्य संग्रहालय स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) स्वास्थ्य शिक्षा की वृद्धि के लिये सरकार ने किन उपायों को अपनाया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) भारत सरकार ने नई दिल्ली में

एक केन्द्रीय स्वास्थ्य संग्रहालय स्थापित करने का निश्चय कर लिया है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का एक अभिन्न अंग होगा ।

(ख) स्वास्थ्य शिक्षा की वृद्धि के लिये सरकार ने निम्न उपायों को अपनाया है ;

(१) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में परचों और पोस्टरों का प्रकाशन ।

(२) स्वास्थ्य सम्बन्धी चित्रों का निर्माण ।

(३) स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा रेडियो वार्ता ।

(४) दिन के समय सिनेमा दिखाने वाली गाड़ियों द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन ।

(५) स्वास्थ्य शिक्षा कार्य में रुचि रखने वाली संस्थाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय में स्थापित पुस्तकालय से विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी फिल्में उधार देना ।

(६) साधारण पत्रों में स्वास्थ्य और पौष्टिकता सम्बन्धी लेख भंजना ।

(७) स्वास्थ्य प्रदर्शिनियों में भाग लेना ।

(८) फिल्मों की पट्टियां तैयार करना ।

(९) स्वास्थ्य साहित्य का एक पुस्तकालय स्थापित करना ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस मद के अधीन आवर्तक और अनावर्तक कुछ व्यय क्या होगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे आशंका है कि मैं इस समय बिना देखे व्यय का ठीक आंकड़ा नहीं बता सकूंगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रख कर कि स्कूल जाने वाले बच्चों का ही एक ऐसा वर्ग है जिस में स्वास्थ्य शिक्षा का काम सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, क्या सरकार के पास भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की सम्पूर्ण जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य शिक्षा कार्य को ठीक तरह चलाने के लिये कोई संगठित योजना है ?

राजकुमारी अमृतकौर : वास्तव में, स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य शिक्षा मंत्रालय के अधीन है पर यथा संभव हम सहयोग करते हैं और मैं अन्य लोगों के बीच काम करने के साथ साथ बच्चों के बीच भी काम करना पसन्द करूंगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वास्थ्य साहित्य के छपाने में जो धन राशि व्यय की गई है उस में से कितनी राशि हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रचारित और प्रकाशित साहित्य पर व्यय हुई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं व्यय की गई वास्तविक धन राशि नहीं बता सकती । यह एक बड़ी लम्बी सूची है और यदि माननीय मंत्री रुचि रखते हैं तो मैं उस की एक प्रतिलिपि उन्हें दे सकती हूं ।

जम्मू तथा काश्मीर को चावल का सम्भरण

*६३२. **डा० लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९५४ के बाद जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये आवंटित चावल की मात्रा क्या है ?

(ख) क्या यह आवंटन आयात किये गये चावल में से किया गया है; और

(ग) राज्य सरकार से प्रति मन किस दर से मूल्य लिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) : अगस्त १९५४ के बाद पंजाब से ७,००० टन बेगमी चावल और मध्य प्रदेश से ७,३०० टन नम्बर १ मोटा चावल जम्मू और काश्मीर को दिया गया है ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार को चावल इसलिये भेजा जा रहा है कि वह उसे काश्मीर घाटी में साढ़े सात रुपया प्रति मन और जम्मू में साढ़े बारह रुपया प्रति मन बेच सके ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या सरकार को विदित है कि काश्मीर घाटी में जिस चावल का संभरण किया गया है उसकी किस्म की शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया इनका पता लगायेगी और इस विषय पर एक वक्तव्य निकालेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास ऐसी लम्बी चौड़ी कोई शिकायत नहीं आई है पर समाचार पत्रों में इस का कुछ जिक्र था और हम इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे । हम पता लगायेंगे और देखेंगे कि क्या उनको खराब किस्म का चावल भेजा गया था ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और इस निश्चय पर पहुंची है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हाल में हमें ऐसी कोई सरकारी शिकायत नहीं मिली है । हम लोग यथासंभव अच्छे से अच्छा चावल पंजाब से काश्मीर को भेज रहे हैं । पर हम ने समाचार पत्रों में इस प्रकार की शिकायतों के कुछ समाचार पढ़े हैं, अतः हम इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे ।

टेलीफोन तथा तार की लाइनें

*६३५. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन तथा तार की लाइनों में किस धातु के तार लगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि संसार के बहुत से देशों में इस प्रयोजन के लिये अल्यूमिनियम धातु के तारों का उपयोग होता है जब कि भारत में ऐसा नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस देश में टेलीफोन तथा तार की लाइनों के ऊपर लोहे, तांबे, तथा कांसे के तारों का उपयोग किया जाता है ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि फ्रांस, इटली तथा स्वीटज़रलैंड, इत्यादि कुछ देशों में सीमित अंशों तक अल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है ।

(ग) अल्यूमिनियम के संचार तारों का उपयोग करने के प्रश्न पर डाक तथा तार विभाग में परीक्षा की जा रही है ।

श्री बी० एन० मिश्र : इस परीक्षण में कितना समय लगेगा ?

श्री जगजीवन राम : समय बताना बहुत कठिन है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस से मूल्यों में क्या अन्तर पड़ता है ?

श्री जगजीवन राम : मूल्यों के अन्तर का प्रश्न तभी उठ सकता है जब कि परीक्षण के पश्चात् हमें यह पता लग कि हमें अल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करना है

भारतीय जहाजरानी

*६३७. **सेठ गोविन्द दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ में तटवर्ती यात्रा और जहाजों द्वारा माल ले जाने से कुल कितनी आय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्ष १९५३–५४ में भारतीय जहाजरानी समवायों के तटवर्ती व्यापार में भाड़ा तथा यात्रियों की कुल आय लगभग ११.९३ करोड़ रुपये थी ।

सेठ गोविन्द दास : इसके पहिले साल इस मद में जितनी वसूली हुई थी, उस से इस वर्ष अधिक हुई या कम हुई ?

श्री अलगेशन: पिछले साल अधिक हुई । क्षमा कीजिये १९५२–५३ में इस से कुछ अधिक—१२ १३ करोड़ रुपये— की वसूली हुई ।

सेठ गोविन्द दास: इस साल मैं मंत्री जी के कहने से शायद यह समझा कि गये साल से अधिक हुई थी ।

श्री अलगेशन: मैंने कहा कि यह गलत है । वर्ष १९५२–५३ में भाड़े तथा यात्रियों से कुल वसूली १२.१३ करोड़ रुपये हुई और यह ११.९३ करोड़ रुपया है जो कि इस से जरा कम है ।

सेठ गोविन्द दास: अधिक है थी या कम हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : इस साल कुछ कम ईहु ।

सेठ गोविन्द दास: तो इस साल जो कम हुई उस का क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : भाड़ा कम हो सकता था।

सेठ गोविन्द दास : इस के पहिले भी क्या यह इसी प्रकार घटती-बढ़ती थी या इन्हीं दो वर्षों में ऐसा हुआ है ?

श्री अलगेशन : यह निरन्तर बढ़ रही है । वर्ष १९४७–४८ में इस राशि का आंकड़ा ६.२३ करोड़ था तत्पश्चात् यह ७.२२ करोड़, ८.०५ करोड़, ९.१९ करोड़ रुपये, १०.४५ करोड़ रुपये, १२.१३ करोड़ रुपये तथा ११.९३ करोड़ रुपये रहा । आप देखेंगे कि यह बढ़ोत्तरी बहुत ही कम है ।

पशु तथा दुग्ध-शाला, करनाल

*६३८. **श्री झूलन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु तथा दुग्ध-शाला करनाल में दुधारू पशुओं के पालन-पोषण का कोई हिसाब रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो दुधारू पशुओं पर कितना व्यय होता है, और दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों एवं पशुओं से कितनी आय होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). दुधारू पशुओं के पालन-पोषण का कोई पृथक् हिसाब नहीं रखा जाता । एक विवरण जिसमें (क) करनाल के पशुओं का श्रेणीविभाग (ख) समस्त पशुओं पर होने वाला व्यय, तथा (ग) फार्म (शाला) की समस्त आय दिखाई गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३४]

श्री झूलन सिंह: क्या फार्म में होने वाली आवर्तक हानि को ध्यान में रख कर सरकार ने इसके उपचार के कारणों का पता लगाने अथवा इसे बन्द करने का विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: विवरण से ज्ञात होगा कि हानि निरन्तर कम हो रही है ।

किसी समय हमारा यह विचार था कि कभी कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकेगा और मैं आशा करता हूं कि चालू वर्ष के दौरान ही यह स्थिति हो जायेगी । हानि के कारण ये हैं कि हम उन पशुओं की वंशानुक्रम बनाये रखना चाहते हैं जिन्हें हम पाकिस्तान में खो चुके हैं । चुनांचि यह एक खर्चीला कार्य है ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार की जांच से यह भी प्रगट हुआ है कि पशुओं को अधपेट भोजन मिलता है तथा वहां उन की नस्ल में सुधार करने के साधनों की भी कमी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से वहां पशुओं को आधा पेट भोजन नहीं दिया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात भूमि की कमी से सम्बद्ध है ।

डा० पी० एस० देशमुख : भूमि पर्याप्त है ।

डा० सुरेश चन्द्र : जब कि यह फार्म लगभग १०० वर्षों से चल रहा है, तो सरकार ने कई वर्षों तक निरन्तर होने वाली हानि की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्हों ने हानि पर ध्यान दिया और अभी हाल में ही उन्हों ने स्थिति का सुधार किया है । बहुत सी गवेषणा परियोजनाओं तथा योजनाओं में लाभ की आशा करना बहुत कठिन होता है ।

श्री सारंगधर दास उठे —

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे । इस पर अधिक प्रश्न पूछना समय का अपव्यय करना है ।

श्री सारंगधर दास : जब आप ने मेरा प्रश्न ही नहीं सुना तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे प्रश्न से केवल समय का अपव्यय होगा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

राजस्थान में कुष्ट केन्द्र

*६४०. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस सूचना को ध्यान में रख कर कि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में कोढ़ी हैं, क्या वहां कोई कुष्ट केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या कुष्ट के लिये किसी प्रभावशाली औषधि की खोज हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) ऐसा समझा जाता है कि राजस्थान में एक कुष्ट केन्द्र खोलने का प्रस्ताव वहां की राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हाल की गवेषणाओं तथा चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि सलफोन वर्ग की औषधियां कुष्ट चिकित्सा के लिये प्रभावकारी प्रमाणित हुई हैं ।

श्री कर्णी सिंहजी : राजस्थान में अनुमानतः कोढ़ियों की संख्या कितनी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे इस बात की शंका है कि मैं कदाचित यह सूचना नहीं दे सकूंगी ।

भारतीय दुग्ध-पदार्थ गवेषणा संस्था, बंगलौर

*६४१. **श्री तिम्मय्या :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर निगम ने भारतीय दुग्ध पदार्थ गवेषणा संस्था के उपयोग के लिये पट्टे पर भूमि देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि दी गई है; और

(ख) क्या सरकार ने इसे लेना स्वीकार कर लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री बासप्पा : क्या इस संस्था को बढ़ाने की कोई योजना है, तथा क्या मैसूर सरकार इस दुग्ध संस्था के लिये भूमि प्राप्त करने के हित स्वयं आगे बढ़ी है जिस से कि इसे रखा जा सके और हस्तांतरित न किया जा सके क्योंकि उस से बहुतों को असुविधा होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : दुग्ध गवेषणा संस्था को बंगलौर में ही बनाये रखने के हमारे सभी प्रयत्न विफल हो रहे दीखते हैं; और इसीलिये हमें स्थानान्तरण के लिये कदाचित विवश होना पड़े ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि बंगलौर निगम दुग्ध गवेषणा संस्था को पट्टे पर भूमि दे रही है किन्तु सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे चाहते हैं कि हम उन्हें पट्टे की कीमत के रूप में २५००० रुपये दें । इस के अलावा हम १,००० एकड़ अधिक भूमि चाहते हैं जो उपलब्ध नहीं है तथा जिस के लिये हम से बहुत अधिक मूल्य मांगा जा रहा है ।

श्री बासप्पा : पहिले बहुत सी भूमि उपलब्ध थी जो सेना को दी गई थी । क्या सेना के कब्जे से इस भूमि को ले कर इसे दुग्ध संस्था को देना सम्भव है ।

डा० पी० एस० देशमुख : रक्षा मंत्रालय ने हमें यह भूमि लौटाना अस्वीकार कर दिया है ।

मीन-क्षेत्रों का विकास

*६४४ **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछलियों की वार्षिक खपत क्या है;

(ख) क्या मछलियों की वार्षिक खपत देश में ही प्राप्त हो जाती है; और

(ग) मीन क्षेत्रों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितना व्यय किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]

(ख) लगभग सभी ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विवरण अभी तक विचाराधीन है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पंचवर्षीय योजना के अधीन कुल कितना धन दिया गया है, तथा उस धन में से अब तक कितना व्यय किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मैं पूर्व सूचना देने को कहूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है; तथा मछली की ऊंची पौष्टिकता के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर सरकार मछली के उत्पादन में वृद्धि करने की क्या योजना बना रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पंच वर्षीय योजना में इस सारे मामले को लिया गया है । यह सम्भव है कि कदाचित दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान दिया जाय ।

हमें मछली की पौष्टिकता ज्ञात है तथा हम उस की प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मीन पालन उद्योग के विकास के लिये तटीय क्षेत्रों से देश के आन्तरिक भागों तक परिवहन के महत्व को ध्यान में रख कर क्या सरकार ने उचित संख्या में रिफ्रिजरेटर गाड़ियों का उपबन्ध किया है जिस से कि तटीय क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों का देश के आन्तरिक भागों में परिवहन हो सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस सम्बन्ध में बहुत पहिले से आन्दोलन कर रहे हैं तथा ज्ञात होता है कि हमारे प्रयत्न शीघ्र ही सफल होंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : तटीय क्षेत्रों के किन भागों में गहरे पानी में मछली पकड़ने का विकास हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सारा विवरण नहीं दे सकता । स्वाभाविक रूप से इस का विकास बम्बई पश्चिमी बंगाल, मद्रास तथा त्रावनकोर कोचीन के निकट हुआ है ।

चीनी का उत्पादन

*६४६. **श्री केशवैयंगार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में मेवाड़ के जिले में चीनी के उत्पादन पर एक विशेष फर्म को मान्यता प्राप्त एकाधिपत्य दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस एकाधिपत्य की अनुमति कब दी गई थी;

(ग) उस फर्म का नाम जिस को यह एकाधिपत्य प्राप्त है; तथा

(घ) किन शर्तों पर यह एकाधिपत्य स्वीकार किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

श्री केशवैयंगार : क्या इस एकाधिपत्य के जारी रहने से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन तो नहीं होता ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, इसीलिये वे जारी नहीं रखे जाते हैं ।

श्री केशवैयंगार : क्या इस क्षेत्र में दूसरे कारखाने प्रारम्भ करने के लिये आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं तथा क्या सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वहां गन्ना उपलब्ध नहीं है । आवेदन-पत्र प्राप्त होने की संभावना नहीं है, किन्तु मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

रेलगाड़ी के नये डिब्बे

*६४७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स जेसप एंड कम्पनी ने रेल के जो नये डिब्बे भेजे थे उन में से कितने डिब्बे जो काम में आने के योग्य नहीं थे मरम्मत के लिये कारखाने भेजे गये;

(ख) उन में मुख्य कमियां क्या थीं; और

(ग) कम्पनी तथा उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्हों ने उन डिब्बों का संभरण लिया था, क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). मेसर्स जेसप एंड कम्पनी ने छोटी लाइन के अंडर फ्रेम सहित डिब्बों के जो ढ़ांचे भेजे हैं वे रेलवे के विशिष्ट विवरण के अनुसार हैं और उन में कोई कमी नहीं है । रेलवे

कारखानों में उन ढांचों के आधार पर काम हो रहा है और काम के दौरान यह पता चला है कि थोड़ा सा अति रिक्त बोझा रखने के लिये उनकी स्प्रिंगों को मजबूत करनेकी आवश्यकता है। यह कार्य शुरू कर दिया गया है और बहुत से डिब्बे सेवा योग्य हो गये हैं, और उन से सेवा ली जा रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कुछ डिब्बों का, जिन से काम लेना शुरू किया ही गया था गोरखपुर के रेलवे कारखाने में भेजा गया ?

श्री शाहनवाज़ खां : नहीं, श्रीमान्। इस का हमें कोई ज्ञान नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : क्या अब भी बहुत से डिब्बे मरम्मत के लिये कारखानों में पड़े हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : वे सभी डिब्बे जो जेसप एण्ड कम्पनी से रेलों को भेजे जाते हैं ठीक होने के लिये हमेशा पहले कारखाने भेजे जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद उन्हें काम में लाने के लिये बाहर भेजा जाता है।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा कहना तो यह था कि जब काम में लाने के लिये उन्हें रेलों को भेजा गया तो वे टूट फूट गये और मरम्मत के लिये उन्हें फिर से कारखाने भेजा गया।

श्री शाहनवाज़ खां : इस प्रकार की किसी बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है।

डाक तथा तार विभाग का योजना उपविभाग

*६४८. **श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ सितम्बर, १९५४ को नई दिल्ली में जो पोस्ट मास्टर जनरल सम्मेलन हुआ था उस में यह प्रस्ताव किया गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में डाक तथा तार सम्बन्धी योजनाओं को चलाने के लिये एक स्वतन्त्र योजना उपविभाग बनाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

श्री संगण्णा : क्या निकट भविष्य में किसी और प्रस्ताव पर विचार किया जाना था ?

श्री जगजीवन राम : मैं तो नहीं समझता कि पोस्ट मास्टर जनरल सम्मेलन में कोई ऐसा प्रस्ताव भी किया गया था, किन्तु फिर भी पंच वर्षीय योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित करने के लिये हम सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

रेलवे मार्ग को क्षति

*६४९. **श्री अमजद अली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) पुलों, और (२) हाल ही में जो बाढ़ आई थीं उस के फलस्वरूप आसाम-सम्पर्क-रेल मार्ग को जो क्षत्ति हुई है उन की मरम्मत के लिये कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : पुलों की अस्थायी मरम्मत पर लगभग १२,११,४०० रुपये तथा आसाम-सम्पर्क-रेलमार्ग की अस्थायी मरम्मत पर ११,७७,३०० रुपये व्यय हुए हैं और स्थायी तौर पर मरम्मत करने के लिये लगभग ७३,००,००० रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार

*६५२. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन, जिस का कि भारतवर्ष भी एक सदस्य है, गेहूं का निम्नतम मूल्य संसार में गेहूं के वर्तमान मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि करार के अधीन विदेशों से जो गेहूं हम खरीदते हैं, वह खरीद आस्ट्रेलिया से की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने के लिये भाड़े की दरों में अभी हाल में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या निर्यातकों की अनुचित चालों के सम्बन्ध में, जिन से कि भारतवर्ष को हानि होती है, हमारे प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् तथा उस की कार्यकारिणी समिति से शिकायत की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अधिकतर आस्ट्रेलिया से श्रीमान् ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या अमरीकी सरकार अपने अतिरिक्त गेहूं को, अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के निम्नतम मूल्य की अपेक्षा बहुत कम मूल्य पर देने को तैयार हैं, और क्या उन्हों ने भाड़ों की दरों में भी कुछ छूट देने के लिये कहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या अमरीका से ?

श्री टी० के० चौधरी : जी हां ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रश्न तो आस्ट्रेलिया के बारे में है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि अमरीका कुछ विदेशी उत्पादन, जिन में गेहूं भी सम्मिलित है, अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार की निम्नतम दर से भी कम मूल्य पर देने को तैयार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह सच नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या किसी ऐसे देश में जो अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार का सदस्य नहीं है, गेहूं का मूल्य उस मूल्य की अपेक्षा जिस पर कि भारत वर्ष को गेहूं मिल रहा है, बहुत कम है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में गेहूं का मूल्य, करार के निम्नतम मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है । खुले बाजार में गेहूं का मूल्य संसार के किसी भी देश में करार के निम्नतम मूल्य की अपेक्षा कम नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : वित्त मंत्री ने उस दिन एक वक्तव्य में बताया था कि वह अमरीका के अतिरिक्त विदेशी उत्पादनों, जिन में गेहूं भी शामिल है, प्राप्त करने के सम्बन्ध में बात चीत कर रहे हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सहायता कार्यक्रम में हमें अधिक गहू मिलेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह सच है कि अमरीका जैसे देशों में पिछले दो वर्षों की गेहू की फसल के गेहूं को बेचा नहीं गया बल्कि सुरक्षित रखा गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह तो सच है कि विश्व के बाजारों में अतिरेक बढ़ गया है, किन्तु, जहां तक हम जानते हैं,

उनका मूल्य हमारी आशा के अनुसा गिरा नहीं है और यही कारण है कि हम ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् से करार में संशोधन करने को कहा था। देश में गेहूं का जो अतिरेक हुआ है उस को देखते हुए हमारा विचार है कि आजकल जो गेहूं का मूल्य है, उस की अपेक्षा यह मूल्य कम होना चाहिये। यह भी एक कारण है जिस के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार में संशोधन करने के लिये हम जोर दे रहे हैं।

रविवार को डाकखानों का खुला रहना

*६५३. **श्री सारंगधर दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरों तथा कस्बों में कम से कम एक डाकखाना रविवार के दिन खुले रखने का उपबन्ध किस आधार पर किया गया है ताकि वहां की जनता को उस दिन काम निपटाने में सुविधा मिले ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रात में काम करने वाले डाकखानों को, जो कि इतवार को भी खुले रहते हैं, खोलने का प्रबन्ध उन स्थानों पर किया गया जहां :

(१) रात्रि को वायुयान से भेजी जाने वाली डाक का केन्द्र हो;

(२) जो वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो; तथा

(३) जहां की जनसंख्या ५ लाख हो।

श्री सारंगधर दास : क्या कटक जैसा नगर इन शर्तों की पूर्ति नहीं करता ?

श्री जगजीवन राम : मुझे खेद है कि यह उन शर्तों की पूर्ति नहीं करता।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या ५ साल की जन संख्या होना जहां तक कि मुझे याद है कि माननीय मंत्री ने यही संख्या बताई थी, बहुत अधिक नहीं है ? क्या आप जनसंख्या की सीमा में कमी करने का विचार नहीं रखते ताकि अधिक व्यक्तियों को ये सुविधायें मिल सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है; यह काम करने के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन कर्मचारियों को जो इतवार को कार्य करते हैं अतिरिक्त भत्ता मिलता है ?

श्री जगजीवन राम : मेरा विचार है कि नियमों के अनुसार उन्हें भत्ता मिलता होगा।

नयी रेलवे लाइनें

*६५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ नई रेलवे लाइनें बनाने की कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्। द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिफारिशें अभी आनी हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सम्मति दी है वह इस सम्बन्ध में अन्तिम है या इस बारे में जब और सुझाव आयेंगे तो उन पर भी विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है; उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय क्या राज्य सरकारों की तथा और संस्थाओं की राय मांगी जायेगी कि कौन सी रेलवे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई जाये ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, मांगी जायेगी नहीं, मांगी गई है लेकिन अभी तक वह आई नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित की गई है कि राज्य सरकारें कब तक अपनी सम्मति भेज सकेंगी और कब तक उन पर विचार किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो उन की खुद की ख्वाहिश होनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी भेजें, लेकिन अफसोस है कि उन्हों ने अब तक भेजा नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या नई रेलवे लाइनें बनाने की अपेक्षा आंशिक रूप से बनी रेलवे लाइनों, जैसे बर्तवाड़ा लाइन, को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बनाने में प्राथमिकता मिलेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस लाइन के निर्माण कार्य के प्रश्न विचाराधीन है; इसलिये इस को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं यह जानना चाहता था कि .....

अध्यक्ष महोदय शान्ति, शान्ति । अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

सिंचाई की छोटी परियोजनाएं

*६५५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में सिंचाई की कितनी छोटी छोटी परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया था; और

(ख) इस प्रकार की कितनी छोटी छोटी परियोजनायें १९५४–५५ में शुरू की जायेंगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) ७४,५९६ ।

(ख) ६६,१२४ ।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नई प्रोजैक्ट्स ली जाने वाली हैं उन में से यू० पी० में कितनी होंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस की प्रान्त-वार तफसील मेरे पास नहीं है । मैं ने यहां कौन कौन से काम के लिये कितना काम शुरू होने वाला है इस की तफसील दी है ।

सेठ गोविन्द दास : इस में क्या कम से कम इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि यह बटवारा इस ढ़ंग से हो कि जिस में सब प्रान्तों के हित की रक्षा हो सके और किसी प्रान्त को कम और किसी प्रान्त को ज्यादा योजनायें न मिलें ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी कोई नौबत अभी तक नहीं आई है कि किसी भी प्रान्त की अच्छी स्कीम हो और उसे शामिल न किया गया हो । इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री आर० एस० दीवान : मराठवाड़ा राज्य में कितनी परियोजनायें चलाई गई ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस के जिलेवार विभाजन के आंकड़े नहीं हैं। मुझ से समस्त भारत में सारे कार्यों की सख्या पूछी गई थी और मेरे पास राज्यों को दी गई राशियां हैं।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं के व्यय केन्द्रीय सरकार के अंश को कम करने की सरकार की नीति है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम कुछ नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। आर्थिक सहायता के नियम हैं, अनुदानों के नियम ह। विशिष्ट योजनाओं के लिये धन की प्राप्यता के सम्बन्ध में और भी माप दंड हैं। उन के अनुसार हम प्रत्येक को सहायता देते हैं।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि स्टेट की सरकारों ने जो सुझाव छोटी छोटी नहरों के बारे में भेजे हैं, उन सब को सरकार मंजूर करने जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, अगर उन में दोष नहीं है, या बड़ी कास्ट नहीं आती है, या दस लाख रुपये के ऊपर नहीं हैं तो वह सब मंजूर होंगी।

पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न का स्टाक

*६५९. **श्री एन० बी० चौधरी** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में नियंत्रण हटाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने वहां के २ लाख टन खाद्यान्न के स्टाक को अपने हाथ में लेने का आश्वासन वहां की राज्य सरकार को दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने संघ सरकार से निवेदन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). हां, श्रीमान ; चावल के विनियन्त्रीकरण के समय भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया था कि यदि विनियन्त्रीकरण के परिणाम-स्वरूप खुले बाजार-मूल्य सरकारी निर्गमन भावों से गिर जाते हैं और सरकारी दुकानों से निर्गमन नहीं होता है तो राज्य सरकारों से चावल का स्टाक केन्द्र ही ले लेगा। यद्यपि पश्चिमी बंगाल में सरकारी दुकानों से चावल का निर्गमन पूर्णतया बन्द नहीं हुआ है, तथापि वहां की सरकार ने एक लाख टन चावल देने का प्रस्ताव किया है और भारत सरकार ने यह चावल लेना स्वीकार कर लिया है। इस एक लाख टन की राशि को लेने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या अभी बताई गई राशि को लेने के उपरान्त भी वहां बची हुई राशि के लिये सरकार का विचार, कोई आर्थिक सहायता देने का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस एक लाख टन चावल के लिये हम उन्हें लाभ हानि हीन के आधार पर भुगतान करते हैं। इस के लिये उन्हों ने जो भी भुगतान किया है, हम उन्हें भुगतान करते हैं और उस को हथियाते हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को विदित है कि सड़न के कारण इस वर्ष राज्य के बहुत से भागों में फसलें नष्ट हो गई हैं और इस कारण यह हो सकता है कि बाहर से अधिक स्टाक मंगाने की आवश्यकता हो और इस स्थिति में क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी ताकि वहां की प्रचलित मूल्य आयात किये गये चावल के मूल्य के अनुसार रहे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य को यह आशंका छोड़ देनी चाहिये कि चावल के स्टाक को अपने हाथ में लेने के कारण, केन्द्र उस चावल को दिल्ली या किसी अन्य राज्य को भेज देगा । मगर वहन करने में, लेखे भी हस्तांतरित होंगे । वास्तव में, हमने बंगाल सरकार से उन गोदामों को देने का निवेदन किया है जहां उन्हों ने ये खाद्यान्न रखे हैं । अतः, केवल लेखे हस्तान्तरित होंगे और चावल वहां ही रहेगा । यदि बंगाल में उस चावल की आवश्यकता पड़ी तो उस स्थिति में उस समय विद्यमान विधियों व नियमों के अनुसार इस का वितरण किया जायगा ।

श्री बी० के० दास : अब पश्चिमी बंगाल के पास चावल व गेहूं का कितना स्टाक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस के पास दो लाख टन चावल हैं । गेहूं की स्थिति के बारे में कलकत्ता नगर को गेहूं देने का भार हम ने वहन किया है और कलकत्ता में गेहूं का अभाव नहीं है । बंगाल सरकार के पास दो लाख टन चावल में से हम ने एक लाख टन लेना स्वीकार कर लिया है । उन की निकासी कम हो गई है । वे २३,००० टन बेचा करते थे और अब यह ७,००० टन तक पहुंच गया है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या हाल में ही समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि उन की निकासी में कमी होने के कारण इन स्टाकों में से अधिकतर गेहूं मानवीय प्रयोग के योग्य नहीं रहा है और नष्ट हो गया है ? यह बात बंगाल के सारे समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस स्टाक का सुगन्धिकरण तथा कीटशोधन होता है । यह प्रक्रिया होती रहेगी, चाहे यह केन्द्र के अधीन हो या बंगाल सरकार के अधीन ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यहां मैं यह बता दूं कि स्थानान्तरण का बिगड़ने से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि स्टाक गोदामों में रखे जाते हैं और हम गोदामों के साथ ही वस्तुयें भी ले रहे हैं ।

भारतीय तिलहन समिति

*६६०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें सम्मिलित हों :

(क) सन् १९५३–५४ में भारतीय तिलहन समिति द्वारा एकत्र किया गया उपकर कितना है;

(ख) उन्हों ने उपरोक्त काल में (१) प्राविधिक गवेषणा की प्रगति; (२) विकास तथा विक्रय की प्रगति, और (३) कृषि सम्बन्धी गवेषणा पर कितना व्यय किया है;

(ग) लगाया गया धन कितना है; और

(घ) उन की कार्यवाहियों को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १३,७८,५१५ रुपये ।

(ख) (१) १२,६७५ रुपये ।

(२) १,५१,०५६ रुपये ।

(३) ३,१०,५२६ रुपये ।

(ग) ५,००,००० रुपये ।

(घ) एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]।**

श्री के० सी० सोधिया : (क) के प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उपकर कहां पर एकत्र किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री के० सी० सोधिया : भाग (ख) के संबंध में कहां और किन-किन स्थानों में समिति की ओर से प्राविधिक गवेषणा और कृषि गवेषणा होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे समस्त भारत में होती हैं। मेरे पास समस्त स्थानों की एक पूर्ण नामावली नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : कम से कम यहां नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति के समक्ष कोई प्रस्ताव है और क्या समिति ने उपकर लगाने में वृद्धि करने की सिफारिश की है?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मैं जानता हूं अभी तक तो नहीं की ।

श्री के० सी० सोधिया : यह किस उद्देश्य से की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने कहा है कि मुझे उपकर में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव का बोध नहीं है ।

हिन्दी तार

*६६१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हिन्दी तार यातयात के परिमाप में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दी तार यातयात में कोई अतिरिक्त व्यय किया है; और

(घ) हिन्दी तार यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ही व्यय हुआ है तथा हो रहा है ।

(घ) हिन्दी तार यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये यह उपाय किये गये हैं :

(१) इस सेवा को देश के आन्तरिक भागों में जैसे जिलों तथा तहसीलों के मुख्यालयों में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ।

(२) शीघ्र कार्य करने के लिये, जहां भी आवश्यक होता है, तार भेजने की लाइनों को केवल हिन्दी तार भेजने के लिये पृथक रक्षित कर दिया गया है ।

(३) नागरी लिपि के दूरमुद्रकों को विकसित तथा स्थापित किया जा रहा है । । ऐसी चार मशीन न्यूज ऐजेन्सियों को बहुत सामान्य शुल्क पर परीक्षण के लिये दे दी गई हैं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी तारों पर अंग्रेजी के तारों से अधिक व्यय होता है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तारों की संख्या बढ़ रही है अथवा कम हो रही है ?

श्री जगजीवन राम : हम ने आंकड़े तैयार नहीं किये हैं । परन्तु इस समय हिन्दी तारों की सुविधायें अधिकांशतया हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में यहां कि लिपि देवनागरी है, दी गई है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन हिन्दी तारों के भेजने में कोई यांत्रिक अथवा प्राविधिक कठिनाइयां हैं ?

श्री जगजीवन राम : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात . . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

रेतीले क्षेत्रों में गेहूं की खेती

*६६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के रेतीले भागों में गेहूं की खेती करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धानों के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]** ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि यह प्रयोग जल की कमी वाले क्षेत्र में किये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़े पैमाने पर पानी की कमी पाई जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या राज्य सरकार ने धन अथवा वस्तुओं के रूप में कोई अंशदान दिया है क्योंकि यह योजना अर्थकर वनस्पतिविद् राजस्थान के प्राविधिक नियंत्रण में है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राजस्थान सरकार तथा केंद्र ने व्यय को परस्पर ५०:५० के अनुपात से बांट लिया है ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि गेहूं की जिन किस्मों पर सरकार प्रयोग करेगी वह अन्य क्षेत्रों में सरकार की सहायता से मौरूसी काश्तकारों को दी जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे सरकार की सहायता के बारे में ज्ञान नहीं है । सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी हम नये बीज देते हैं, हम उन को काश्तकारों को अपने खेतों में बोने के लिये देते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरी यह प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ६६३ के साथ ही प्रश्न संख्या ६७९ का उत्तर भी दे दिया जाये ।

राष्ट्रीय उत्पाद केन्द्र

*६६३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **श्रम** मंत्री १३ मई, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २४८९-ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय उत्पाद केन्द्र की स्थापना के लिये अलग रखी गई राशि में से कितनी रकम व्यय की गई है ;

(ख) इस केन्द्र को चलाने के लिये जो विशेषज्ञ आये हैं उन के नाम क्या हैं और वे किन देशों से आये हैं ;

(ग) उन में से प्रत्येक पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय क्या है और उन्होंने अब तक क्या काम किया है ?

(घ) उत्पाद आयोग की इस सिफारिश पर, कि उन्हें प्रयोग करने के लिये एक छोटा वस्त्र कारखाना दिया जाये, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उस केन्द्र के क्या-क्या लाभ हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अक्तूबर १९५४ के अन्त तक २,८८१ रुपये खर्च हुए ।

(ख) मुख्य विशेषज्ञ प्रोफैसर हाई फिश अमरीका से आये हैं । बाकी सर्वश्री फरनी और बुक्स इंगलैंड से आये हैं ।

(ग) अनुमान है कि प्रत्येक पर लगभग ११,००० रुपये प्रतिवर्ष खर्च होंगे । इन्हें आये हुये अभी थोड़े ही दिन हुए हैं और वह खास खास कारखाने वालों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं । वह दिल्ली तथा बम्बई के कुछ कारखानों में भी गये हैं ।

(घ) इस सिफारिश पर मालिकों तथा मजदूरों के विचारों के आधार पर गोर किया गया था परन्तु उन में कोई समझौता न हो सकने के कारण इस विषय में कोई प्रगति न की जा सकी ।

(ङ) यह केंद्र

(१) उत्पादकता....

अध्यक्ष महोदय : यदि हिन्दी का कोई शब्द न मिले तो माननीय मंत्री अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न बाद को उठाया जाये ।

श्री आबिद अली :...बढ़ाने वाले साधनों का अध्ययन करेगा और कारखानों के मालिकों तथा मजदूरों के सहयोग से इंजीनियरिंग के आधुनिक तरीकों को चुने हुए कारखानों में लागू करने के काम में सहायता देगा जिस से उत्पादिकता और मजदूरों की आमदनी बढ़े और काम करने की दशा भी सुधरे ;

(२) कारखाने के मालिकों तथा मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के लिये आधुनिक औद्योगिक इंजीनियरिंग ढंगों को सिखाने के लिये प्रयत्न करेगा; और

(३) सीखने वालों के काम की उन के अपने कारखानों में देखभाल करेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं अंग्रेजी में उत्तर जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने का मेरा विचार नहीं है ।

राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र

*६७९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र बनाये जायेंगे;

(ख) क्या विदेशों में बने ऐसे केन्द्रों का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जो कुछ उन्होंने कहा है । मैं उस का सिर पैर कुछ भी नहीं समझ सका हूं मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि उन को व्याख्या कर के बताने का दायित्व अध्यक्ष का नहीं है । इस प्रश्न का एक और विस्तृत पहलू भी है और उस पर माननीय सदस्य को विचार करना चाहिये । सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि मुझे बहुत दुःख होता है जब कि सदस्य हिन्दी बोलने के प्रयत्न पर हंसते हैं । माननीय सदस्यों ने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली है ।

श्री ए० एम० थामस : यह तो प्रशंसा करने का एक तरीका है ।

अध्यक्ष महोदय : उन को सत्य निष्ठा से यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दी का विकास हो । इसलिये मुझे दुःख होता है । यह स्वाभाविक है कि संक्रमण काल में कठिनाइयां अवश्य आयेंगी । हमें उचित शब्दों को खोज निकालने में कठिनाई होगी । संभव है कि हम मिश्रित भाषा का प्रयोग करें । परन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि यदि हम १५ वर्ष तक अंग्रेजी को चलने दें और १६वें वर्ष की १ जनवरी को हम एकाएकी हिन्दी को वह स्थान दे दें तो हम संविधान के प्रति किस प्रकार वफादार रह सकते हैं । अतः माननीय सदस्यों को इन प्रश्नों और उत्तरों को इस पृष्ठभूमि में लेना होगा । यदि माननीय सदस्य किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं तो यह उन की ही ग़लती है । संविधान को लागू हुए सात वर्ष हो चुके हैं और आशा की जाती है कि उन्होंने कम से कम थोड़ी बहुत हिन्दी समझने का प्रयत्न किया है । यह इस का एक पहलू है । उन मामलों में, जिन के सम्बन्ध में मैं ने अनुभव किया है कि माननीय सदस्य बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और बहुत शीघ्र हो इस भाषा का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मैं ने अन्य भाषाओं में , हिन्दी में भी, अनुवाद किये जाने की अनुमति दे दी है । यहां कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं । उन को भी ज्ञात होना चाहिये कि क्या कहा गया है । केवल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिये, जो परवाह नहीं करते हैं अथवा हिन्दी समझना नहीं चाहते हैं, मुझे इस का अनुवाद अंग्रेजी में करना चाहिये था, यह एक ऐसी बात है, जो मुझे विश्वास है, संविधान की भावना के प्रति आदर प्रकट करना नहीं है । इस समय मेरा यही विचार है । इसलिये मैं अनुवाद किये जाने की अनुमति देने का विचार नहीं करता हूं । यदि माननीय सदस्य हिन्दी सीखना पसन्द नहीं करते हैं, तो वह अनुपूरक प्रश्न न पूछ सकने का खतरा मोल लेते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पसन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं समझ ही नहीं सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिये । माननीय सदस्य उस प्रणाली को समझ जायेंगे जिसे हम लोक सभा में प्रश्नों को स्वीकार करने के विषय में अपना रहे हैं । सूची में जो नाम सर्वप्रथम होता है वह उस सदस्य का नाम होता है जिस का प्रश्न उत्तर दिये जाने के लिये स्वीकार किया जाता है । । यदि और भी नाम होते हैं, तो वह अध्यक्ष उन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने में पथ प्रदर्शन करते हैं: इस का अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्य का प्रश्न स्वीकृत किया गया है । अतः यह उन की मिथ्या धारणा है कि क्योंकि उन का

नाम तथा श्री केशवैयंगार का नाम श्री एम० एल० द्विवेदी के नाम के साथ संयुक्त कर दिया गया है, इसलिये उन का प्रश्न भी स्वीकृत कर लिया गया है । उन का प्रश्न स्वीकृत नहीं किया गया है । परन्तु नाम संयुक्त किये जाते हैं अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करने के लिये क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा, यदि कोई सदस्य एक साथ खड़े हो जायें तो अध्यक्ष श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी अथवा श्री केशव वैयंगार को उस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सके ।

श्री राधेलाल व्यास : प्रश्न की मूल सूचना हिन्दी में दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह ज्ञात है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं : ऐसा एक प्रश्न मैंने अंग्रेजी में भी भेजा था । यद्यपि मेरा नाम और किसी नाम के साथ कोष्टबद्ध है, फिर भी क्या मैं समझ लूं कि मेरे प्रश्न के प्रस्तुत होने की अनुमति नहीं दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने सारी स्थिति समझा दी मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूं या नहीं । मैं ने बताया कि मैं इस प्रथा का अनुसरण कर रहा हूं कि एक ऐसा प्रश्न जो समय के दृष्टिकोण से या अन्य कारणों से, पहले प्राप्त होता है उस की अनुमति दी जाती है । एक ही विषय पर उसी प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि इस से प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है । और प्रथा यह है कि जिस प्रश्न की अनुमति दी जाती है उस के पूछने वाले सदस्य का नाम पहले रखा जाता है । यहां प्रथम नाम श्री एम० एल० द्विवेदी का है, क्योंकि उन के प्रश्न की अनुमति दी गई है । अन्य दोनों नामों पर कोष्टक इसलिये लगाया गया है कि अध्यक्ष को यह ध्यान रहे कि इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछने वाले सदस्यों, जिन के प्रश्नों की अनुमति नहीं दी गई है, को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये जब कि बहुत से सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने खड़े होते हैं । यही कारण है कि माननीय मंत्री के प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई । उन का नाम कोष्टक में इसलिये रखा गया है कि उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य उठे—

श्री रामचन्द्र रेड्डी : तीन नाम हैं और आप ने अभी समझाया है कि पहले सदस्य के प्रश्न की अनुमति दी गई है, शेष दो सदस्यों के प्रश्नों की अनुमति नहीं दी गई है । और हम लोग पहले सदस्य को बुलाने की प्रथा चला रहे हैं, और यदि पहला सदस्य उपस्थित नहीं है तो दूसरा सदस्य बुलाया जाता है । क्या इस का अर्थ यह है कि यद्यपि उस माननीय सदस्य के प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है पर फिर भी उस का नाम शिष्टाचार के लिये बुलाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मतलब यह है कि उस प्रश्न को उस माननीय सदस्य का प्रश्न मान लिया जाता है । केवल किसी टैक्नीकल आधार पर हम किसी प्रश्न में पूछी गई सूचना देने पर रोक नहीं लगाना चाहते । कोष्टक लगाने का यही प्रयोजन है । जब माननीय सदस्य ने एक टैक्नीकल आधार पर एक बात उठाई है जैसे कि वह अनुपूरक प्रश्न पूछने में असमर्थ है क्योंकि उत्तर अंग्रेजी में नहीं है, तो मैं तथ्यों के एक टैक्नीकल विवरण द्वारा उन के टैक्नीकल प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, जब पहला सदस्य उपस्थित न हो और दूसरे सदस्य के प्रश्न को टैक्नीकल ढंग पर अनुमति नहीं दी गई हो, फिर भी वह प्रश्न पूछा जाता है । यही सम्पूर्ण व्याख्या है ।

यदि माननीय सदस्य बहुत आतुर हैं तो मैं इस प्रथा को छोड़ दूंगा । और दूसरे सदस्यों को नहीं बुलाऊंगा और प्रश्न पर रोक लगा दूंगा । पर मेरा विश्वास है कि सुविधा को ध्यान में रख कर सभा इस बारे में टैक्नीकल न हो कर जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे ही पसन्द करेगी ।

श्री जयपाल सिंह : पर इस में एक कठिनाई है (अन्तर्बाधा)

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न काल को व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है, और दूसरे प्रश्नों की सूचनायें देना अभी शेष है । अब हम अन्य प्रश्नों को लेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं इस महत्वपूर्ण मामलेपर कुछ कह सकता हूं ? मैं आप के आदेश पर आक्षेप नहीं करता । मैं आप से केवल इस शिष्टाचार के लिये प्रार्थना कर रहा हूं कि वह उत्तरों का सारांश बता दिया करें ताकि वे सदस्य जो अंग्रेजी नहीं समझते पर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, समझने में समर्थ हो सकें कि क्या कार्यवाही हो रही है । यह सुविधा और शिष्टाचार की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ वर्ष पूर्व मैं यह सुविधा दिया करता था पर बाद में, कुछ दबाव डाल कर भी हिन्दी के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये मैं ने सभा में ऐसा करने से इन्कार कर दिया ।

माननीय सदस्यों को उत्तर की अंग्रेजी प्रतिलिपि सचिव के पटल पर मिलेगी । सदस्यों को विदित है कि वह वहां रहती है । जब प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है और यदि उत्तर उन की समझ में नहीं आता तो उन्हें सचिव से उस के अनुवाद की प्रतिलिपि के लिये निवेदन करना चाहिये और उन्हें अनुवाद मिल जायेगा । पर इस आधार पर कि माननीय सदस्यों की समझ में यह उत्तर नहीं आया है मैं उन्हें सभा में उत्तर अंग्रेजी में नहीं दे सकता । सारी बात यही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या मंत्रालय ने कोई प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई में खोला है जहां पर विभिन्न उद्योगों के कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ? यदि हां, तो इस का क्या उद्देश्य है और इस में क्या खर्चा हुआ है ?

श्री आबिद अली : वह उद्देश्य तो मैं अर्ज कर चुका ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रशिक्षण दिया जायेगा यह केवल निजी उद्योग के कर्मचारियों को दिया जायेगा या नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को भी दिया जायेगा ?

श्री आबिद अली : इस में सभी रहेंगे, गवर्नमेंट अफसरान, कारखानेदार और मजदूर ।

श्री एम० एल० द्विवेदी । अभी तक इस काम के लिये कितने लोगों को चुना गया है और वह कहां कहां से लिये गये हैं ?

श्री आबिद अली : अगर नोटिस पेश करेंगे तो इस की जानकारी मालूम कर के पेश कर दी जायेगी ।

विमान क्षेत्रों का विकास और आधुनीकरण

*६६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डों के विकास और आधुनीकरण के कार्यक्रम की पूर्ति में विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार का विचार है कि (१) असैनिक उड्डयन कार्यों में लगे इंजीनियर कार्यकर्त्ताओं की वर्तमान संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना, और

(२) विदेशी निर्माताओं की धावन-पथ प्रकाश तथा अन्य विशेष संचार और हवाई अड्डे का सामान जो १९५५-५६ के लिये आवश्यक है वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले मंगाने के लिये मांग-पत्र देना, ताकि आवश्यक सामान ठीक समय पर प्राप्त हो जाये और लगा दिया जाय ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के प्रगति प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि योजना में उपबन्धित धन राशि का केवल २५ प्रतिशत इस काम के लिये पहले तीन वर्षों में खर्च किया गया है। उस में यह भी बताया गया है कि सम्पूर्ण धन राशि का उपयोग इसलिये नहीं किया जा सका कि हमें विदेशों से सामान नहीं मिला। क्या मैं जान सकता हूं कि किन देशों को इन सामानों के लिये आदेश दे दिया गया था, क्या उस के बाद आदेश रद्द कर दिये गये हैं, और किन देशों से हम यह सामान लेने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह सच है कि नियत की गयी धन राशि को हम हवाई अड्डों के सुधार के लिये काम में नहीं ला सके । स्पष्ट कठिनाइयां ये हैं कि हवाई अड्डों के सामान और वहां प्रकाश की व्यवस्था करने के तरीकों में शीघ्रता से विकास हो रहा है, जब यह योजना तैयार हो जाती है और हम संभरण विभाग द्वारा आदेश देने का निश्चय करते हैं तो हम देखते हैं कि सामान के नवीनतम विकास के प्रकाश में कुछ सुधार आवश्यक हो गये हैं । इस प्रकार, इस में कुछ अधिक समय लग जाता है ।

जहां तक उन देशों का सम्बन्ध है जिन को हम ने आदेश दिये थे वे कई हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देश। पर इस वर्ष हम इस बात की सावधानी बरत रहे हैं कि नियत निधि से अधिक व्यय न हो ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : एक वर्ष पूर्व यह बताया गया था कि पालम हवाई अड्डे पर प्रकाश की व्यवस्था आई० सी० ए० ओ० प्रमाप के अनुसार नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस के बाद वह आई० सी० ए० ओ० प्रमाप पर लाया जा चुका है ?

श्री जगजीवन राम : कई हवाई अड्डों पर ऐसा कर दिया गया है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या हमारे वे हवाई अड्डे जो अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं में काम कर रहे हैं , इस आधुनीकरण के मामले में प्राथमिकता प्राप्त करेंगे । यदि ऐसा है, तो उन्हें हमारे देश के भीतर के हवाई अड्डों के होते हुए क्यों प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : हां, उन्हें प्राथमिकता दी गयी है, और यह स्पष्ट है कि क्यों इन हवाई अड्डों को सुसज्जित किया जाय । इस का मतलब अन्य हवाई अड्डों की अवहेलना करना नहीं है बल्कि यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्वयं बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह देश के भीतर की सेवाओं के लिये भी बड़े महत्वपूर्ण केन्द्र हैं । अतः जब हम उन्हें सुसज्जित करते हैं तो केवल इसलिये नहीं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बल्कि देश के भीतर की सेवाओं के लिये भी वे बड़े महत्वपूर्ण केन्द्र हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पैन अमेरीकन एयरवेज के प्राधिकारियों ने कुछ शिकायतें की हैं कि हवाई अड्डों पर रात की प्रकाश-व्यवस्था दोषपूर्ण है ?

श्री जगजीवन राम : मुझे व्यक्तिगत रूप से इस का कुछ पता नहीं है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*६६५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली परिवहन सेवा को निकट भविष्य में गाजियाबाद तक बढ़ा देने का कोई विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): नहीं, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय दिल्ली परिवहन सेवा की वर्तमान बसों से वर्तमान स्थानीय मार्गों पर होने वाली सेवाओं की कुशलता और बरम्बारता को पर्याप्त समझा जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां: हमें इस बात का पता है कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों की सेवा की वर्तमान बारम्बारता पर्याप्त नहीं है । हम ने १४० बसों के लिये आदेश दिया है और हमें आशा है कि शीघ्र ही बसें आ जायेंगी, और उन के आ जाने पर, हमें आशा है कि स्थिति में मूल रूप से आसानी पड़ जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या जो बसें आयेंगी उन को वर्तमान मार्गों पर ही वितरित किया जायेगा, या किसी स्थानीय या उपनगर में किसी नये मार्ग पर चलाया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां: इस समय किसी उपनगर के मार्ग पर उन्हें चलाने का हमारा विचार नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिवाराव समिति

*६६२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री रघुरामैया :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राधारमण :

क्या श्रम मंत्री २७ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरी दफ्तरों सम्बन्धी शिवाराव समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कौन सी कार्यवाहियां की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) शिवाराव समिति की सिफारिशें अभी सरकार के सम्मुख विचाराधीन हैं और शीघ्र ही राज्य सरकारों की सलाह से विभिन्न सिफारिशों पर अन्तिम निश्चय किया जायेगा

(ख) और (ग). प्रश्न पैदा नहीं होते ।

वाईकाउण्ट वायुयान

*६२८. **श्री साधन गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान निगम द्वारा खरीदे जाने वाले वाईकाउण्ट वायुयान वर्तमान डकोटा के स्थान को ग्रहण करेंगे; और

(ख) क्या यह वाईकाउण्ट वायुयान वैसे ही हैं जैसे इस समय ब्रिटिश यूरोपीयन एयरवेज द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह बात सही नहीं है कि भारतीय विमान निगम ने वाईकाउण्ट वायुयान खरीदने का निश्चय किया है । निगम द्वारा बड़े आधुनिक वायुयानों के खरीदने का विचार परीक्षाधीन है । खरीदे जाने पर नये वायुयान मुख्य बड़े मार्गों और पड़ौसी देशों के मार्गों पर उन डकोटा के स्थानों पर चलाये जायेंगे जो

इस समय उन मार्गों पर चल रहे हैं, और डकोटा नये मार्गों पर चलाये जायेंगे ।

(ख) अभी प्रश्न पैदा नहीं होता ।

सहकारी कर्मचारी वर्ग

*६२९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी कृषि की भावना का प्रचार करने की दृष्टि से बिहार राज्य के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : अभी तक बिहार को कोई धन राशि आवंटित की नहीं गई; किन्तु सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति ने राज्यों से अधीनस्थ सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को निमंत्रित किया है ।

जल-संभरण

*६३०. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों में नागरिक जल संभरण, गंदे पानी की नालियों तथा कूड़ा साफ करने की योजनाओं के विकास में कितना रुपया मंजूर हुआ है;

(ख) उन राज्यों के नाम जिन्हों ने अपनी योजनायें स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की हैं; और

(ग) उन नगरों तथा कस्बों के नाम जहां के लिये योजनायें स्वीकृत हुई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) राज्यों को राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना के अधीन, उन के नागरिक जल संभरण तथा गन्दी नालियों की योजनाओं के लिये ४५४.१७ लाख रुपये का ऋण दिया गया ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९ ।]

सिंधेका के निकट रेलवे दुर्घटना

*६३१. **श्री गिडवानी :**
श्री आर० के० चौधरी :
श्री टी० सुब्रह्मण्यम् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अक्तूबर १९५४ को, एक माल गाड़ी के कई डिब्बे, पश्चिमी रेलवे के सिंधेका स्टेशन के निकट एक पुल को पार करते समय नदी में गिर पड़े ;

(ख) क्या इस में कोई जीवन-हानि हुई;

(ग) अन्य क्या हानियां हुईं;

(घ) क्या कोई जांच प्रारम्भ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । तारीख १६-१०-५४ को लगभग २-५० म० प० पर जबकि संख्या ९२८ अप माल गाड़ी पश्चिमी रेलवे के सूरत-भुसावल बड़ी लाइन उपविभाग के, सिंधेका तथा नरदाना के बीच पुल संख्या २५७ के ऊपर से गुजर रही थी, तो ४० में से २० डिब्बे नदी में गिर पड़े और शेष २० डिब्बे पटरी पर से उतर गये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रेलवे सम्पत्ति अर्थात् इंजिन-डिब्बे, पुल, स्थायी मार्ग, आदि की कुल अनमानित हानि २,१६,१८० रुपये की थी

(घ) जी हां, । रेलवे प्राधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई है ।

(ङ) समिति का प्रतिवेदन, जिस में दुर्घटना का कारण भी दिया गया है, रेलवे प्रशासन के परीक्षाधीन है ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण उपकर निधि

*६३३. **श्री नानादास :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रम कल्याण उपकर निधि के लिये किस दर से उपकर जमा किया गया; और

(ख) यह दर किस तारीख से लागू की गयी ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) भारत से निर्यात किये गये अभ्रक पर मूल्यानुसार २ १/२ प्रतिशत दर है ।

(ख) २० जुलाई १९४६ ।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा सांख्यकी प्रशिक्षण केन्द्र

*६३४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था नई दिल्ली में प्रयोगात्मक रूपांकन तथा परिमाप टेकनीक पर, एक अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को चलाने पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस व्यय को कौन वहन करेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३ १/२ लाख रुपये ।

(ग) व्यय का अधिकांश भाग अर्थात् ३ लाख रुपया एफ० ए० ओ० वहन करेगा तथा अवशेष व्यय भागीदार देश जिन में भारत भी शामिल है वहन करेंगे । भारत सरकार को १५,००० रुपया व्यय करना होगा ।

जीवनावश्यक स्वास्थ्य सांख्यकी प्रदर्शन केन्द्र

*६३६. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जीवनावश्यक स्वास्थ्य सांख्य की प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिये किस स्थान को चुना गया है; तथा

(ख) प्रस्तावित केन्द्र का अनुमानित व्यय क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना पर अनुमानतः कुल ५८,००० रुपये पांच वर्षों में व्यय किये जायेंगे ।

भूतपूर्व ट्रामवे कर्मचारियों को काम में लगाना

*६३९. **श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास ट्रामवे के कितने भूतपूर्व कर्मचारियों को रेलवे में सेवा नियक्त किया गया; और

(ख) क्या उन की भर्ती पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १८५ ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

नवीन पारेषण केन्द्र दिल्ली

*६४२. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नये पारेषण केन्द्र ने जैसा कि विदेशी संचार विकास की पंचवर्षीय योजना में उल्लेख है, कार्य करना शुरू कर दिया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ होगा ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). प्रस्तावित नये पारेषण केन्द्र, दिल्ली ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है । किन्तु यह आशा की जाती है कि यह १९५५ के मध्य तक कार्य करना प्रारम्भ करेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार

*६४३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन कितना गेहूं खरीदा गया तथा किस परिमाण में गेहूं भारत पहुंच गया है; और

(ख) वह विभिन्न राज्यों को किस प्रकार बांटा गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार वर्ष पहली अगस्त से ३१ जुलाई तक चलता है । पहली अगस्त १९५४ से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के दौरान, करार के अधीन ५,२७,००० टन गेहूं खरीदा गया जिस में से ८४,००० टन पहिले ही पहुंच चका है ।

(ख) जो गेहूं पहुंच चुका है उस का निम्न प्रकार से बटवारा किया गया है :—

मद्रास	१,८०० टन
मैसूर	७०० टन
आंध्र	१,४०० टन
पश्चिमी बंगाल	४६,३०० टन
बम्बई	१६,७०० टन
बिहार	९,८०० टन
आसाम	२,००० टन
उड़ीसा	१,८०० टन
हैदराबाद	५०० टन
रक्षा सेवायें	३,००० टन
कुल	८४,००० टन

रेलवे वर्कशापों के लिये समिति

*६४५. **श्री तुलसीदास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५४ के अन्त में रेलवे बोर्ड ने रेलवे वर्कशापों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन की क्षमता का पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अब तक सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) निर्माण के नये लक्ष्यों के सम्बन्ध में उन की सिफारिशें क्या हैं जो कि रेलवे वर्कशापों में लागू की जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति १-६-५४ से नियुक्त की गई, जिस में प्रारम्भ में कुछ समय कार्य करने वाले एक अध्यक्ष भी थे । समिति के निर्देश पद जरा विस्तृत हैं और अगले वर्ष के मध्य तक कार्य के समाप्त होने की आशा नहीं है ।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

*६५०. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) उन राज्यों के नाम जिन्हों ने इस अधिनियम को स्वीकार किया है; और

(ग) क्या इस के अधीन कुछ नियम बनाये गये हैं, तथा क्या उन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस अधिनियम के अधीन

नियम बनाने का कार्य आरम्भ किया गया है ।

(ख) यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर शेष सारे भारत में लागू होगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाली तारीख से लागू हो जायेगा । इसलिये राज्यों द्वारा अधिनियम को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नियम बनाये जा रहे हैं तथा उचित समय सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

डाक का रुक जाना

*६५१. **श्री भीखाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर तथा अक्तूबर १९५४ के महीनों में सगवाड़ा तथा डूंगरपुर के बीच दैनिक डाक कई बार रुक गई;

(ख) यह किस किस दिन रुक गई;

(ग) इस के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार भविष्य के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) डाक सितम्बर में एक बार तथा अक्तूबर १९५४ में दो बार रुक गई ।

(ख) और (ग). (१) ९-९-५४ से ११-९-५४ तक डाक अंत्री नदी में भारी बाढ़ आने के कारण रुक गई, क्योंकि उसे पार नहीं किया जा सकता था ।

(२) १५-९-५४ से १७-९-५४, तथा १८-१०-५४ से २१-१०-५४ तक । वर्षा के कारण मार्ग में मोटर गाड़ियां नहीं चल सकती थीं। ठेके के अनुसार ठेकेदार को डाक लेजाने के लिये मजदूर लगाने चाहियें थे, किन्तु उस ने ऐसा नहीं किया

(घ) पोस्ट मास्टरों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे, नदी अलंध्य होने की स्थिति को छोड़ कर अन्य अवसरों पर, जब कभी ठेकेदार डाक पहुंचाने में असफल हो, डाक पहुंचाने की विभागीय व्यवस्था कर लें ।

मध्यप्रदेश की सिंचाई की छोटी छोटी योजनायें

*६५६. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में ही मध्य प्रदेश राज्य की सिंचाई की बहुत सी नई विशेष छोटी छोटी योजनाओं को स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये १९५४–५५ में कितना धन मंजूर किया गया है; और

(ग) उन की संख्या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ऋण के रूप में १००·२९ लाख रुपये ।

(ग) तेरह ।

तट पर मछली पकड़ना

*६५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट पर मछली पकड़ने के काम में सुधार करने के लिये १९५३–५४ में कोई आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) प्रत्येक तटीय राज्य को ऐसी कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अधीन निम्न अनुदान दिये गये थे :—

	रुपये ।
बम्बई	४६,०००
मद्रास	१,६८,०००
सौराष्ट्र	१६,०००
त्रावनकोर-कोचीन	२५,०००

त्रावनकोर-कोचीन के मामले में भारत सरकार ने नार्वेजियन सहायता प्रोग्राम के सम्बन्ध में आन्तरिक व्यय के ५० प्रतिशत के बराबर ७३,६३८ रुपये और दिये थे ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*६५८. **श्री के० के० बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मजदूर योजना के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) कितने व्यवसाय-गृहों को छूट दी गई है; और

(घ) इन छूट-प्राप्त उद्योगों में कितने मजदूर हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पर्यटक यातायात

*६६६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने १९५४ में क्या क्या कार्यवाही की; और

(ख) क्या उस के लिये कोई नई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५४ में सरकार ने जो कार्यवाहियां की उन में अन्य बातों के होते हुए निम्न सम्मिलित हैं : (१) बैंगलौर, औरंगाबाद, शिमला, उटाकमण्ड तथा दार्जिलिंग में नये पर्यटक कार्यालयों का खोलना और श्रीलंका तथा आस्ट्रेलिया में प्रचार कार्यवाही को देख-भाल तथा पर्यटकों को भारत के बारे में सूचना देने के लिये विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था करना, (२) काश्मीर जाने वालों के लिये रेल व सड़क और रेल व विमान यात्रा में रियायत की व्यवस्था करना, (३) मई १९५४ में लंदन में आयोजित ब्रिटिश उद्योग मेला, मई १९५४ में कैरों में आयोजित तथा प्रदर्शनी और सितम्बर १९५४ में लौसाना प्रदर्शनी में भाग लेना, (४) अजन्ता-ऐलोरों के लिये संचार आदि सुविधाओं आदि में सुधार करना, (५) पथप्रदर्शन (गाइड्स) प्रशिक्षण योजना बनाना, (६) राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देना, और (७) नये प्रचार साहित्य का प्रकाशन करना ।

(ख) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पर्यटक-केन्द्रों का सविस्तार पर्यवेक्षण करें और निकट भविष्य में किये जने वाले सुधारों की केन्द्रीय सरकारों को सूचना दें। राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त होने पर एक सूत्रबद्ध योजना बनाने के लिये स्थिति पर विचार किया जायेगा ।

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

*६६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल देश में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) अधिक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिये कितने प्रार्थनापत्र अनिश्चित पड़े हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) २,८१४ ।

(ख) ५३२ ।

गोसम्वर्धन दिवस

*६६८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गोसम्वर्धन परिषद् के निश्चयानुसार समस्त राज्यों में "गोसम्वर्धन दिवस" मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्सवों की विशेषतायें क्या थीं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) देश की ढ़ोर सम्पत्त के उचित विकास के लिये लोगों में उत्साह जागृत करने की दृष्टि से ढ़ोर प्रदर्शन गोसम्मेलन उत्तम प्रकार के ढ़ोर चारे तथा अन्य सामग्री की प्रदर्शनी, विषय पर रेडियो वार्ता, ढ़ोरों के लिये पुरस्कारों की यवस्था, ढ़ोर चिकित्सालयों का खोलना ठीक समझे गये अच्छी नस्ल के साडों तथा चारे के उत्तम बीजों का वितरण, और रोग आदि को रोकने के लिये टीके लगाने आदि के आयोजन किये गये थे ।

मीन क्षेत्र विकास

*६६९. **श्री सी० आर० चौधरी** :
डा० रामा राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन गोदावरी नदी के मुहाने में मीन-क्षेत्र के विकास के लिये किया गया ३० लाख रुपये का उपबन्ध, पूर्वी तट के किसी स्थान के लिये परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में आंध्र राज्य सरकार से परामर्श किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अस्पतालों में विशेष योजनालय

*६७०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन शिक्षा देने वाले अस्पतालों में विशेष योजनालय खोले गये हैं या खोले जाने का विचार है; और

(ख) इन योजनालयों पर क्या व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) सरोजनी नायडू मैडीकल कालिज, आगरा में एक विशेष योजनालय खोलने का विचार है ।

(ख) सरोजनी नायडू मेडीकल कालिज, आगरा में एक विशेष योजनालय खोलने पर ६००० रुपये का अनावर्तक और १५,००० रुपये का आवर्तक वार्षिक व्यय होगा ।

भारतीय दुग्ध-शाला गवेषणा संस्था, बंगलोर

*६७१. **श्री झूलन सिंह** :
श्री भगवत झा आज़ाद :
श्री मुरारका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय दुग्ध शाल

गवेषणा संस्था, बंगलोर के लिये कोई नया स्थान चुना गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी नहीं ।

मलेरिया-निवारक नई औषधि

*६७२. **श्री एस० एन० दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि रूस में मलेरिया के उपचार के लिये कुनीन की अपेक्षा दस गुनी अधिक प्रभावशाली औषधि की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में रूस की सरकार से कोई पूछताछ की है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) इस सम्बन्ध में समाचार पत्र में एक रिपोर्ट देखी गई है ।

(ख) तथा (ग). इस विषय में आवश्यक पूछताछ की जा रही हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेंहूं परिषद

*६७३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से तथा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार तैयार करने के लिये, सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् की शीघ्र ही बैठक बुलाने के लिये उनपर जोर डाला है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और क्या वह निकट भविष्य में बैठक बुलाने पर सहमत हो गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

इंग्लैण्ड में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थी

*६७४. **श्री सारंगधर दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या इंगलैंड में स्नातकोत्तर श्रेणियों में अध्ययन करने वाले भारतीय चिकित्सा विद्यार्थियों को चिकित्सा आदि में कार्य की प्रत्येक सुविधा दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जी हां ।

यात्रियों को सुविधायें

*६७५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ के लिये मंजूर धन राशि में से अब तक विभिन्न शीर्षकों के अधीन उत्तर पूर्वी रेलवे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये कितना धन व्यय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : ८·५८ लाख रुपये ।

गोबर से गैस

*६७६. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबर से गैस बनाने की योजना के अन्तर्गत प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली के निकट १६ गैस उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम संयंत्र भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में अधिष्ठापित किया जा रहा है ।

(ग) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में संयंत्र के कार्य की जांच होने के उपरान्त, बाकी संयंत्रों के लिये दिल्ली के समीप गांवों में स्थान चुने जायेंगे ।

दबोक विमान क्षेत्र

*६७७. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मंत्री २४ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् राजस्थान में दबोक विमान-क्षेत्र बनाने के लिये अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) क्या प्रस्तावित विमान-क्षेत्र का कोई रेखा-चित्र बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी नहीं । राज्य प्राधिकारियों ने भूमि का कब्जा अभी असैनिक उड्डयन विभाग को नहीं दिया है ।

(ख) तथा (ग). विमान-क्षेत्र की एक विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । मैं योजना की एक प्रति यथाशीघ्र सभा पटल पर रखूंगा ।

इम्फाल में नौकरी दिलाऊ दफ्तर

*६७८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल में एक नौकरी दिलाऊ दफ्तर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस की क्या स्थिति है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी नहीं । हालांकि प्रादेशिक नौकरी दिलाऊ मंत्रणा समिति, आसाम ने मई १९५२ में ऐसा एक सुझाव दिया था ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता । किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । इस मामले पर मैं आगे विचार कराऊंगा ।

भारतीय एयर लाइन निगम

६८०. **श्री पी० बी० विट्ठल राव :**
श्री के० सी० सोधिया :

क्या संचार मंत्री १७ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एयर लाइन निगम ने सेवा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तृत रूप से बतायें कि वह कार्यवाही क्या है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). वांछित जानकारी बताने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०

स्वास्थ्य योजनाएं

*६८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजनाओं के सिलसिले में विभिन्न मदों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर जो व्यय हुआ है उस की प्रगति बताने वाला

विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ४१]**।

यहां तक कि राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजनाओं का सम्बन्ध है उस की जानकारी पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन में निहित है जो कि योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था, और जिस की एक एक प्रति २९ सितम्बर १९५४ को सभा पटल पर रखी गई थी।

दिल्ली में मिशन अस्पताल

*६८२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को रोमन कैथोलिक मिशन अस्पताल, दिल्ली के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ कहने सुनने का अधिकार होगा चूंकि वह उसे अनुदान देती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : उत्तर नहीं में है।

रेल सम्पर्क

*६८३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वादी से गाडग तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का अनुमानित व्यय क्या होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर

*६८४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर में १२ चेनल ओपिन वायर कैरियर इक्यूपमेंट सिस्टम के विकास एवं निर्माण के लिये कोई योजना बनाई गई है और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस को प्रभावी बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी हां।

(ख) आटोमेटिक टेलीफोन एण्ड इलैक्ट्रिक कम्पनी लि० से एक समझौता हुआ है कि १२ चेनल कैरियर सिस्टम के लिये निम्न शर्तों के आधार पर उन्हें आदेश दिया जायेगा :

(१) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलौर में इस उपकरण के उत्पादन कराने के लिये वे पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे; (२) इस प्रयोजनार्थ वे निर्माण एवं इंजीनियरी सम्बन्धी जानकारी निःशुल्क भेजेंगे; (३) भारतीय टेलीफोन उद्योग को जब जब भी नकशों, पुर्जों, औजारों तथा, कच्चे सामान आदि की आवश्यकता पड़ेगी तो वे भेजेंगे; (४) वे भारतीय इंजीनियरों को इंगलैंड के अपने कारखानों एवं प्रयोगशालाओं में अपने खर्चे पर प्रशिक्षण देंगे; (५) यदि आटोमैटिक टेलीफोन एण्ड इलैक्ट्रिक कम्पनी, योजना के अनुसार जानकारी, अथवा सहायता देने में असमर्थ रहती है तो भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस व्यवस्था को समाप्त कर दे।

(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग के तीन इंजीनियर निर्माण सम्बन्धी जानकारी, औजार, मशीनरी, आदि सम्बन्धी बातों को अन्तिम रूप से निश्चित करने और प्रशिक्षण

सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये शीघ्र ही इंगलैंड जा रहे हैं ।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता

*६८५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २३ के अधीन बिहार राज्य से आये हुए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की कलकत्ता शाखा के समक्ष जो प्रार्थनापत्र निलम्बित हैं उन की सूची, तिथि एवं उनके आवेदन कर्ताओं के नाम सहित सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : यह मानते हुए कि माननीय सदस्य का उल्लेख उन प्रार्थना पत्रों से है जो औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५० की धारा २३ के अधीन आये हैं, उन का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२] ।

रेलगाड़ियों में आहार डिब्बे

*६८६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिये अब तक कितनी डाइनिंग कारों (आहार डिब्बों) की व्यवस्था की गई है;

(ख) खाने के समय अधिक भीड़ से बचने के लिये डाइनिंग कारों के साथ कितने अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था विभिन्न रेलों पर की गई है; और

(ग) क्या डाइनिंग कारों के साथ साथ अतिरिक्त डिब्बों के बढ़ाने के परिणाम-स्वरूप यात्रियों के डिब्बों में कमी करने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलों की ४० रेलगाड़ियों में चलने वाली डाइनिंग कारें (जिन में अल्पाहार कारें भी सम्मिलित हैं), अब तृतीय श्रेणी के यात्रियों के उपयोग के लिये खुली हैं ।

(ख) जिन रेलों में डाइनिंग कारें (अथवा अल्पाहार कारें) चलने वाली हैं उन में से प्रत्येक रेल में एक कार चलाने की व्यवस्था की गई है । भीड़ से बचने के लिये किसी अतिरिक्त डाइनिंग कार की व्यवस्था नहीं की गई है । खाने के समय जब यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो कई बार में उन सब के खाने की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों के पौधे

४८४. **श्री ी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के पौधों को उचित रीति से उगाने तथा एकत्र कराने के सिलसिले में सरकार का विचार राज्यों को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कौन सी राज्य सरकारों ने कठिनता से उपलब्ध होने वाले इन पौधों को उगाने की योजना बनाई है जिन के बारे में हम जानते हैं कि औषधि की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् राज्य सरकारों को औषधि वाले पौधों को उगाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाओं के लिये सहायता दे रही है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३] ।

(ग) पश्चिमी बंगाल, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश (वन गवेषणा शाला देहरादून के अधीन चकराटा) ।

आदर्श ग्राम तथा कृत्रिम गर्भाधात केन्द्र

४८५. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी हिमालय प्रदेश के जिलों में दुधारू ढ़ोरों के सुधार के लिये कोई आदर्श ग्राम तथा कृत्रिम गर्भादान केन्द्र खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४] ।

नौकरी दिलाऊ दफ्तर नागपुर

४८६. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **श्रम** मंत्री निम्न बातों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) नागपुर के नौकरी दिलाऊ दफ्तर में पिछले तीन वर्षों में कितने प्रार्थियों के नाम विभिन्न श्रेणियों में पंजीबद्ध किये गये हैं;

(ख) इसी अवधि में अनुसूचित जाति के कुल कितने प्रार्थी विभिन्न श्रेणियों में पंजीबद्ध किये गये हैं ; और

(ग) कुल कितने पंजीबद्ध प्रार्थियों को (अनुसूचित जातियों तथा अन्य) विभिन्न व्यवसाओं में नौकरी मिली ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]

ट्रैक्टरों का आयात

४८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में (१) सरकारी लेखे में तथा (२) गैर सरकारी तौर पर, कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है;

(ख) प्रत्येक शीर्षक के अधीन मंगाये गये इन ट्रैक्टरों का कुल मूल्य कितना है; और

(ग) किन किन देशों से तथा कितने कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६] ।

मलेरिया पर नियन्त्रण

४८८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिये डी० डी० टी० छिड़कने के परिणाम को आंका गया है; और

(ख) क्या निष्कर्ष मिले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) उन क्षेत्रों का, जहां मलेरिया नियंत्रक यूनिटों ने काम किया था, १९५३-५४ में परिमाप किया गया था, और चालू वर्ष का परिमाप हो रहा है ।

(ख) राज्य सरकारों के तथ्यों के मिल जाने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

डाक का वितरण

४८९. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस से अवगत है कि बीकानेर और दिल्ली से बंगलौर जाने वाले डाक के पार्सलों को अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचने में लगभग एक महीना लग जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मार्ग में इस विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी तक विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दाइयों का प्रशिक्षण

४९०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि के अन्तर्गत जो एक लाख चार हजार की रकम भारत को मिली है, उस से किन किन राज्यों में दाइयों के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी दाइयों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) दाइयों के प्रशिक्षण के लिये जो चुनाव होता है, वह किस आधार पर होता है; और

(घ) कुल कितनी दाइयों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध होगा और प्रशिक्षण के बाद क्या सरकार उन्हें काम दे सकेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, त्रावनकोर-कोचीन तथा हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि विश्व स्वास्थ्य संघ प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य । शिशु पालन परियोजनाओं के अन्तर्गत दाइयों के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है । इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि से कुल ८४,००० डालर की सहायता मिली है जिस में से १०,००० डालर दाइयों को इनाम अथवा छात्रवृत्तियां देने के लिये है और ७४,००० डालर उपकरणों तथा सामग्री के लिये हैं ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पहले लगभग ३,५०० दाइयों को प्रशिक्षत करने का विचार है ।

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकार इस प्रकार चुनाव करती है।

किसी विशिष्ट क्षेत्र में दाई का काम करने वाली औरतों की संख्या का उसी क्षेत्र में पैदा हुए बच्चों की संख्या का सर्वेक्षण करके पता लगा ली जाती है । प्रशिक्षण के लिये ऐसी औरतें चुनी जाती हैं, जिन का काम खूब चलता हो और जिन्हें चिकित्सा सम्बन्धी आधुनिक ढंगों का कतई ज्ञान न हो । चुनी हुई औरतों की संख्या इस प्रकार नियत की जाती है कि पैदा होने वाले प्रत्येक पचास बच्चों के लिये एक दाई प्रशिक्षत हो जाये ।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कुल ३,५०० दाइयां प्रशिक्षित की जायेंगी । प्रशिक्षण के बाद इन दाइयों को नौकरी देने के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं । विभिन्न राज्यों में अशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य ये हैं :

(१) वर्तमान दाइयों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में दाई की सेवाओं में सुधार करना;

(२) कीटाणुओं से रक्षा तथा सफाई का ज्ञान पैदा करना, ताकि दाई के काम में सुधार हो जाये और घाव के सड़ने की घटनायें कम हो जायें;

(३) दाइयां उन दशाओं को पहचान सकें, जब कि उन को योग्य डाक्टरों की सहायता लेना जरूरी है;

(४) अवैज्ञानिक तरीकों गैर उपकरणों के प्रयोग करने से तथा काम के अपरिपक्व ढंगों से दाइयों को छुटकारा दिलाना;

(५) प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवाओं के बीच अथवा उन क्षेत्रों की अस्पताल सेवाओं तथा उस कुटुम्ब के बीच जहां कि वह काम करती है, एक अभिकर्ता रूप में कार्यवाही करने के लिये उस की सहायता करना ।

रेडियो-सक्रिय फासफोरस समस्थानिक (आइसोटोपस)

४९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था नई दिल्ली ने अमेरीका से आयात की हुई रेडियो-सक्रिय फासफोरस समस्थानिक (आइसोटोपस) का कोई उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) । रेडियो सक्रिय फासफोरस समस्थानिक (आइसोटोप्स) अमेरीका से अभी आया है, और काम हो रहा है ।

रेडियो सक्रिय फासफोरस समस्थानिक (आइसोटोप्स)

४९२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) रेडियो सक्रिय फासफोरस समस्थानिक (आइसोटोप्स) की सहायता से भूमि के वर्गीकरण के सम्बन्ध में जो विशेषज्ञों की सहायता अमेरीका से प्राप्त की है उस का प्रकार क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में वहां से कितने विशेषज्ञ आये हैं और उन्हों ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ग) भूमि के बीज वर्ग बना कर गवेषणा कार्य करने की जो भारतीय कृषि गवेषणा संस्थाओं की प्रस्थापना थी उस में क्या प्रगति हुई है;

(घ) इस सम्बन्ध में अमेरीका से किस प्रकार की मशीनें तथा अन्य सामग्री आई है; और

(ङ) इस कार्य पर सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुमानित व्यय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) . एक मिट्टी वैज्ञानिक की सेवायें अमेरीका से प्राप्त की गई हैं । उस ने प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया है ।

(ग) और (घ) . एक रेडियो अन्वेषक प्रयोग शाला व प्रयोग भवन बन रहा है, प्रयोग शाला को तैयार करने के लिये उपकरण प्राप्त हो चुके हैं और छः महाखण्डों के केन्द्रों में भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण का काम हो रहा है ।

(ङ) कार्य संचालन सम्बन्धी करार संख्या ४ पर, रेडियो सक्रिय अन्वेषक कार्य

के अतिरिक्त जिस में नक्शा खींचने की कला, मिट्टी के सर्वेक्षण मिट्टी के परीक्षण आदि के काम भी सम्मिलित हैं, ३ साल में अनुमानतः ११,४३,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

अज्ञात बीमारी

४९३. **श्री एम० एल० द्विवेदी**
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) "विरस् एन्सीफेलीटिस" नामक अज्ञात बीमारी के उपचार तथा चिकित्सा के लिये क्या कोई अनुसन्धान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां और उस में कितनी सफलता मिली है;

(ग) इस बीमारी से देश भर में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या अस्पतालों में प्रविष्ट रोगियों में से कोई बचा और यदि हां, तो कितने; और

(ङ) इस बीमारी के फिर से होने की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) विशेष रूप से इस बीमारी के लिये एक विशेष उपचार निकालने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है । परन्तु इस रोग के कारणों के सम्बन्ध में अवश्य अनुसन्धान किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मई, १९५४ से जब कि इस बीमारी के कारण प्रथम मृत्यु की सूचना मिली थी, अक्तूबर १९५४ के अन्त तक (उन ९ मामलों को सम्मिलित करके जिन के सम्बन्ध में इस बीमारी का सन्देह था) ११८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(घ) उस अवधि में सूचित ६२३ मामलों में से ५०५ व्यक्ति बच गये ।

(ङ) अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर राज्य सरकारों को यह सूचना दे दी गई है कि वे इस बीमारी की रोक-थाम के लिये क्या संभव उपाय करें । अभी तक इस काम के लिये कोई विशेष रोक-थाम के उपाय, जैसे निवारक टीके इत्यादि का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ है ।

भारत में टेलीफोन के पुर्जों का निर्माण

४९४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक टेलीफोन में कुल कितने पुर्जे होते हैं और उस को चलाने के लिये क्या उपकरण आवश्यक होता है;

(ख) इन में से भारत में कौन कौन से पुर्जे बनाये जाते हैं और कौन २ से बाहर से मंगाये जाते हैं;

(ग) आयातित पुर्जों का प्रतिशत मूल्य क्या है;

(घ) क्या इन पुर्जों को भारत में ही तैयार करने की कोई कोशिश की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) टेलीफोन के यंत्र में ५३९ पुर्जे होते हैं, जिन में इस यंत्र के विभिन्न पुर्जों को जोड़ने के लिये भीतर की तार भी सम्मिलित है । टेलीफोन चलाने के लिये ऐक्सचेन्ज का उपकरण बाहर के तार, लाइनें, खम्भे, तारें बैटरी इत्यादि जरूरी होते हैं ।

(ख) चुम्बक (प्रथम प्रकार) वाशर (प्रथम प्रकार) और बाल बियरिंग (प्रथम प्रकार) को छोड़ कर जिन का इस समय आयात किया जाता है, टेलीफोन के सारे पुर्जे भारत में ही बनते हैं।

(ग) १ प्रतिशत ।

(घ) और (ङ). इस समय ये पुर्जे नहीं बनाये जा रहे हैं, किन्तु टेलीफोन के अन्य पुर्जों की तरह, इन को भारत में बनाने का विचार है।

रेल के माल के डिब्बे

४९५. **श्री डी० सी० शर्मा :**
पंडित एस० सी० मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिये कितने माल के डिब्बों की आवश्यकता है;

(ख) रेलों की आवश्यकातायें पूरी करने के लिये हर साल भारत को कितने माल के डिब्बों की आवश्यकता होगी और

(ग) सरकार स्थानीय रूप से इन मांगों की पूर्ति करने की अवस्था में कब तक हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह अनुमान है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लियें प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक लगभग २,५०,००० (चार पहिये वाले) माल के डिब्बों की आवश्यकता होगी ।

(ख) द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक हर साल लगभग १२,००० से १३,००० माल के डिब्बों की आवश्यकता होगी ।

(ग) डिब्बे बदलने तथा उन की वृद्धि करने के सम्बन्ध में हम बिल्कुल आत्म-निर्भर हैं और लगभग दो साल के अन्दर विशेष प्रकार के डिब्बों को छोड़ कर बाहर के देशों से डिब्बे मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

रेलों में चोरी

४९६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से मार्ग में माल के डिब्बों से कोयले की चोरी काफी बढ़ गई है; और

(ख) १९५४ में विभिन्न रेलवे स्टेशनों से (विशेषत: कलकत्ता, दिल्ली और पटन से) इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पिछले कुछ महीनों से मार्ग में माल के डिब्बों से चोरी के कारण कोयले की हानि बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है ।

(ख) इस अवधि में १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५४ तक १२६ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन में से १६ कलकत्ते से और २ दिल्ली से थीं । पटना से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

४९७. **श्री पी० सी० बोस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि द्वारा अभी तक कितने अस्पताल बनवाये गये हैं ;

(ख) इन अस्पतालों में कितने रोगियों के रहने का प्रबन्ध है; और

(ग) इन अस्पतालों में भर्ती होने वाले तथा बाहर के रोगियों की प्रति दिन की औसत क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]

चावल मिलें

४९८. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्य वार, चावल की कितनी मिलें हैं;

(ख) प्रत्येक मिल में कितने मजदूर काम करते हैं; और

(ग) राज्यवार, धान कूट कर प्रति-वर्ष कितना चावल निकाला जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). प्रत्येक मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या और मिलों द्वारा तैयार किये जाने वाले चावल की मात्रा के बारे में सरकार के पास पूरी पूरी जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है । इस के एकत्र करने में पर्याप्त मेहनत लगेगी और उस का लाभ मेहनत के अनुरूप नहीं होगा । इसलिये सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जाता है जिस में उपलब्ध जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]

आंध्र राज्य में सड़कों की लम्बाई

४९९. श्री सी० आर० चौधरी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक आन्ध्र राज्य में कितने मील राष्ट्रीय राजपथ बनाये गये हैं;

(ख) कितने मीलों का निर्माण हो रहा है;

(ग) इस राज्य में निम्न योजनाओं के सम्बन्ध में १९५१ से १९५६ तक क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

(१) नई सड़कें,

(२) विद्यमान सड़कों का सुधार,

(३) पुल, और

(घ) चुनी हुई सड़कें कौन कौन सी हैं और वे कितने मील लम्बी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चालू पंच वर्षीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत २ मील ।

(ख) २४ मील ।

(ग) (१) नई सड़कें २४ मील
(२) विद्यमान सड़कों का सुधार १३० मील
(३) पुल ६

(घ) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४, ५, ७ और ९ । इन राष्ट्रीय राजपथों की आंध्र में कुल लम्बाई ८६१ मील है ।

डी० टी० एस० कर्मचारियों के लिये मकान

५००. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों के लिये किन किन स्थानों में मकान बनाये गये हैं और उन्हें बांटे गये हैं;

(ख) डिपो और कर्मशालाओं के लिये अभी तक कितने भवन बनाये गये है; और

(ग) अभी तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक कर्मचारियों के लिए कोई आवास-स्थान नहीं बनाये गये हैं । विनय नगर के डिपो के भवन में रहने के

फ्लैट बनाये गये हैं और कोरोनेशन सड़क के डिपो के भवन की पहली मंजिल पर चार फ्लैट बनाये गये हैं ।

(ख) डिपों के लिये दो भवन, एक विनय नगर और दूसरा कोरोनेशन सड़क पर बनाये गये हैं । कोरोनेशन सड़क के भवन में केन्द्रीय कर्मशाला भी होगी ।

(ग) भूमि की लागत को छोड़ कर १०,५०,२६६ रुपये ११ आने ६ पाई ।

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण उपकर निधि

५०१. श्री नानादास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण उपकर निधि में इसके आरम्भ से अब तक प्रतिवर्ष राज्य-वार कितना धन इकट्ठा किया गया और व्यय किया गया; और

(ख) इस समय राज्य-वार, कितना धन शेष है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

शकूर बस्ती स्टेशन पर ऊपरी पुल

५०२. श्री नवल प्रभाकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाये जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानित लागत क्या आयेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) किचनर रोड और ग्रांड ट्रंक रोड़ की शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के रास्ते करनाल के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिल्ली राज्य सरकार के सामने है, जिसमें शकूर बस्ती यार्ड को एक ऊपरी पुल बना कर पार करने का विचार है ।

(ख) अभी दिल्ली राज्य की पी० डब्ल्यू० डी० ने इसके खर्च का अनुमान नहीं लगाया है ।

गाड़ी का ठहरना

५०३. श्री विश्व नाथ राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोकुल नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ गाड़ियों के ठहरने को बंद कर देने के क्या कारण हैं जिससे जनता को असुविधा हो गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : गोकुलनगर के चीनी के कारखाने से एक अभ्यावेदन की प्राप्ति पर संख्या ३०८ अप और २११ अप। २१२ डाउन एक्सप्रेस गाड़ियों को मई, १९५२ से गोकुलनगर स्टेशन पर ठहराया जाने लगा था, जिससे कि चीनी के कारखाने के मजदूरों के लिये परिवहन की सुविधायें उपलब्ध हो सकें । क्योंकि गोकुलनगर का चीनी का कारखाना बन्द हो गया है और इस लम्बी यात्रा की तेज़ गाड़ियों का सीधा यातायात होने के कारण गोकलनगर पर इन का रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता था, इसलिये २११ अप गाड़ी १-४-५४ से वहां पर ठहरानी बन्द कर दी गई है और ३०८ अप और २१२ डाउन १-१०-५४ को बन्द कर दी गई हैं ।

विमान क्षेत्र

५०४. श्री के० सी० सोधिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या है जहां (१) गत दो वर्षों के मध्य नये विमान-क्षेत्र बनाये गये हैं; और (२) विद्यमान हवाई अड्डों में पर्याप्त सुधार किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक पर कितनी लागत आई है,

(ग) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन वायु सेवा के विस्तार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए प्रस्थापनायें तैयार की जा रही हैं, और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वायु सेवा का किस प्रकार का विस्तार कार्यक्रम योजना में सम्मिलित किया जायगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश के ज़िलों में तार देने की सुविधायें

५०५. श्री आर० एन० सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया तथा आज़मगढ़ ज़िलों के किन-किन डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों में १९५० तक आम जनता को तार देने की सुविधायें थीं और अब नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बनारस और रसडा (बलिया ज़िला) के बीच के स्टेशनों पर तार देने की सुविधायें थीं, परन्तु वह इस समय नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गाज़ीपुर बलिया और आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश के ज़िलों) में डाक व तार की जो सुविधायें १९५० में थीं वे सब अब भी हैं।

उपरोक्त ज़िलों में निम्न रेलवे तार-घर १९५३ में बन्द कर दिये गये थे :—

१. सैदपुर भीतरी
२. तराव
३. नंद गंज
४. गाजीपुर घाट
५. शहवाज-कुली
६. यूसफ पुर
७. ढ़ोंढ़ा टीह
८. ताजपुर देइया
९. पेफना
१०. बंसडीह रोड
११. साहत बार
१२. रेवती
१३. बकुला
१४. रेवलगंज घाट
१५. रेवत गंज

(ख) बनारस और रसड़ा के बीच के २१ स्टेशनों में से रेलवे प्राधिकारियों ने १२ पर से तार की सुविधायें हटा लीं ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के प्राधिकारियों ने अनुज्ञप्ति प्राप्त रेलवे तार-घर बन्द कर दिये थे। क्योंकि इन को रेलवे चलाती थी इसलिये इन्हें बन्द करने के कारण इस विभाग को ज्ञात नहीं हैं ।

प्रति व्यक्ति मछली की खपत

५०६. श्री बहादुर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति व्यक्ति मछली की औसत खपत क्या है;

(ख) एशिया के हमारे पड़ौसी देशों में प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में यह कैसी है; तथा

(ग) क्या योजना के प्रथम तीन वर्षों के काल में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कोई सुधार हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ३.९८ पौंड ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) जी हां, कुछ हद तक । यह अनुमान है कि सन् १९४८ के ३.३६ पौंड से अब यह लगभग ४ पौंड तक बढ़ गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय युवक किसान विनिमय कार्यक्रम

५०७. **श्री केशवैयंगार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवक किसान विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने जाने वाले उम्मीदवारों के नाम राज्यवार क्या हैं; और

(ख) यह चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय युवक किसान विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल १९५४ में अमेरीका भेजे गये व्यक्तियों के राज्यवार नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) उन भारतीय युवक किसानों के आवेदन पत्र जो निर्धारित अर्हतायें पूरी करते थे उनकी राज्य सरकारों के पास राज्य संवरण समिति द्वारा आरंभिक चुनाव के लिये भेज दिये गये । इस के बाद विभिन्न राज्य संवरण समितियों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से केन्द्रीय संवरण समिति ने मौखिक परीक्षा के बाद अन्तिम चुनाव किया था ।

विक्रय के ठेके

५०८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोजन व्यवस्था के ठेके देने में सहकारी समितियों को वैयक्तिक ठेकेदारों की अपेक्षा प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों को अपनी उपभोक्ता सहकारी समितियां बनाने में प्रोत्साहन देती है और अब तक भोजन करने वाले व्यक्तियों को जो सुविधायें दी जाती थीं क्या वे अब भी दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर में सी० ओ० पी० एस० में स्थित कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति को मान्यता देने और ये सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विक्रय और भोजन व्यवस्था के ठेके देने के मामलों में, अन्य बातों के समान होने पर, विस्थापित व्यक्तियों और पंजीबद्ध सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है । विस्थापितों और सहकारी समितियों में प्राथमिकता विस्थापितों को ही दी जाती है ।

इस विषय पर भविष्य की नीयत के बारे में, उपमंत्री के सभापतित्व में नियुक्त एक समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ख) जी हां, किन्तु सरकार की यह नीति है कि उस के अपने ही कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी समितियों को ठेके न दिये जायें ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के सी० ओ० पी० एस० के मकान में कर्मचारियों की कोई पंजीबद्ध उपभोक्ता सहकारी समिति नहीं है ।

रेलवे के डिब्बे

५०९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५० से अब तक पूर्वोत्तर रेलवे में कितने माल के डिब्बे तथा यात्री डिब्बे अनुपयुक्त घोषित किये गये और नीलाम किये गये ;

(ख) उन्हें अनुपयुक्त घोषित करने के कारण क्या थे; और

(ग) नीलामी से कितनी रकम वसूल हुई और उन्हें बदलने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

माल के डिब्बे	१०७३
यात्री डिब्बे	२६

(ख) अधिकांश डिब्बे निर्धारित अवधि से अधिक पुराने हो गये थे और आगे सेवा के लिये अनुपयुक्त थे और उन की मरम्मत लाभदायक नहीं थी ।

(ग) ३,७४,५१४ रुपये वसूल हुए थे । उतने ही डिब्बों के बदलने के लिये लगभग १ २३ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

उड़ीसा उड्डयन क्लब

५१०. **श्री सारंगधर दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उड्डयन क्लब के आरम्भ होने के पश्चात् उसे कितनी अर्थ सहायता प्रतिवर्ष दी गई है;

(ख) इस क्लब द्वारा कितने विमान चालकों को प्रशिक्षा दी गई;

(ग) प्रत्येक विमान चालक पर इस का कितना व्यय हुआ;

(घ) क्लब के पास कितने प्रशिक्षण विमान हैं; और

(ङ) क्या ये विमान क्लब के हैं या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ष	उड़ीसा उड्डयन कलब को दी गई अर्थ सहायता	प्रशिक्षित विमान चालक			टिप्पणी
		'ए०'	'बी०'	कुल	
१९४७–४८	३५,५४७ रुपये	५	—	५	शिक्षार्थियों की कमी के कारण कलब १९५२ में बन्द करनी पड़ी थी, परन्तु जुलाई, १९५३ में इस फिर आरम्भ किया गया था । कलब को एक बिवान गृह की स्थापना के लिये दी गई २५,००० रुपये की राशि में से ६,००० रुपये की राशि चालू वर्ष में कलब से वसूल करली गई है क्योंकि कलब ने विमान-गृह नहीं बनाया था और क्योंकि सरकार अब कलब के लिए एक विमान-गृह की व्यवस्था कर रही है ।
१९४८–४९	४९,०९८ रुपये (आवर्तक व्यय के लिए) २५,००० रुपये एक विमान गृह के लिए पूजी	७	१	८	
१९४९–५०	७७,७७० रुपये	८	१	९	
१९५०–५१	५७,३०८ रुपय	११	३	१४	
१९५१–५२	३७,६४० रुपये	१०	—	१०	
१९५२–५३	३१,२४६ रुपये	—	१	१	
१९५३–५४	३१,०२१ रुपये	—	—	—	
१९५४–५५	२०,००० रुपये (अब तक)	१	—	१	
कुल	३,६४,६३० रुपये	४२	६	४८	

*इस समय प्रशिक्षण के पांच उम्मीदवार हैं—चार 'ए, अनुज्ञप्ति के लिये और एक 'बी' अनुज्ञप्ति के लिये

(ग) किसी विशेष वर्ष में प्रशिक्षित दिखाये गये विमान-चालकों के आंकड़े उन लोगों के हैं जिन्हों ने उस वर्ष में अपनी अनुज्ञप्तियां प्राप्त कीं ।

इस का आवश्यक रूप से यह अभिप्राय नहीं है कि उन विमान चालकों का सारा प्रशिक्षण उसी वर्ष में हुआ था । प्रति वर्ष प्रत्येक विमान चालक पर हुए व्यय के आंकड़े बताना कठिन है । परन्तु प्रत्येक वर्ष में उड़ान के प्रत्येक घंटे पर क्लब द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	प्रति घंटा व्यय
१९४७–४८	६३७·७
१९४८–४९	४५३·३
१९४९–५०	९२·१
१९५०–५१	११५·९
१९५१–५२	१७६·५
१९५२–५३	२२७·७
१९५३–५४	४८३·७

(घ) सात ।

(ङ) ३ केन्द्रीय सरकार के हैं और चार क्लब के हैं ।

रेलवे लाइनों में दरारें

५११. श्री टी० के० चौधरी :
श्री अमजद अली :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आसाम की चौकी सिलीगुड़ी से आगे सिलीगुड़ी और अमीन गांव के बीच उत्तर बंगाल की हाल की बाढ़ों के कारण आसाम को जाने वाली सीधी रेलवे लाइन टूट गई थी;

(ख) किन दरारों की पूर्ण मरम्मत हो गई है, और

(ग) आसाम को जाने वाली सीधी रेलवे लाइन को पुनः चालू करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उन स्थानों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जहां उत्तर बंगाल की हाल की बाढ़ों के कारण आसाम जाने वाली सीधी रेलवे लाइन टूट गई थी । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३] ।

(ख) आसाम जाने वाली रेलवे लाइन पर सब दरारों की मरम्मत कर दी गई है और १३-११-५४ से आसाम को आने जाने वाली सीधी गाड़ियां चलने लगी हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्यभारत के डाक निरीक्षक

५१२. श्री राधेलाल व्यास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत के डाक विभाग के केन्द्रीय डाक तार विभाग में विलय के समय, मध्य भारत के कितने डाक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) थे;

(ख) उन पदों के क्या नाम हैं जिन पर विलय के बाद उन्हें रखा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उन से कनिष्ठ अधिकारी अब ऊंचे पदों पर पहुंच गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तेरह ।

(ख) पांच को १६०–२५० रुपये के निम्न चुनाव वेतन क्रम पर नियुक्त किया गया है और आठ को ६०-१७० रुपये के क्लर्क के वेतन क्रम पर नियुक्त किया गया है परन्तु उत्तरोक्त के वेतन क्रम को उच्च वेतन क्रम

बनाने की संभावना की पुनः जांच की जा रही है ।

(ग) उन की संबंधित भूत पूर्व राज्य की अग्रता को रखा गया है । किन्तु एक कर्मचारी ने जिस निरीक्षक का वेतन क्रम नहीं दिया गया अपनी अग्रता के पुनः निर्धारण के लिये अभ्यावेदन दिया है । इस की जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा का भू-अधिग्रहण विभाग

५१३. **श्री बीरेनदत्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के भू–अधिग्रहण विभाग के पास बहुत से क्षत्तिपूर्ति के दावे शेष हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बनारस रेलवे स्टेशन

५१४. **श्री गणपति राम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य निश्चित कार्यक्रम से पीछे है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मार्च, १९५५ के अन्त तक ।

(ख) १·५ लाख रुपये ।

(ग) लगभग ६०,००० रुपये ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) मुख्यतः इस्पात के शहतीर न मिलने के कारण ।

बेकार रेलवे इंजन

५१५. **श्री गणपति राम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने इंजिन और डिब्बे मुगलसराय यार्ड में पड़े हुए हैं और जिन्हें बेकार घोषित कर दिया गया है;

(ख) सभी बेकार सामग्री का कुल कितना मूल्य आंका गया है; और

(ग) क्या सरकार का उन्हें पुन-निर्माण के लिये चित्तरंजन के कारखाने यह टाटा स्टील वर्क्स को भेजने का विचार है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मुगलसराय के यार्ड में नहीं वरन् चलने वाले इंजनों के शैड में केवल पांच बेकार इंजन पड़े हैं ।

(ख) ये इंजिन लोहे के टुकड़ों के भाव बिक सकते हैं । इन का रुपयों में वास्तविक मूल्य पता नहीं है, परन्तु लगभग अनुमानतः ४०,००० रुपये का है ।

(ग) जी नहीं ।

तूफान एक्सप्रेस

५१६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूफान ऐक्सप्रैस के समय में परिवर्तन के लिये आये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस प्रस्थापना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). कथित अभ्यावेदन में दिये गये इस सुझाव पर कि ६४ डाऊन तूफान एक्सप्रैस गाड़ियां दिल्ली से १०-२० के आजकल के समय के स्थान पर १२-३० बजे चलनी चाहियें, विचार किया गया है । इस समय इस सुझाव को कार्यान्वित करना संभव नहीं है क्योंकि इस से मुगलसराय और सियालदह के बीच चलने वाली ६८ डाऊन दिल्ली-स्यालदह एक्सप्रैस और उस से मेल खाने वाली गया और गोमोह की गाड़ियों के समय को बदलना पड़ेगा जो सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त समझी जाती हैं । इस के अतिरिक्त ६४ डाउन और ६८ डाउन के हावड़ा और स्यालदह में देर से पहुंचने का समय उपनगर की गाड़ियों के भीड़ के समय से टकरायेगा ।

वायु कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता

५१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल हवाई अड्डे के कर्मचारियों को कोई पहाड़ी स्थान का भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भत्ते की दर क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को इस के बदले में कोई सर्दी की वर्दियां या भत्ता दिया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि वहां हवाई अड्डे के पास कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का नये मकान बनाने या उन्हें मकान के किराये का भत्ता देने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३ और ४ श्रेणी के कर्मचारियों के कतिपय वर्गों को सर्दी की वर्दियां दी जाती हैं ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) यह हवाई अड्डा अस्थायी प्रयोग के लिये हैं और इसे तुलीहाल के नये स्थान पर ले जाया जा रहा है, जहां कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायेंगे । उन्हें मकान के किराये का भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

वायु कर्मचारियों को अतिरिक्त समय का भत्ता

५१८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो आपरेटरों, रेडियो शिल्पिकों हवाई अड्डे के आपरेटरों और अन्य संचालक कर्मचारि वृन्द को जो देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर काम कर रहे हैं, अतिरिक्त समय का भत्ता देने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जो लोग कोष और भंडार के प्रभारी हैं उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता; तथा

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) असैनिक उड्डयन विभाग के संचालक कर्मचारियों को अतिरिक्त समय का भत्ता देने का परीक्षण १ अप्रैल, १९५४ से आरम्भ किया गया है और इस समय उन संचार सहायकों रेडियो आपरेटरों और रेडियो

शिल्पिकों को दिया जाता है जो वस्तुतः चालन कार्य में लगे हों । असैनिक उड्डयन विभाग के संचालक कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी भत्ता देने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

अतिरिक्त समय का भत्ता देने के सम्बन्ध में ये नियम हैं :

(१) प्रति सप्ताह ४५ घंटे से अधिक किये गये काम के लिये भत्ता दिया जाता है ।

(२) अतिरिक्त समय का कार्य केवल तभी दिया जाता है जब केन्द्र केन्द्र प्रभारी पदाधिकारी के आदेश के अधीन सर्वथा अनिवार्य हो ।

(३) आधे घंटे या आधे घंटे से अधिक अतिरिक्त समय को पूरा घंटा गिना जाता है और आध घंटे से कम समय को नहीं गिना जाता ।

(४) दिये जाने वाले भत्तों की दरें ये हैं :

वेतन सीमा	भत्ते की दर प्रति घंटा रु० आ० पा०
८५ रुपये तक	० ८ ६
८६ रुपये और १०० रुपये के बीच	० ११ ६
१०१ रु० और १३० रु० के बीच	० १२ ०
१३१ रु० और १७० रु० के बीच	० १५ ०
१७१ रु० और २०० रु० के बीच	१ ३ ०
२०१ रु० और २५० रु० के बीच	१ ७ ०
२५१ रु० और ३२५ रु० के बीच	१ १३ ६
३२५ रु० से अधिक	२ २ ०

(ख) निश्चित राशियों से अधिक कोष के प्रभारी लोगों को विशेष वेतन दिया जाता है । भंडार के प्रभारी व्यक्तियों को कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता ।

(ग) भंडार की व्यवस्था भंडारी और भंडार क्लर्क अपने सामान्य कर्तव्यों के समय करते हैं और इस कारण किसी विशेष वेतन या भत्ते के देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऋषभदेव डाक-घर

५१९. श्री भीखाभाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषभदेव संयुक्त डाक घर में कुशलता से कार्य नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि वह डाक-घर समय पर पत्र नहीं बांटता; और

(ग) क्या सरकार को इस डाक घर में डाक वितरण के बारे में दुर्व्यस्था के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर रेलवे कुली

५२०. श्री भीखाभाई : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर कुलियों को दिये गये लाइसेंसों की संख्या यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) क्या इस विषय में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उस स्टेशन पर यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कुलियों की संख्या पर्याप्त है ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे कर्मचारी

५२१. **श्री आर० एन० सिंह:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिकार्ड लिफ्टरों और सार्टरों के एक तिहाई पदों के वेतन क्रम को ४०–६० रुपये से ५५–८५ रुपये तक बढ़ाने का सन् १९५१ में निर्णय हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उच्च वेतन-क्रम वाले पदों पर कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिये क्या निबंधन और शर्तें निश्चित की गई थीं;

(ग) क्या इन पदों को ४०–६० रुपये ५५-८५ रुपये और ५५-१३० रुपये के वेतन क्रमों में पुनः वर्गीकृत करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ५५–८५ रुपये और ४०–६० रुपये के वेतन क्रमों के बीच उचित रूप से पुनः काम बांटने से उच्चतर वेतन क्रम वाले पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का अच्छा आयोग करने का विचार था, प्रथम वेतन क्रम वाले कर्मचारियों को क्लर्कों जैसा काम सौंपा जाना था । भविष्य में उच्चतर वेतन क्रमों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों से, निम्नतर वेतन क्रम वाले पदों के लिये अपेक्षित साक्षरता स्तर से तनिक उच्च शैक्षणिक योग्यताओं की अपेक्षा की जाती है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) यह विषय विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में डाक तथा तार घर

५२२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९४७ में मध्य प्रदेश में डाक तथा तार घरों की संख्या क्या थी;

(ख) अगस्त १९४७ के पश्चात् वहां (वर्षवार) कितने डाक तथा तार घर खोले गये; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के अन्तर्गत कितने स्थानों पर नवीन डाक तथा तार घर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) १५ अगस्त १९४७ को मध्य प्रदेश में ३१ डाक घर, १५६ संयुक्त डाक तथा तार घर और ३ विभागीय तार घर थे ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४] ।

(ग) लगभग ८०० डाक घर तथा ४४ तार घर ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्धियां

५२३. **श्री जो० एल० चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत कितने अभियोग लगाये गये ;

(ख) कितने मुकद्दमों में दोष सिद्धियां हुईं; और

(ग) कितने मुकद्दमों में दोष सिद्धियां नहीं हुईं ?

श्रममंत्री (श्री के० के० देसाई) : उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रा अन्तर्गत नौकरियों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी । जहां तक केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नौकरियों का सम्बन्ध है, उन के आंकड़े ये हैं :—

(क) ८, जिन में से अब तक पांच का निर्णय हो चुका है ।

(ख) ३

(ग) २

पूर्वी रेलवे पर चोरियां

५२४. **श्री के० सी० जैना :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ से ३१ अक्तूबर १९५४ तक की अवधि में पूर्वी रेलवे पर चोरी की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) क्या इन चोरियों के मामलों की कोई जांच पड़ताल हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन जांच पड़तालों से क्या पता चलता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १ जनवरी १९५३ से ३१ अक्तूबर १९५४ तक की अवधि में पूर्वी रेलवे पर विभिन्न श्रेणियों में जो चोरी की घटनायें हुई हैं, उन की संख्या यह है :

चलती गाड़ी में चोरियां	३०९३
यार्ड (प्रांगड़) में चोरियां	७२४
माल गोदाम में चोरियां	२०८
पार्सलों की चोरियां	६८
प्लेटफार्म पर चोरियां	१४५
कुल	४२३८

222 L S D—4.

(ख) जी हां ।

(ग) जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि इन चोरियों का मुख्य कारण यह है कि वाच एंड वार्ड तथा रेलवे पुलिस स्टाफ की सतर्कता के बावजूद भी, औद्योगिक क्षेत्रों में और अन्य स्थानों पर भी, अपराधियों के गिरोह लगातार अपने काम करते रहते हैं

उड़ीसा में डाकखानों की इमारतें

५२५. **श्री के० सी० जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने उड़ीसा में डाकघरों की इमारतों के लिये एक अनुदान मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिलावार कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) जिन डाकघरों के लिये ये अनुदान मंजूर हुए हैं, उन के क्या नाम हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख)

जिला	मंजूर हुई राशि रुपये
१. संबलपुर	३३,०००
२. कटक	१,०६,०००
३. बालासोर	९३,०००
४. पुरी	४९,०००
५. गंजम	७७,०००
६. कोरपूत	२०,०००

(ग)

डाकघर का नाम	जिला
१. सं लपुर	संबलपुर
२.कटक जी० पी० ओ०	कटक
३. जाजपुर	कटक
४. केन्द्रपारा	कटक
५. पत्तमुंदई	कटक
६. चांदनी चौक (कटक)	कटक
७. बालासोर	बालासोर
८. जलेश्वर	बालासोर
९. सोरो	बालासोर
१०. खुर्दा	पुरी
११. सखीगोपाल	पुरी
१२. बरहामपुर	गंजम
१३. आस्का	गंजम
१४. बेपोर	कोरपूत

गाड़ियों में चोरियां

५२६. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे पर हावड़ा और खड़गपुर के बीच जनवरी-सितम्बर १९५४ के अन्तर्गत चलती मालगाड़ियों में चोरी और ठगी की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) १९५२ और १९५३ के तत्संबादी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :

"राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे चाय (संशोधन) विधेयक, १९५४ की जो ३० नवम्बर, १९५४ को राज्य सभा द्वारा अपनी बैठक में पारित किया गया था, एक प्रति संलग्न करने का निर्देश किया गया है ।"

चाय (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं ३० नवम्बर, १९५४ को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में चाय (संशोधन) विधेयक, १९५४ को सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मद्रास में मैदा की कमी

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : नियम २१५ के अधीन, मैं माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :

"मद्रास शहर में तथा उसके आसपास क्षेत्रों में पिछले दस दिनों से मैदा की कमी और उसके मूल्य में हुई वृद्धि ।"

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : मद्रास शहर तथा उसके आस-पास के उपनगर उस क्षेत्र में हैं जहां नियंत्रण नहीं है और जिसमें राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और भोपाल राज्य सम्मिलित हैं, जहां गेंहूं के संभरण की स्थिति संतोषजनक है और मद्रास के व्यापारी इन राज्यों से अबाध रूप से गेंहूं, आटा बनाने के लिए अथवा मैदा बनाने के लिए खरीद सकते हैं। आयातित गेहूं से तैयार किया हुआ मैदा भी बम्बई, कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों से अबाध रूप से मद्रास में जा सकता है । जहां गैर सरकारी तौर पर बिना किसी रोक टोक के वस्तु

[श्री एम० वी० कृष्णप्पा]

आ जा सकती है वहां संभरण में कमी के अतिरिक्त अन्य कारणों से, मूल्य में अस्थायी चढ़ाव उतार बराबर हुआ करते हैं। अतः मैदा के मूल्य में वर्तमान अस्थायी परिवर्तनों का यह अर्थ नहीं संभरण में कमी है। यथासम्भव कम से कम समय में मद्रास में और मात्रा यथाशीघ्र पहुंच जाय इसके लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं, और वह स्थिति को ध्यान से देख रही है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैंने नियम २१५ के अधीन एक प्रस्ताव की सूचना भेजी थी कि.....

अध्यक्ष महोदय : यदि वह स्वीकृत हो गया है, तो वह यथा समय सभा के समक्ष आयेगा।

सभा का कार्य

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिए समय नियतन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि कल अर्थात् १ दिसम्बर, १९५४ को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसके द्वारा स्वीकृत सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्यों के लिये समय का नियतन आपके समक्ष रखा जाता है।

समिति ने यह सिफारिश की है कि शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४ को सभा की बैठक रखी जा सकती है और उस दिन प्रश्नों का घंटा नहीं होगा। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि यदि समय उपलब्ध हो, तो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर भी विचार किया जायेगा। अब मैं संसद् कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सभा द्वारा इस प्रतिवेदन के अनुमोदन के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखें।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : एक औपचारिक प्रस्ताव रखने के पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कक कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के बाद मैंने सदन नेता से परामर्श किया था। वह बहुत उत्सुक हैं और चाहते हैं कि इस सत्र में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक संयुक्त समिति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिये। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप १८ दिसम्बर, (शनिवार) को सभा की बैठक के किये जाने की अनुमति दें। तभी संयुक्त समिति को उस विधेयक का निर्देश अवश्य होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : वह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर चर्चा के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं होगा। अतः मेरा यह विचार है कि वह अगले सत्र के लिए स्थगित किया जाय, अन्यथा यह बहुत कठिन है।

श्री सत्य नारायण सिंह : छः घंटे हैं। उस दिन प्रश्नों का घंटा नहीं है। फिर, विधेयक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस कार्य के लिये एक दिन और चाहता हूं और शनिवार १८ तारीख इसके लिए आवंटित करना चाहता हूं। किन्तु मेरे विचार से अधिक अच्छी प्रक्रिया यह है कि कार्य मंत्रणा समिति से पुनः सिफारिशें मांगी जायं। मैं समय आवंटित करने के लिए तैयार हूं किन्तु कठिनाई यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय पर विचार नहीं किया है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक के लिए कितना समय आवंटित किया जाय। अतः हम इस सभा में परस्पर तर्क वितर्क करके इस प्रश्न को नहीं निपटा सकते हैं। अतः मेरा यह कथन है कि कार्य मंत्रणा समिति ही इसका निर्णय करे। अब यह

ज्ञात हुआ है कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आ रहा है और यह भी ज्ञात हुआ है कि शनिवार, तारीख १८ का दिन आवंटित किया जायगा और तब कार्यमंत्रणा समिति से यह निवेदन किया जायगा कि वह विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक के लिए अपेक्षित समय निर्धारित करे।

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : प्रस्ताव रखने के पूर्व, कार्य-मंत्रणा समिति के सभापति होने के नाते मेरा यह निवेदन है कि सरकार उपस्थित किये जाने वाले विधेयकों के लिए एक तिथि सारिणी भी निर्धारित कर के यह सम्भव है कि कुछ विधेयकों में हमें रुचि हो और कुछ में न हो। कई समितियों की बैठकें भी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने स पर विचार किया था किन्तु उस रूप में नहीं जिस रूप में कि माननीय सदस्य ने इसे रखा है। मेरे विचार में अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में कम से कम तीन दिन की सूचना दी जायगी।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : वह केवल विनियोग विधेयकों के सम्बन्ध में था, न कि अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय : अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में, मेरा स्वतः यह विचार है कि सदस्यों को यथा सम्भव पूर्व सूचना मिलेगी, किन्तु बात यह है कि सरकार की अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। हम उस पर विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : हम यथा सम्भव माननीय सदस्यों की प्रार्थना को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : औद्योगिक विवाद विधेयक के सम्बन्ध में, हमारे पास विधेयक नहीं हैं हम उसके लिये समय का कैसे आवंटन कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स बात से माननीय सदस्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि जबकभी सरकारी प्रस्थापनायें उनके समक्ष आती हैं, तो न केवल कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य से वरन उन विषयों में रुचि रखने वाले कुछ अन्य सदस्यों से और उस विषय से सम्बन्धित मंत्रियों से उपस्थित रहने के लिए प्रार्थना कीजाती है। उस विधेयक के सम्बन्ध में जो अभी सभा के समक्ष नहीं है, समिति सम्बद्ध मंत्री से यह पूछती है कि विधेयक कौनसा है और उसमें क्या स्थापनाएं होंगी और उस उत्तर के आधार समिति समय आवंटित करती है। इसी प्रकार स विषय में भी कार्य मंत्रणा समिति ने विधेयक की प्रवृत्ति पर विचार किया है और तब यह निश्चय किया है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि यह छोटा विधेयक पहले ही दूसरे सदन द्वारा पारित किया जा चुका है। यह विधेयक वर्तमान अधिनियम में शब्द "बागान" जोड़ने की प्रस्थापना में करता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सभा में ऐसे विस्तारों की चर्चा हो। मैंने केवल इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि कार्य मंत्रणा समिति ने किस प्रकार निर्णय किया था। यह सभा की एक समिति है और अब तक यह अभिसमय रहा है कि समिति के निर्णय पूर्णतः सर्वसम्मत होते हैं। यह बात नहीं है कि बहुमत से निर्णय किये जाते हैं, और इसी कारण मैंने कहा कि अब प्रस्ताव केवल औपचारिक है।

श्री राघवाचारी (पेद्दकोंडा) : क्या इससे मैं यह समझूं कि सरकारी कार्य साधारण तथा उसी क्रम से होगा जो क्रम आप निश्चित

[श्री राघवाचारी]

कर और जब सरकार उसे बदलना चाहे तो कम से कम तीन दिन की सूचना सदस्यों को दी जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यक नहीं है। सभा को केवल एक आभास मिलता है कि इस सत्र में कार्य प्रस्तुत किया जाने वाला है और तब दैनिक कार्य आवश्यकतानुसार रखा जाता है । आवश्यकताओं पर विचार करते समय माननीय सदस्य यह स्मरण रखें कि यह आवश्यक है कि दूसरे सदन को कुछ कार्य दिया जाय और इसलिए आवश्यकताओं में फेरफार करना आवश्यक हो जाता है । कुछ चर्चाएं आशातीत लम्बी हो जाती हैं और कुछ बहुत ही कम हो जाती हैं।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : किन्तु चर्चाओं के पहले ही समाप्त हो जाने पर छुट्टी नहीं होती है ।

श्री टी० के० चौधरी : जहां तक मुझे याद आता है, कुछ समय पहले अध्यक्ष पद की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह जिन विधेयकों को पुरःस्थापित करने का विचार करे उनका कम से कम एक संक्षिप्त विवरण सदस्यों को दिया करे । परन्तु इस सुझाव का अभी तक पालन नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह तो याद नहीं है कि मैंने इस प्रकार का कोई सुझाव दिया था परन्तु यह तो आवश्यक है ही कि सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों की सूचना जल्दी से जल्दी दे दी जाया करे । जैसा कि श्रम उपमंत्री ने बताया है यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है इसलिये यह विधेयक सभा के सामने है।

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : जो विधेयक सभा के सामने आ रहा है उसमें चार घंटे का भी समय नहीं लगेगा क्योंकि यिह विधेयक केवल शब्द "बागान" बढ़ाने के लिये रखा गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस सत्र के समाप्त होने के पहले रेलवे अभिसमय के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे सामने आने को है क्योंकि आगामी वर्ष का आय व्ययक उसी के अनुसार बनाया जायेगा। उसे यहां सम्मिलित भी नहीं किया गया है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक संकल्प अवश्य ही इस सत्र के समाप्त होने के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा । मुझे खेद है कि उसे यहां सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं औपचारिक रूप से संसद्-कार्य मंत्री द्वारा एक नोट कार्य मंत्रणा समिति को भेज दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होता कि यह बात कार्य मंत्रणा समिति के सामने आ गई होती । अब केवल दो शनिवार हैं कोई न कोई सरकारी विधेयक अवश्य ही रह जायेगा। कार्य मंत्रणा समिति को अपनी बैठक करके इन सब बातों पर विचार करना होगा : अब मंत्री महोदय अपना औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा सरकारी विधान कार्य और अन्य कार्य के बारे में कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा नियत किये गये समय से, जिस की घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि यह सभा सरकारी विधान-कार्य और अन्य कार्य के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत किये गये

समय से, जिस की घोषणा आज अध्यक्ष ने की है, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये यह सर्व-समिति से सभा का समय-नियतन आदेश हो गया।

दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनियम, १९२६ में कुछ प्रयोजन के लिये अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनियम, १९२६ में कुछ प्रयोजनों के लिये अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित *करती हूं।

आं राज्य विधान मण्डल (शक्तियो का प्रत्यायोजन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासान हुए।]

यह एक बहुत ही सरल तथा आनुषंगिक प्रकार का विधेयक है। कुछ दिन पूर्व इस सभा ने बहुत वादविवाद के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निकाली गई उदघोषणा का अनुमोदन किया था जिसके द्वारा आन्ध्र सरकार के सारे कृत्य उन्होंने संभाल लिये हैं। संविधान के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल की शक्तियां इस संसद् में निहित होती हैं और यह संसद् राष्ट्रपति को या किसी अन्य प्राधिकारी को उन शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति को उन शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है।

जब से संविधान लागू हुआ है, एक बार पंजाब के तथा दूसरे बार पेप्सू के संबंध में भी इसी प्रकार राष्ट्रपति को उक्त सरकारों के सारे कृत्य अपने हाथ में लेने पड़े थे। पुराने अधिनियमों में तथा इस विधेयक में कुछ अंतर है जिसके संबंध में मैं अभी कहूंगा। परन्तु सार्वभौमिक प्रथा यही रही है कि आरंभ में संसद् को अधिक कष्ट न दिया जाय क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत है और स्थानीय विधियों के लिये स्थानीय जनता के ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिये प्रथा यही रही है कि राष्ट्रपति अधि-नियम बनाते रहते हैं जो राष्ट्रपति के अधि-नियम कहलाते हैं। वे सात दिन तक सभा पटल पर रखे रहते हैं और यदि उन सात दिनों में कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता है जिस के द्वारा उसमें किसी परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया हो तो राष्ट्रपति आवश्यक परिवर्तन करने के बाद नये अधिनियम जारी कर देते हैं। यह उपबन्ध इस विधेयक में भी है। पेप्सू वाले अधिनियम में थोड़ा सा अंतर

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

[डा० काटजू]

था और वह यह था कि राष्ट्रपति अधिनियम बनाने से पहले इस सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित दस सदस्यों तथा दूसरी सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशिक पांच सदस्यों की एक संयुक्त समिति से परामर्श करलें जिस से कि उन को उस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में समुचित परामर्श मिल सके। इस प्रकार के उपबन्ध को इस में भी रखने में मुझे कोई आपत्ति न होती यदि आन्ध्र देश की परिस्थितियां कुछ विशेष प्रकार की न होतीं। आन्ध्र देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद इस प्रकार की समिति से परामर्श लेने का कोई अवसर न ही आवे।

जैसा कि मैं सदन को पहले बता चुका हूं हमारा उद्देश्य यह है कि तीन चार मास में लगभग मार्च के अंत तक आन्ध्र देश के चुनाव इत्यादि समाप्त हो जायें, राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जाये, और विधान मण्डल की यथा रूप रचना होने के बाद मंत्रि-मण्डल बन जावे।

मेरे पास सात आठ विधेयकों की एक सूची है जिनको पुराने अध्यादेशों के व्यवगत हो जाने के कारण पारित करना है। कुछ तो बिल्कुल औपचारिक हैं। उदाहरण के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसके कुलपति मुख्य न्यायाधिपति होंगे भूल से इसमें यह बात रह गई है कि वह मुख्य न्यायाधिपति आन्ध्र देश के हों। इसी भूल का सुधार करने के लिये एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था। कुछ विधेयक बहुत गम्भीर हैं जैसे ज़मींदारी अर्जन तथा भूमि व्यवस्था संरक्षण सम्बन्धी विधि जो कि दो मास पूर्व मद्रास में लागू था। अक्टूबर १९५४ में वह विधि व्यवगत हो गई। परन्तु आन्ध्र में अभी उस विधि की आवश्यकता है, इसलिये एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसी प्रकार के सात आठ अध्यादेश हैं। १० दिसम्बर तक इनको पास करना आवश्यक है। इन विधेयकों के पारित कर देने के बाद मेरे विचार से राज्यपाल को कोई अन्य विधि बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनके सम्बन्ध में जो संशोधन दिये गये हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, परन्तु यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि यदि कोई नया विधान बनाया गया तो मैं किसी भी दल का विचार किये बिना उन सभी सदस्यों को बुलाऊंगा और उन से परामर्श करूंगा जो यहां बैठे हैं और आन्ध्र देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परन्तु कोई समिति नियुक्त करना बहुत कठिन है। पेप्सू में इस प्रकार की जो समिति थी उसके सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि उसके सारे सदस्य पेप्सू के ही हों। उसमें एक दो सदस्य दक्षिण भारत के भी थे क्योंकि उत्तरदायित्व तो सारी संसद् का था। इस सम्बन्ध में मुझे जो आपत्ति है उसका कारण यह है कि आशा की जाती है कि आन्ध्र में राज्यपाल का शासन अधिक से अधिक चार मास तक चलेगा। पेप्सू के मामले में मैंने देखा था कि इस प्रकार की समिति की बैठक बुलाने में ही लगभग तीन सप्ताह का समय लग जाता था यदि संसद् का सत्र हो रहा होता तो यह कठिनाई नहीं होती थी और समिति की बैठक जल्दी बुलाई जा सकती थी। परन्तु दिसम्बर के अन्त में स्थगित होने के बाद फिर संसद् का आगामी सत्र लगभग २० फरवरी तक नहीं होगा। २० फरवरी तक राज्यपाल का शासन स्वयं ही समाप्त हो जायेगा। अनौपचारिक रूप से मैं उन सदस्यों का परामर्श लेने के लिये तय्यार हूं जो इस प्रकार की समिति के सदस्य होने वाले हैं परन्तु इस प्रकार के औपचारिक प्रतिबन्ध के लिये मैं तय्यार नहीं हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो चुका है कि महीने दो महीने तक राष्ट्रपति

के अधिनियम केवल ऐसी समिति के होने के कारण जारी नहीं किये जा सके थे। बस मुझे इतना ही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि सम्भव है कि किसी नये विधान की ज़रूरत न पड़े। जो अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित किये जा चुके हैं उनका अनुमोदन किया जाना है।

डा० काटजू : ये १० दिसम्बर तक पारित हो जाने चाहियें क्योंकि अध्यादेश की अवधि दिसम्बर में समाप्त हो जायेगी। यदि आंध्र विधान सभा ने त्यागपत्र न दिया होता तो ये विधेयक सात आठ नवम्बर तक पारित हो जाते। इस समय किसी समिति से परामर्श लेना असम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें संसद् के उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखना है।

डा० काटजू : इस विधेयक में यह उपबंध है कि जब राष्ट्रपति का अधिनियम पारित हो जायगा तब वह पटल पर रखा जायगा और यदि सात दिन के भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार करने वाला कोई संकल्प पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसका पालन करना पड़ता है। संसद् किसी खाली चैक पर हस्ताक्षर करके नहीं दे रही है। समिति का विचार तो इस अभिप्राय से होता है कि राष्ट्रपति को विस्तृत सूचना प्राप्त हो सके अन्यथा संसद् जो कुछ करती है वही सर्वमान्य है। मेरे माननीय मित्र यदि चाहें तो संशोधन रख सकते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : हम इस विधेयक की प्रगति को नहीं रोक रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि १९५३ के अधिनियम में एक ऐसा खंड है जिसे यहां छोड़ा जा रहा है। माननीय मंत्री चुनाव की तिथि घोषित क्यों नहीं कर देते हैं ?

डा० काटजू : मैंने अनेक बार कहा है कि मैं कोई तिथि निश्चित करके अपने को बंधन में नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि मैं विश्वासघात कर रहा हूं। निर्वाचन फरवरी के मध्य में प्रारम्भ होगा। और मार्च के मध्य तक सब काम पूरा हो जायगा।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि आप विधेयक में ऐसा उपबन्ध कर दें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

डा० काटजू : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। विधेयक का उद्देश्य दूसरा ही है। यह विषय उसमें नहीं आ सकता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब संसद् सर्वप्रधान है तो हम ऐसा क्यों न करें कि हम उन विधेयकों पर विचार करें जिनको पारित करने की अनुमति देने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। संसद् का कार्य ही नियम बनाना है और राष्ट्रपति को यह कार्य सौंपना तो केवल एक अपवाद है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय ऐसे विधेयकों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है।

डा० काटजू : पता नहीं मुझे किस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस विधेयक पर नियंत्रण लगाने का संसद् को कहां तक अधिकार है ?

डा० काटजू : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आन्ध्र देश में राज्यपाल के शासन को लम्बे समय तक रखने का विचार होता तो मुझे समिति बनाये जाने के प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं थी।

मैंने चर्चा में अनेक बार कहा है कि संसद के अनुमोदन से हम फरवरी के मध्य तक

[डा० काटजू]

निर्वाचन करना चाहते हैं। इस से अधिक आप को और क्या चाहिये ? क्या मैं इसे इक़रारनामे पर लिख कर दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "आंध्र राज्य विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्तियां राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री पाटस्कर (जलगांव) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्तियां देना संसदीय प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३५६ की ओर आकर्षित करता हूं जिसके अनुसार राष्ट्रपति आपात के समय किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। किन्तु उसे विधियां बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अनुच्छेद ३५७ में कहा गया है कि यह शक्ति संसद् के प्राधिकार के अन्तर्गत व्यवहार में लायी जायगी। मेरा निवेदन यह है कि ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे के विपरीत सिद्ध हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। अनुच्छेद ३५६ में जो बात कही गई है उसी के स्पष्टीकरण के लिये अनुच्छेद ३५७ बनाया गया है।

श्री पाटस्कर : यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या अब हम अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। पहले विधेयक पर सामान्य चर्चा होगी। विधेयक के लिये चार घंटे का समय निश्चित किया गया है। हम तीन घंटे सामान्य चर्चा के लिये निश्चित करते हैं। आधे घंटे तक विधेयक पर खंडशः विचार होगा और आधा घंटा हम माननीय मंत्री के उत्तर के लिये निश्चित करते हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं इस विधेयक के विरोध में बोलना चाहता हूं। इस विधेयक को पारित करने के लिये जो जल्दी की जा रही है वह एक मनोरंजक विषय है। विधेयक को बड़ा सरल सा बता देने से काम नहीं चलता है। इसके 'कारणों और उद्देश्यों' के विवरण से यह स्पष्ट है कि कारण अत्यन्त सरल दिखाये गये हैं। सरकार ने प्रक्रिया-नियमों के नियम ८८ के अनुसार सभा के सम्मुख ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

हमें तो सरकार से यह आशा थी कि हमें केवल ज्ञापन ही नहीं बल्कि वे विधेयक भी देखने को मिलेंगे जो आंध्र की विधान सभा में प्रस्तावित थे। माननीय गृह-मंत्री ने केवल एक अध्यादेश का उल्लेख किया है जो वेंकटेश्वर विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में है। मैंने "हिन्दू" का एक पृष्ठ देखा था जिसमें आंध्र की विधान सभा में प्रस्तावित अध्यादेशों तथा विधेयकों की लम्बी सूची दी हुई थी। खेद है कि हमारे पुस्तकालय में उनकी प्रतियां तक नहीं हैं अन्यथा हम उन्हें पढ़ कर उनके बारे में कुछ कह सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निदेश दे रहा हूं कि अब से पुस्तकालय में भारत के किसी भी भाग में प्रख्यापित किये गये अध्यादेशों, पारित किये गये विधेयकों और प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों की प्रतियां रखी जायेंगी क्योंकि माननीय सदस्य देश के भिन्न भिन्न भागों से आते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय मंत्री ने उन सब अध्यादेशों को पारित करने पर जोर दिया था अतः न सब के अध्ययन करने का हमें अवसर दिया जाना चाहिये था।

श्री एस० एस० मोरे : इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के निर्णयों का जहां उल्लेख हो वहां सम्बन्धित पृष्ठों का निर्देश किया जाना चाहिये और पुस्तकालय में वे सब निर्णय उपलब्ध होने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस का प्रयत्न करूंगा । अभी विषय दूसरा चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं कह रहा था कि जो आवश्यक पत्रादि हमें उपलब्ध होने चाहियें, उन्हें सरकार ने उपलब्ध नहीं किया है ।

डा० काटजू : इस विधेयक के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मैं सभा पटल पर रख दूंगा और पुस्तकालय में भी भेज ूंगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मरने के बाद डाक्टर के आने से क्या लाभ होगा ?

एक माननीय सदस्य : वह शव-परीक्षा करेगा ।

डा० काटजू : मुझे सदैव गलत समझा जाता है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जब राष्ट्रपति को इस विधेयक के अन्तर्गत शक्ति दी जायेगी तो परिणाम यह होगा कि आंध्र का राज्यपाल उन सब विधेयकों को पारित कर देगा जिनके लिये उसने वहां की विधान-सभा में अपना अभिभाषण देते समय आश्वासन दिया था यह तो निश्चित है कि ये सब विधेयक उस मंत्रिमंडल की नीति के अनुसार बनाये गये हैं जो पराजित हो चुका है अतः इनको पारित करने से पूर्व न पर पूर्णरूपेण विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये उस पराजित दल की ओर से प्रस्तुत किये गये थे जिसे जनता का तिनिधि नहीं कहा जा सकता था । उदाहरण के लिये मद्य-नि ेध को लीजिये । आंध्र में मद्य-निषेध को समाप्त कर देने का प्रस्ताव है सका यह अर्थ है कि वहां ताड़ी पीना पुनः प्रारम्भ हो जायेगा और ग्राम पंचायतें ताड़ी की दुकानों का संचालन करने लगेंगी अतएव इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मुसीबत तो यह है कि विधेयक में के खंड ३ में यह उपबन्ध है कि चाहे संसद् का सत्र हो रहा हो या न हो रहा हो, राष्ट्रपति उन सभी विधेयकों को जिन्हें कि वह आवश्यक समझे पारित कर सकता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इन विधेयकों को संसद् के सन्मुख नहीं रखना चाहती है । तना अवश्य है कि आंसू पोंछने के लिये खंड ४ में यह उपबन्ध किया गया है कि जो भी अधिनियम पारित होगा उसे संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, किन्तु हमें संसदीय कार्य से इतना अवकाश नहीं मिल पाता है कि हम उन पर विचार करें ।

१ म० प०

इसलिये यह सन्देह किया जाता है कि इन सब आश्वासनों पर कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा संसद् को अंधेरे में ही छोड़ दिया जायेगा । माननीय गृह-मंत्री के भाषण से हम सबको यह आशा थी कि पेप्सू समान एक मं णा समिति नियुक्त की जायेगी जो राष्ट्रपति को प्रस्तावित विधानों के सम्बन्ध में मंत्रणा देगी । परन्तु ये सभी आशायें धूल में मिल गईं जब उन्होंने बताया कि वह ऐसा करने की प्रस्थापना नहीं कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि चुनाव शीघ्र ही होंगे परन्तु उनके लिये कोई समय निश्चित नहीं किया । प्रेस से ज्ञात होता है कि चुनाव मार्च के मध्य में होने वाले हैं । मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री चुनावों के समाप्त होने की निश्चित तिथि को बता देंगे । मान लीजिये कि चुनाव शीघ्र होने वाले हैं तब इस विधान को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि शीघ्र ही आन्ध्र विधान सभा बन

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

जायेगी । परन्तु गृह-मंत्री ने जिस प्रकार से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उससे प्रतीत होता है कि वह शीघ्र चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। न तो इस शासन की अन्तिम तिथि के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया है और न ही चुनाव की तिथि के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया है । मैं आन्ध्र में हो रही उथल पुथल को देख रहा हूं । वहा चुनाव बड़ी गंभीरता पूर्वक लड़ा जायेगा तथा यह कोई नहीं जानता कि बाद में आन्ध्र सरकार की क्या स्थिति होगी । चाहे कांग्रेस सत्तारूढ हो अथवा साम्यवादी परन्तु विचार यह करना है कि यदि कांग्रेस अधिक संख्या में सत्ता में नहीं आती है तो क्या साम्यवादियों को सरकार बनाने की अनुमति दी जायेगी । अतः मैं आशा करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक को सभा प्रस्तावित रूप में पारित नहीं करेगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : (चित्तौड़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि विधेयक के परिभाषा खण्ड (अ) में यह दिया हुआ है शब्द "अनुच्छेद" से आशय "संविधान के अनुच्छेद से है।" परन्तु मैं शब्द "अनुच्छेद" को इस समस्त विधेयक में कहीं भी नहीं पाता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की परिभाषा क्यों दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उपयुक्त अवसर पर यदि इस सम्बन्ध में कोई संशोधन है तो उस पर विचार किया जायेगा ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इसका उल्लेख परिभाषा खण्ड के खण्ड (ख) में है । "..... अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन ।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वयं परिभाषा खंड में ही है। माननीय सदस्य ने इसको देखा नहीं होगा

श्री ए० के० गोपालन (कन्ननूर) : मैंने इस विधेयक का प्रारम्भिक अवस्था में ही विरोध किया था क्योंकि मेरे विचार से विधेयक के निर्माता ने इसके द्वारा सभा का पर्याप्त अनादर किया है ।

यह विधेयक उद्घोषणा के पश्चात् हमारे समक्ष आया है । उस समय हमने दो बातों की ओर निर्देश किया था । हमने उस समय कहा था कि आन्ध्र में विधानिक शासन तन्त्र असफल नहीं हुई थी तथा गृह-मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि वह इससे सम्बन्धित कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन हम को नहीं दिखाना चाहते थे कि यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी । मैं इसके अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं । परन्तु जब हम यह नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों किया गया, विधानिक शासनतन्त्र असफल हुआ अथवा नहीं जिसके कारण राष्ट्रपति को ऐसा क़दम उठाना पड़ा, तो इससे हम सन्देह कर सकते हैं कि वह प्रतिवेदन सरकार के पक्ष में नहीं था अथवा वह कुछ इस प्रकार का था जो संसद् सदस्यों तथा जनता से छिपाये जाने योग्य था । आज भी केवल दो व्यक्तियों के वक्तव्यों के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि विधानिक शासनतंत्र के असफल होने की ओर इंगित करता हो ।

दूसरा प्रश्न जिस पर उस दिन चर्चा हुई थी यही था कि विधानिक शासनतंत्र असफल नहीं हुआ था बल्कि जानबूझ कर उसे असफल किया गया था । इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में एक बात बताई गई है :

कि "यदि आन्ध्र राज्य से सम्बन्धित सभी वैधानिक कार्य संसद् द्वारा किये जायेंगे तो इसके लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी जो कि प्राप्य नहीं होगा तथा जिन से अखिल भारतीय महत्व के अन्य कार्यों के पूर्ण होने में विघ्न उत्पन्न होगा ।"

यहां भी यह बताया गया है कि संसद् को यह अधिकार है । केवल कठिनाई यही है कि संसद् के पास समय नहीं है । यदि गृहमंत्री का यह अभिप्राय है तो संसद् को समय निकालना ही पड़ेगा । हम दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिये नौ तथा दस दिन लगा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है । जब हम ऐसी बातों पर नौ तथा दस दिन तक विवाद कर सकते हैं तो क्या सरकार इस कार्य के लिये समय नहीं निकाल सकती है ? जब संसद् का सत्र चालू है तो कम से कम महत्वपूर्ण अध्यादेश उसके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं । संसद् समय निकाल सकती थी । प्रश्न समय का नहीं है; प्रत्युत प्रश्न यह है कि विषय इतना महत्वपूर्ण है अथवा नहीं कि संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय जब जनता के प्रतिनिधि और कहीं नहीं हैं तब कोई विधान केवल कार्यपालिका द्वारा पारित किया जाना प्रजातन्त्र के विरुद्ध है ।

जब संसद् की बैठक न हो रही हो तब भी इन अध्यादेशों को जारी करना आपत्तिजनक है । हमें इसका ध्यान होना चाहिये कि राष्ट्र संघ के किसी भी देश कनाडा, आस्ट्रेलिया, अथवा दक्षिणी अफरीका में ऐसा संविधान प्रचलित नहीं है । इन देशों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर एक दम विधान सभा की बैठक इन कार्यों का अनुमोदन करने के लिये बुलाई जाती है । कार्यपालिका स्वयं ऐसे विधानिक कृत्यों को, जो कि उसमें सम्बन्धित नहीं हैं, नहीं कर सकती है । परन्तु हमारे लोकतन्त्रात्मक संविधान में इसकी व्यवस्था है ।

मेरे पास अध्यादेशों की कुछ प्रतिलिपियों हैं । सबसे पहला ज़िला बोर्डों के चुनावों के सम्बन्ध में है, कि क्या इन चुनावों को छः माह तक लम्बित करना चाहिये अथवा नहीं । यदि विधान सभा की यह सम्मति है कि ज़िला बोर्डों के चुनाव होने चाहियें तो वह शीघ्र होने चाहियें । केवल जनता के प्रतिनिधि ही आन्ध्र की वर्तमान स्थिति देखते हुए सम्मति देने के उपयुक्त है कि ये चुनाव छः माह तक लम्बित किये जाने चाहियें अथवा नहीं । बिना विधान सभा की अथवा जनता की सलाह लिये, कार्यपालिका ने ज़िला बोर्डों में परिवर्तन कर दिये हैं ।

दूसरे अध्यादेश मोटर बसों पर अधिभार लगाये जाने के सम्बन्ध में है । यदि यह अधिकार कार्यपालिका ने अपने हाथों में ले लिया तथा जनता की अथवा विधान सभा की स्वीकृति नहीं ली तो निस्सन्देह यह जनतन्त्र के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । अगला अध्यादेश कर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है । कर बढ़ाने का कार्य कार्यपालिका को नहीं करना चाहिये इसको तो केवल जनता ही कर सकती है । जनता के प्रतिनिधियों की सम्मति अवश्य ली जानी चाहिये तथा कर बढ़ाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया जाना चाहिये । प्रश्न पर जनता के प्रतिनिधि चर्चा कर के यह निश्चित करें कि क्या कोई कर होना चाहिये तथा यदि होना चाहिये तो कितना होना चाहिये ।

तीसरे अध्यादेश कर की छूट के सम्बन्ध में है । एक अध्यादेश कर लगाने के लिये है तो दूसरा कर की छूट देने के सम्बन्ध में है । इन सभी अध्यादेशों की इस मास की ११ तारीख तक है । इनके समाप्त होने के पश्चात् पहले कार्यपालिका इन विषयों को तय करेगी तत्पश्चात् वह हमारे समक्ष आयेंगे, तथा हमारे समक्ष भी वह तब आयेंगे जबकि संसद् की बैठक हो रही होगी तथा संसद् केवल उनमें कुछ सुधार ही कर सकती है । मूल विधान के विरुद्ध हमें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस अधिनियम को विधान सभा समाप्त नहीं कर सकती है ? यह विधेयक में दिया हुआ है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

"प्रत्येक अधिनियम जो कि राष्ट्रपति उपधारा (२) के अधीन अधिनियमित करेंगे ; अधिनियमित किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

संसद्, उपधारा (३) के अधीन अधिनियम के सभा में रखे जाने के दिन से, सात दिनों के भीतर एक संकल्प के द्वारा अधिनियम में कोई भी रूपभेद किये जाने का आदेश दे सकती है तथा इस प्रकार के रूपभेदों को राष्ट्रपति उपधारा (२) के अधीन एक संशोधित अधिनियम को अधिनियमित करके लागू करेंगे।"

क्या वह यह कहना चाहते हैं कि इन रूप भेदों का अर्थ सारे अधिनियम को समाप्त कर देना नहीं है ?

श्री ए० के० गोपालन : यहां केवल रूपभेदों का ही वर्णन है तथा अधिनियम की वैधता आदि के सम्बन्ध में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये पहले किये गये कार्यों के सम्बन्ध में है । क्या इन रूपभेदों के द्वारा आप यह कह कर कि इसे पारित नहीं किया जाना चाहिये इस अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकते हैं ?

श्री ए० के० गोपालन : परन्तुक में दिया हुआ है कि "परन्तुक इस उप-धारा की कोई बात अधिनियम की अथवा उसके इस प्रकार संशोधित किये जाने से पूर्व इसके अन्तर्गत किये गये किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरा विषय है । परन्तुक के अनुसार संसद् का संकल्प केवल उन कार्यों को छोड़ कर जो कि किये जा चके हों, भूतलक्षी प्रसाद से लागू नहीं होगा 'विधेयक के अनुसार संसद् के क्या अधिकार हैं । खंड ३ (४) कहता है :

"संसद्, उपधारा (३) के अधीन अधिनियम के सभा में रखे जाने के दिन से, सात दिनों के भीतर एक संकल्प के द्वारा अधिनियम में कोई भी रूपभेद....."

मैं जानना चाहता हूं कि इसके द्वारा संसद् को समस्त अधिनियम की स्वीकृति न देने से बाधित करता है ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधान को लागू कर सकते हैं । मान लीजिये कि १ जनवरी को वह एक विधान लागू करते हैं । बाद में वह संसद् के समक्ष आता है परन्तु इतने ही समय में इस के अन्तर्गत कोई कार्यवाही कर ली जाती है । उसको उसके प्रख्यापन की तिथि से निरसित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यदि सभा इस अधिनियम को भविष्य में लागू रहने देने के पक्ष में न हो तो वह एक संशोधन के द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि अमुक तिथि से इसे समाप्त किया जाता है । खण्ड ३ के उपखंड (४) का परन्तुक किये जा चुके कार्य का कुछ बचत कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह दूसरा विषय है । यदि अधिनियम को निरसित किया जाये तो भी जो कार्य उसके द्वारा हो चुका हो उसे वैध समझा जा सकता है ।

श्री रघुरामैया : यह बच जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु रूपभेद का क्या अर्थ है ? अधिनियम को लागू रहा समझा जाता है तथा उसमें रूपभेद किये जाते हैं

सारा अधिनियम निरसित नहीं किया जाता है।

श्री रघुरामैया : सारे अधिनियम को ऐसे एक संशोधन के द्वारा कि अमुक तिथि से यह लागू नहीं रहेगा, निरसित किया जा सकता है। संसद् ऐसा संशोधन पारित कर सकती है।

डा० लंका सुन्दरम् : संसद् किसी भी अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित नहीं कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कर सकती है। इसके लिये कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ए० के० गोपालन : इस विधेयक का विरोध करने के मेरे दो कारण हैं। पहला यह कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यह अवांछित है। दूसरे जब संसद् की बैठक हो रही हो तब भी कार्यपालिका को संसद् के अधिकारों का प्रत्यायोजन करना बिल्कुल गलत है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये या नहीं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले मास की १९ तारीख को इस सभा ने वाद-विवाद के पश्चात् राष्ट्रपति की उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया था। परन्तु मैं माननीय गृहमंत्री के कुछ वक्तव्यों की आलोचना करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक सीधा साधा है तथा जबसे संविधान पारित हुआ तबसे इसे काम में लाया जा रहा है। १ फरवरी १९५१ को तथा बाद में १९५३ में इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किये गये। जैसा कि आप जानते हैं पर्याप्त वाद-विवाद के पश्चात् एक संविधानिक व्यवस्था स्थापित की जा सकी। मैं १९५१ में श्री राजगोपालाचार्य तथा १९५३ में डा० काटजू तथा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा दिये गये वक्तव्यों के कुछ उद्धरण मैं देता हूं।

जब गृह मंत्री ने इस प्रस्ताव को विचार के लिय प्रस्तुत किया था तो स विधेयक के पारण के सम्बन्ध में तथा पेप्सू अधिनियम के कुछ प्रभावी भागों के सम्बन्ध में कुछ उलझन पैदा करने की चेष्टा की गई थी। मैं दोनों के अन्तर को बता देना चाहता हूं जिससे यह उलझन दूर हो जाये।

१९५१ में इस सम्बन्ध में चार दिन तक वाद विवाद हुआ था। वास्तव में १६ अगस्त १९५१ के श्री राजगोपालाचार्य ने इसे स्थगित करना चाहा था जिससे कि आपस में कोई समझौता हो जाये।

चार दिन की लम्बी बहस के पश्चात श्री राजगोपालाचार्य ने किसी संविधानिक सुरक्षा की, जो कि इस सभा तथा पंजाब की जनत्व के लाभ के लिए अपेक्षित हो आवश्यकता को स्वीकार किया था। १७ अगस्त १९५१ को उन्होंने कहा था कि :

> "सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार जो कार्यवाही करना चाहती है उससे माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयां काफ़ी कम हो जायेंगी।"

उस समय भी आप अध्यक्ष पद पर आसीन थे तथा आपको याद होगा कि यह आशंका प्रकट की गई थी कि सभी प्रकार के अधिकारों के एक व्यक्ति को दे देने से जनता के अधिकारों तथा लाभों पर आघात होगा। खंड ३ के उपखंड (३) तथा (४) के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया था कि सभी अधिनियम तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले संसद् के संकल्प सभा पटल पर रखे जायेंगे।

पंजाब अधिनियम के पश्चात् समिति नियुक्त करने का प्रश्न आया था, तथा पेप्सू अधिनियम में इसकी अधिक आवश्यकता समझी गई थी। मेरे विचार से माननीय मंत्री ने विधेयक को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं

[डा० लंका सुन्दरम्]

किया है क्योंकि उसमें पेप्सू अधिनियम से विभिन्नतायें हैं जो नहीं होनी चाहियें थीं।

३० अप्रैल, १९५३ को डा० काटजू ने कहा था :

"मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता । डा० मुखर्जी ने बताया था कि १९५१ में भी स प्रकार की सलाह ली गई थी। श्री राजगोपालाचार्य ने माननीय सदस्यों से सलाह ली थी तथा यदि इस विधेयक में भी हम यह उपबन्ध कर देते हैं तो कोई हानि नहीं होगी।"

सके पश्चात् श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने यह वक्तव्य दिया था :

"राज्य का शासन लेने से जो कार्यभार तथा उत्तरदायित्व संसद् पर आता है उसमें इसको बचाने के लिये राष्ट्रपति ने यह अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं। संसद् यह निश्चित कर सकती है कि अमुक मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति अधिनियम का कर सकता है तथा अमुक के सम्बन्ध में संसद् यह कार्य करेगी। राष्ट्रपति एक प्रकार से संसद् के एजेण्ट होंगे इसलिये यह कहना कि संसद् कुछ अधिकार अपने लिये नहीं रख सकती गलत है।"

"राष्ट्रपति को अधिकार दिये जाने के पश्चात् क्या उनको प्रतिवाधित तथा नि त्रित भी किया जा सकता है ? इस प्रश्न पर ोनों पक्षों से बहस की जा सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि माननीय मंत्री से यह आश्वासन लिया जाये कि प्रस्तावित समिति से मंत्रणा ली जायेगी।"

दो प्रश्न उठते हैं। अनुच्छेद ३५६ तथा ३५७ को अलग रख कर हमें विचार करना चाहिये कि पेप्सू के समान एक समिति क्यों न नियुक्त कर दी जाये। इस सम्बन्ध में मैं एक संशोधन बाद में प्रस्तुत करूंगा।

१९ नवम्बर के मेरे भाषण में डा० काटजू ने बार बार रुकावट डाली थी। मैंने प्रश्न किया था कि क्या वह समिति नियुक्त करने के पक्ष में थे और उन्होंने १९ नवम्बर को उत्तर दिया था

कि "मैं अगले सप्ताह यह बताऊंगा ; मुझे तिथियों को देखना पड़ेगा।" अब मैं अपने माननीय मित्र गृहमंत्री से पूछता हूं २६ नवम्बर को वह सप्ताह समाप्त हो चुका है उनका उत्तर क्या है। (**अन्तर्बाधा**)। मुझे खेद है कि मैं माननीय मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि वह जब भी चाहते हैं वक्तव्य दे देते हैं तथा जब चाहते हैं वापस ले लेते हैं। मेरा विचार यह नहीं है कि वह जान बूझ कर ऐसा करते हैं। आज भी जो कुछ उन्होंने कहा वह बिल्कुल अस्पष्ट है। वह कहते हैं कि सामान्य निर्वाचन फरवरी के मध्य तक होंगे, फिर उन्होंने कहा कि मार्च के मध्य तक होंगे और बाद को कहा कि मार्च के अन्त तक होंगे। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि विधान सभा कब समवेत होगी और गवर्नरी शासन कब समाप्त होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भाग 'क' के राज्य का प्रशासन केवल एक व्यक्ति को सौंपा जा सकता है और क्या संसद् को यह देखने का कि प्रशासन कार्य कैसे चल रहा है कोई अवसर न दिया जाये ?

एक और उलझन अभी है। आपको स्मरण होगा कि हाल ही में परिसीमन आयोग का आन्ध्र राज्य सम्बन्धी अन्तिम आदेश प्रख्यापित किया गया है। मैं उक्त परिसीमन आयोग

का एक सह-सदस्य हूं अन्तिम आदेश की आलिप्तियों को मैं जानता हूं। भारत के प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्र को ऐसा बदल दिया गया है कि उसे पहिचानना कठिन है, और इस सभा में आन्ध्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सदस्यों को वहां से पत्र प्राप्त हुए हैं कि निर्वाचक नामावलियों का छापना इतना कठिन हो गया है कि परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश को उतनी शीघ्रता से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है जितनी शीघ्रता से कि वह जनता को उपलब्ध हुआ था। बिना निर्वाचक नामावलियों के न तो उम्मेदवार ही कोई निश्चय कर सकते हैं और न निर्वाचक ही यह निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये। अतः मैं गृह मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि कहीं बाद को आन्ध्र सरकार या भारत सरकार यह न कहे कि क्योंकि आन्ध्र के प्रेस निर्वाचक-नामावलियों के छापने का कार्य पूरा नहीं कर सके हैं इसलिये परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का समुचित परिसीमन नहीं किया जा सकता है और इस कारण चुनाव फ़रवरी के मध्य तक किये जा सकते हैं। यह संसद् आन्ध्र देश के प्रति अपने दायित्व की अपेक्षा नहीं कर सकती है और इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह पैप्सू अधिनियम (१९५३ का २२वां) की धारा (२) के पैरा (२) के पुनः निगमन पर सहमत हो जायें। जिस संशोधनकी सूचना मैंने दी है उसकी विषय-वस्तु प्रायः यही है। इसमें समिति की नियुक्ति के विषय में नियोगीय उपबन्ध हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस समिति की नियुक्ति में कठिनाई क्या है? उक्त समिति में इस सभा के तथा राज्य सभा के सदस्य ही तो होंगे, फिर कठिनाई क्या है।

एक और बात भी है। मान लीजिये कल हीं आन्ध्र में कोई आपाती स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिये कि आन्ध्र का राज्यपाल एक अध्यादेश प्रख्यापित कर देता है, तो आन्ध्र के निवासियों के लिये क्या रास्ता रह जाता है? संसद् इसमें कहां आती है? संसद् उस समयतक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि गृह-मंत्री की समय-सारिणी के अनुसार चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, मैं पेप्सू जैसी एक समिति की नियुक्ति चाहता हूं पैप्सू की समिति भी इसी संसद् द्वारा गत वर्ष पारित किये गये एक अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अध्यादेश बाधित नहीं है? क्या इसके पश्चात् राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है? वह तो केवल राष्ट्रपति का अभिकर्त्ता मात्र है।

श्री एस० एस० मोरे : इस उद्घोषणा से उसकी समस्त शक्तियां निलम्बित हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए इनमें से बोर्ड भी कोई अध्यादेश पारित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे संसद् का सत्र हो रहा हो अथवा न हो रहा हो।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं यह बात उठाऊंगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार वर्तमान विधान से बाधित नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधान के बिना उसे अधिकार नहीं है.....

श्री एस० एस० मोरे : राजप्रमुख को संविधान के अनुच्छेद २३० के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है—किन्तु उद्घोषणा के अनुसार .....

उपाध्यक्ष महोदय : उद्घोषणा द्वारा तो अनुच्छेद २१३ को भी निलम्बित किया जा सकता है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि उद्घोषणा में यह अनुच्छेद भी निलम्बित कर दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे केवल राष्ट्रपति के एक अभिकर्त्ता के रूप में कुछ करने का अधिकार है अन्यथा नहीं ।

डा० लंका सुन्दरम् : खैर, यह बात बहुत सीधी सी है । एक समिति बनाने से सरकार की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं होगा । पैप्सू के बारे में एक ऐसी ही समिति बनी हुई थी । मैं माननीय गृह-मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इस समिति के बारे में कोई सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं समझते तो खंडवार विचार के समय उन्हें अपनी राय बदल लेनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हमें कोई तारीख दी जायेगी । इसीलिए मैंने अभी हस्तक्षेप किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समिति गठित की जाती है तो तारीख आवश्यक नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् : दो प्रारम्भिक समस्यायें हैं । पहले तो कोई विशेष तारीख निश्चित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के कथन से हम यह समझते हैं कि शीघ्र ही निर्वाचन होगा । यदि निर्वाचनों में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन अथवा सूचियों की तैयारी के कारण विलम्ब भी हो जाये तो डा० लंका सुन्दरम् ने जैसे कहा है, समिति आवश्यक होगी । यदि विलम्ब न हुआ तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं ।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि विलम्ब न हुआ तो समिति तोड़ दी जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि विलम्ब भी हो जाये, तो समिति के सदस्य उसे देख सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : जैसा कि पैप्सू में किया गया था ।

श्रीमान् मैं अधिक समय नहीं लूंगा । आप भी आंध्र के सम्बन्ध में उतना ही जानते हैं जितना कि मैं । माननीय गृह-मंत्री ने घोषणा की है, कि निर्वाचन फरवरी तक हो जायेंगे, किन्तु आंध्र के निर्वाचन आयुक्त के वक्तव्य से इस बात की पुष्टि नहीं होती ।

उपाध्यक्ष महोदय : परिसीमन आयोग की प्रस्थापनायें मान ली गई थीं । इसके बाद नई निर्वाचक सूचियां तैयार की जाती हैं अतः २० फरवरी से पूर्व निर्वाचन नहीं हो सकेगा, और इस परिस्थिति में माननीय सदस्य का विचार है कि स्पष्टतः इन विधेयकों पर संसदीय समिति विचार कर सकती है, क्योंकि संसद् रोज़ रोज़ इन पर विचार नहीं कर सकती है ।

डा० लंका सुन्दरम् : जैसा कि पैप्सू के बारे में किया गया था । मेरी प्रार्थना केवल यह है कि गृह-मंत्री की घोषणा की पुष्टि कुरनूल के निर्वाचन आयुक्त के वक्तव्यों से नहीं होती है । और साथ ही संसद् निर्वाचनों पर नियंत्रण नहीं कर सकती क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संविहित निकाय है और संसद् के क्षेत्राधिकार से बाहर है । अतः यद्यपि मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं तथापि मैं इसका समर्थन करने का निश्चय नहीं कर रहा हूं । मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि वे कोई निश्चित तिथि बतायें और समिति के गठन से सहमत हो जावें । समय की घोषणा से आंध्र के लोगों की आशंकायें दूर हो जायेंगी । और राज्यपाल लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकेगा ।

श्री रघुरामया : श्रीमान् डा० लंका सुन्दरम् तो अधिक चतुर व्यक्ति हैं, और हमें अब इस बात का ज्ञान हुआ है । वे माननीय गृह-मंत्री से निर्वाचन की तारीख बताने को बार बार कहते रहे हैं । हमें भी

डा० लंका सुन्दरम् जितनी ही उत्सुकता है। मेरे विचार में, डा० लंका सुन्दरम् को यह पता है कि निर्वाचन की तारीख निर्वाचन आयुक्त द्वारा ही निर्धारित की जाती है और उसे गृह-मंत्री निश्चित नहीं करते।

आज आप गृहमंत्री को निर्वाचन की तारीख बताने पर जोर दे रहे हैं और कल आप कहेंगे कि यह संविधान के विरुद्ध है क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संविहित निकाय है। विधि के अनुसार निर्वाचन आयुक्त ही तारीख निर्धारित कर सकता है। अतः बार बार गृह-मंत्री से यह पूछना व्यर्थ है।

डा० लंका सुन्दरम् : उन्होंने यहां पर तारीख बताई है।

श्री रघुरामैया : मैंने आपको आपके चातुर्य के लिए श्रद्धांजलि तो दे दी है, किन्तु आप वास्तव में चतुर नहीं हैं।

श्रीमान्, मैं कह रहा था कि संविधान के अनुसार गृह-मंत्री तारीख निश्चित नहीं कर सकते। पिछली बार भी मैंने यह कहा था कि वह मामला डा० लंका सुन्दरम् और गृह-मंत्री के बीच का नहीं है। हम सभी लोग शीघ्र निर्वाचन कराना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के शासन से प्रसन्न नहीं है।

वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। श्री ए० के० गोपालन ने कहा है कि वहां केवल एक दल संकट में पड़ा है। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आंध्र में एक दल का मामला नहीं था। हो सकता है कि दल के एक या दो सदस्यों ने विरोध में मत दिये हों और प्रत्येक दल में ऐसे व्यक्ति रहते ही हैं। इसके पश्चात् मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और वहां के राज्यपाल ने देखा कि कोई अन्य दल वहां का शासन नहीं चला सकता। अतः उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी। अतः यह एक संवैधानिक संकट था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या माननीय सदस्य के पास राज्यपाल के परामर्श की प्रति है। यह तो एक गोपनीय वस्तु होती है।

श्री रघुरामैया : मैं तो हर समय अपनी आंखें खोले रखता हूं। यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में ज्ञान नहीं, तो वे मेरी बात को वेद-वाक्य समझें।

श्री ए० के० गोपालन : हमें तो पता लगा था कि उसी प्रतिवेदन के आधार पर उद्घोषणा जारी की गई है और श्री रघुरामैया की राय पर नहीं, इसीलिए इससे यह पूछा था ?

श्री रघुरामैया : मुझे किसी बात के कहने के लिए किसी के प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस विषय पर केवल अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

श्री ए० के० गोपालन : वह तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के बारे में पूछ रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री रघुरामैया : श्रीमान्, श्री ए० के० गोपालन ने इस प्रतिवेदन की ओर निर्देश किया है। पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि प्रतिवेदन को बताना आवश्यक नहीं है। मुझे स्मरण है कि मैंने इस सम्बन्ध में संविधान से भी कुछ उल्लेख किया था। अतः अब उस प्रश्न में दोबारा जाना आवश्यक नहीं है।

श्री गोपालन इस विधेयक में अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति कर रहे थे। उनका अभिप्राय सम्भवतः यह है कि राष्ट्रपति की बजाय संसद् ही अधिनियम बनाने का सारा काम अपने हाथों में ले ले और फिर उनमें सदस्यों द्वारा संशोधन आदि भी रखे जायें। किन्तु संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार

[श्री रघुरामैया]

विधायन कार्य राष्ट्रपति ही करेगा । हमारे पास तो पहले ही काम अधिक है और किसी राज्य के छोटे छोटे मामलों पर विचार से हमें और भी कठिनाई होगी । इसीलिए यह अधिकार राष्ट्रपति को दिये गये हैं । मुझे विश्वास है कि संविधान के महापंडित श्री मोरे मेरी बात का समर्थन करेंगे क्योंकि इसको अनुच्छेद ३५७ के साथ पढ़ने से, यह भी आवश्यक नहीं है । यह ठीक है कि यह वांछनीय है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है । संसद् राष्ट्रपति को कोई भी विधान बनाने के अधिकार दे सकती है ।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपनायी गई प्रक्रिया गलत है, किन्तु संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी विधेयक आदि को सभा पटल पर रखा जाये । उद्देश्यों और क्षेत्र और इस संसद् की गरिमा के अनुरूप यही है कि हमें यह विश्वास होना चाहिये कि राष्ट्रपति जो करेंगे उसका यह सभा पूर्ण रूप में अनुमोदन करेगी । अतः यद्यपि अनुच्छेद ३५७ (१) (क) के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है किन्तु फिर भी यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार इसे सभा पटल पर रख देती है ।

डा० लंका सुन्दरम् : आप विधेयक पर बोलें ।

श्री रघुरामैया : मैं विधेयक से परे नहीं गया । मैं विधेयक के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं । मुझे पता है कि डा० लंका सुन्दरम् के हृदय में केवल समिति की ही बात है । मैं भी एक समिति की आवश्यकता पर उनसे सहमत हूं । किन्तु गृह-मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि निर्वाचन फरवरी में हो जायेंगे । यह ठीक है कि गृह-मंत्री को तारीख निश्चित करने का अधिकार नहीं है किन्तु मुझे आशा है कि वह अपने प्रभाव से अवश्य ही फरवरी तक निर्वाचन होने का विश्वास दिलायेंगे ।

यह सत्र दिसम्बर के मध्य में स्थगित होगा और हम सभी लोग निर्वाचनों में लगे होंगे और इतने थोड़े समय के लिए मैं एक संविहित समिति की आवश्यकता नहीं समझता, हां, यदि निर्वाचन फरवरी के बाद होंगे, तो मैं भी यह बात कहूंगा कि आंध्र के लिए अवश्य ही एक संविहित समिति बनाई जाये । किन्तु मुझे आशा है कि माननीय गृह-मंत्री एक तदर्थ समिति के लिए अवश्य ही सहमत हो जायेंगे, जो कि राष्ट्रपति अथवा इस सभा को विधान कार्य के संचालन के बारे में सलाह देती रहे । विरोधी दल के सदस्य भी अनौपचारिक विचार-विमर्श से सहमत ही होंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि वह संविहित समिति को क्यों पसन्द नहीं करते ।

श्री रघुरामैया : मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूं । मैं ऐसी समिति नहीं चाहता जिसकी बैठक भी न हो सके ।

डा० लंका सुन्दरम् : आप सचेतक की इच्छानुसार कह रहे हैं ।

श्री रघुरामैया : मैं सदैव अपने विचार स्वतन्त्र रखता हूं । मैंने पहले ही कहा था कि यदि निर्वाचनों के फरवरी के बाद होने की सम्भावना होगी तो मैं भी उनकी बात का समर्थन करूंगा ।

मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें विश्वास दिलायें कि रुचि रखने वाले सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया जायेगा । मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक संविधान के पूर्णतः अनुकूल है और मुझे इसका समर्थन करने में प्रसन्नता है ।

डा० जयसूर्य : मैं भी चाहता था कि मुझे भी श्री रघुरामैया की भांति पूरा पूरा

विश्वास होता । किन्तु हमें कुछ चिन्ता है, क्योंकि उद्घोषणा के बाद हमें बताया गया कि राज्यपाल के प्रतिवेदन से ही राष्ट्रपति संतुष्ट हो गए । हमें उनकी सन्तुष्टी के कारण नहीं बताये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातें समझने वाली हैं । उद्घोषणा तो निश्चित तथ्य है ही । ऐसी बातें तब कही जानी चाहिएं थीं जब उद्घोषणा अनुमोदित होने के लिये सभा के सम्मुख आई थी । उस समय राज्यपाल के प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखे जाने के बारे में प्रश्न उठा था, किन्तु अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री की बात स्वीकार की थी कि यह एक गोपनीय लेख है । किन्तु उसके होते हुए भी संसद् को यह निश्चय करने का अधिकार है कि राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिए जायें । सभा के सामने यही सीधी सी बात है ।

डा० जयसूर्य : ठीक है, मैं इस सम्बन्ध में नहीं कह रहा, किन्तु मैं तो गोपनीयता के बारे में बात कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात तो इस समय संगत नहीं है । बात केवल यह है कि क्या संसद् की ओर से राष्ट्रपति को विधान बनाने का अधिकार दिया जाये ।

डा० जयसूर्य : उदाहरण के रूप में आंध्र सरकार ने कई अध्यादेश जारी किए हैं, जिन्हें अधिनियम बनाया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यादेश सरकारी गज़ट में प्रकाशित हुए होंगे ।

डा० जयसूर्य : इस सभा को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए कहा जा रहा है, जिनके सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं है । यह उचित प्रक्रिया का प्रश्न है । इसीलिए हमने कहा था कि पैप्सू अधिनियम के समान ही एक समिति बनाई जाये । गृह-मंत्री को निर्वाचनों की तारीख निश्चित करने का भी अधिकार नहीं है । उदाहरणस्वरूप, उन्होंने २९ नवम्बर, १९५४ को राज्य सभा में वक्तव्य दिया था । उसमें कहा गया है कि राज्यपाल तीन मास तक काम जारी रखेंगे और फिर फरवरी में निर्वाचन होंगे ।

हमें एक बात स्पष्ट नहीं है कि क्या यह निर्वाचन पुराने क्षेत्रों में होंगे, अथवा नये परिसीमित क्षेत्रों में होंगे । यदि ये परिसीमित क्षेत्रों में हुए, तो हमें गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस पर आप कह सकेंगे कि कई प्रविधिक कारणों से हमारी पूरी इच्छा होते हुए भी हम निर्वाचन समय पर नहीं करा पाये । यदि हम पहले वाले उदाहरण को स्वीकार कर लें तो उसमें क्या हानि होगी । यह ठीक है कि आप निर्वाचनों के बारे में आशावादी तो हैं किन्तु आपको कोई निश्चित विश्वास तो नहीं है । तो संसद् इस स्थिति का सामना कैसे करेगी ? क्या हम सारा सफलता या असफलता का भार एक या दो व्यक्तियों के कंधों पर डाल दें ।

प्रत्येक वस्तु अस्पष्ट है । हम लोग जो आंध्र से या निकट के राज्यों से सम्बन्धित हैं, इन कठिनाइयों को समझते हैं, और इसी कारण से हमारा विचार है कि एक समिति अवश्य ही बनाई जानी चाहिए । उसके लिए हमारे सामने एक उदाहरण भी है । यह समिति संविहित हो और तदर्थ न हो । मैं इस बात को किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, और मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण सामग्री से संसद् वंचित हो जायेगी । माननीय मंत्री को समझ लेना चाहिये कि वास्तव में बहुत देर से आंध्र में एक भ्रम फैला हुआ है और जब तक वहां के लोगों को यह विश्वास न होगा कि उनकी देखभाल के लिए एक समिति है, तब तक उनका भ्रम दूर न होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आंध्र की वर्तमान अवस्था के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता,

[श्री एस० एस० मोरे]

क्योंकि मुझे उनका कोई ज्ञान नहीं है, किन्तु संविधान का विद्यार्थी होने के नाते, मैं सरकार की संविधान लोकतन्त्रात्मक उपबन्धों का उल्लंघन करने और सारे अधिकारों को एक ही व्यक्ति में केन्द्रित करने की चाहे वह कितना ही महान् व्यक्ति क्यों न हो, लगातार कोशिशों से बड़ा परेशान हुआ हूं। इससे देश में १८५५ से पूर्व की स्थिति पैदा कर दी गई है, जबकि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी की मंत्रणा से सारे देश के लिए विधान बनाता था। अपने संविधान के अनुच्छेद ३५७ के अधीन, राष्ट्रपति का भी वही रूप है और प्रधान मंत्री तथा उसका मन्त्रिमण्डल उसको परामर्श देने वाले हैं। यह तो मैं जानता हूं कि अनुच्छेद ३५७ संवैधानिक उपबन्ध है, परन्तु विचारणीय यह है कि क्या वह लोकतन्त्रात्मक प्रथाओं के अनुकूल हैं। मंत्रिगण इस खंड का उल्लेख करके कि संसद् सात दिन के अन्दर संकल्प पारित करके राष्ट्रपति के कार्यों के सम्बन्ध में निरन्तर सतर्क रहती है यह तर्क उपस्थित कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य लोक-सभा के अधीन हैं। किन्तु विभिन्न उपबन्धों का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि निरीक्षण का यह कार्य नाम मात्र को रह गया है। पेप्सू अधिनियम, १९५३ के खण्ड ३ के उपखण्ड (४) के अधीन प्रत्येक सभा को यह अधिकार है कि वह अधिनियम को उसके समक्ष रखे जाने के सात दिन के अन्दर किसी विधान पर संशोधन कर सकती है। एक सभा के द्वारा सात दिन तक विचार किये जाने के बाद, दूसरी सभा उस संकल्प की पुष्टि कभी भी कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां तक अवधि सीमा का सवाल है, पेप्सू विधान इस सम्बन्ध में अधिक उदार था, किन्तु यहां पर दोनों सभायें जोड़ दी गई हैं और दोनों सभाओं को सात दिन के अन्दर ही यह संकल्प पारित करना है। इतनी कम अवधि में संकल्प पर दोनों सभाओं में विचार किया जाना, और उसका स्वीकृति पाना नितान्त असम्भव प्रतीत होता है। इसी दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि संशोधन सम्बन्धी हमारा अधिकार नाममात्र का रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामास्वामी ने अभी मेरे पास एक संशोधन भेजा है। यह शब्दशः पेप्सू अधिनियम के अनुसार है। सत्र के दौरान में प्रत्येक सदन को सात दिन दिये जायेंगे। सरकार इस पर सहमत हो गई है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं सरकार से यह रियायत लेना नहीं चाहता। मेरा तात्पर्य तो केवल यह दिखाना है कि हमारे संवैधानिक लोकतन्त्र का वास्तविक रूप क्या है। संसद् का कोई महत्व नहीं रह गया है। हमको एक प्रकार से हाराकीरी (आत्महत्या) करने को कहा जाता है। लोकतन्त्र का वास्तविक अर्थ तो यह था कि सभा के सारे प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण रूपेण चर्चा के बाद कोई विचार पारित होना चाहिए, परन्तु वर्तमान विधान के द्वारा लोकतन्त्र के उस सिद्धान्त का उल्लंघन किया जा रहा है। लोकतन्त्र का यही अर्थ है। उपबन्धों में रूपभेद करने का यह अधिकार क्या है? हम सभा के अधिकारों के लिए अनुरोध करते हैं इसलिए यह खंड निविष्ट करके हमें परितुष्ट किया गया है जिसका सर्वथा कोई प्रभाव नहीं है और जिसका प्रवर्तन भी कठिन होगा। खण्ड ३ के उपखण्ड (४) के अधीन सरकार को कुछ रूपभेद करने के लिये कुछ समय नियत करना चाहिये था। इस सभा की एक समिति बनाई जाय, चाहे वह परामर्शदात्री समिति हो अथवा प्रवर समिति हो। वह समिति विषय की जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उस प्रतिवेदन को बिना चर्चा के ही स्वीकार कर लिया जायेगा। मैं पेप्सू अधिनियम समिति को मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि उस के लिये इस विधान को पारित करना पड़ेगा। आपको पहले विहीदित

है कि समितियों, जैसे नियम समिति, गैर सरकारी विधेयकों सम्बन्धी समिति इत्यादि, के प्रतिवेदनों को सभा के समक्ष रखा जाता है और उन्हें प्रायः बिना चर्चा के ही स्वीकार कर लिया जाता है। इससे सभा अपने विधान सम्बन्धी उत्तरदायित्व के लिए पूर्ण रूप से प्रभारी रहेगी।

श्री प्रकाशम् ने सभा भंग करने का परामर्श देने के पश्चात् त्यागपत्र दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्तारूढ़ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि निर्वाचन कार्य करते हुए वह पदारूढ़ रह कर राज्यपाल या किसी अन्य को परामर्श नहीं देना चाहती थी। अतः कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से तो श्री प्रकाशम् के त्यागपत्र द्वारा बाहर निकल रही है परन्तु इस विधान द्वारा कांग्रेस गुप्त रूप से फिर सत्तारूढ़ हो रही है। अतः मेरा यह निवेदन है कि जो प्रस्थापना मैंने रखी है वह बहुत लाभदायक है और उससे विधयिनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे और हम अधिक दृढ़ आधार से यह कह सकेंगे कि हमने लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों के लिए संघर्ष किया है। अन्त में श्रीमान् यदि मैंने आपके मनोभावों को आहत किया है तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वे गम्भीर हैं परन्तु तनाव को रोकने के लिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है। परन्तु यदि मैं कुछ कहूं उसको मुझ पर किसी रूप में थोप दिया जाये तो संसार भर के पाप मेरे सिर ही रहेंगे। अतएव इन सब बातों को परिहासपूर्ण भाव से ग्रहण करना चाहिए।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : श्री मोरे ने जो यह कहा है कि आंध्र में राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस का ही शासन होगा, मैं इससे सहमत हूं। यह कहा गया है कि कांग्रेस ने आंध्र की विधान सभा में अपनी हार के पश्चात् जो त्याग-पत्र दिया है वह सर्वथा ठीक है। परन्तु दूसरी ओर यह लोकतन्त्रात्मक नहीं है क्योंकि इस विधान द्वारा कांग्रेस वहां केन्द्र की ओर से अपना शासन स्थापित करना चाहती है।

इसके अतिरिक्त यह अधिक उत्तम होता यदि आंध्र में निर्वाचनों तक वही सरकार बनी रहती जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ था।

मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां कार्यपालिका की यह प्रवृत्ति रही है कि लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया जाये और यह बात अधिनियम से स्पष्ट होती है। गृह मंत्री कहते हैं कि परामर्शदात्री समिति की आवश्यकता नहीं है और वह इस सभा के सारे अधिकार राष्ट्रपति को सौंप कर यह दिखाना चाहते हैं कि संसद् ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। संसद् को तो इन अध्यादेशों और अधिनियमों पर विचार करने का भी अवसर नहीं दिया गया और हम संसद् के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों को अंधाधुंध राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं।

संवैधानिक उपबन्धों का उल्लेख किया गया है जो प्रविधिक रूप से भले ही ठीक हों परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि आपातकालीन अधिकारों का इतना अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिये और यदि संसद् अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करे तो वह अधिक लोकतन्त्रात्मक होगा।

केवल छः या सात अध्यादेश ही तो हैं। उन पर चर्चा करके उन्हें पारित करने में क्या हानि है? केवल समय के अभाव के बहाने संसदीय अधिकारों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर देने की सरकार की प्रवृत्ति लोकतन्त्र विरोधी और हानिकर है।

यदि कुछ नये विधान भी पारित करने हैं तो संसद् का विशेष सत्र बुलाने में कोई हानि नहीं है। इससे कुछ अधिक व्यय तो होगा परन्तु लोकतन्त्र के प्रवर्तन के लिए यह प्रक्रिया

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

अधिक उपयुक्त और उचित है। गृह-मंत्री पंजाब और पेप्सू के उदाहरण दे कर कह सकते हैं कि यह संविधान के अनुकूल है। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें संविधान के आपातकालीन उपबन्धों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और अधिक लोकतन्त्रात्मक ढंग में संसदीय व्यवस्था को उपयोग में लाना चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियों में चाहे परामर्श-दात्री समिति आकर्षक दिखाई दे, परन्तु मैं इसे नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सारी संसद् निर्वाचनों तक आंध्र के लिए विधान बनाये। गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि लगभग फ़रवरी के मध्य में निर्वाचन होंगे, परन्तु उनके पिछले आश्वासनों के आधार पर हमें विश्वास नहीं है कि इस आश्वासन को कभी कार्यान्वित किया जायेगा। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार राज्य के भाग्य को हस्तगत करने के लिए अत्यधिक आतुर है और विधान सभा का सारा काम अपने हाथ में लेना चाहती है।

हम जानते हैं कि जब विधयिनी और कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार एक ही प्राधिकारी के हाथ में आ जाते ह तो इसका अर्थ निरंकुशता होता है। यह बहुत बड़ा संवैधानिक सिद्धान्त है कि अधिकारों का पृथक्करण होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि उस सीमा तक यह उस आदर्श सिद्धान्त का विरोध होगा। यहां राष्ट्रपति के शासन का अभिप्राय कार्यपालिका का ही शासन है। संसद् के विधान बनाने के अधिकारों को किसी कारण से भी नहीं छीना जाना चाहिये। हम अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ते हैं। लोकतन्त्र की रक्षा के लिए हम अधिक देर बैठने और अधिक परिश्रम करने के लिए भी तैयार ह। यह विधान लोकतन्त्र विरोधी है। इसे पारित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (करनूल) : १९ नवम्बर को जब राष्ट्रपति द्वारा आन्ध्र राज्य का प्रशासन सम्भालने की घोषणा के सम्बन्ध में माननीय मंत्री द्वारा संकल्प रखा गया था, उस समय हमारे सामने वहां की विधान सभा को भंग कर देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। संकल्प पर चर्चा करते समय माननीय राज्य मंत्री ने कहा था कि आन्ध्र राज्य का शासन संसद् द्वारा चलाया जायेगा और यह ढंग अप्रजातान्त्रिक न होगा। पर उन्होंने एक विधेयक रखा है कि आन्ध्र राज्य के लिए विधान बनाने के हित संसद् के पास बिल्कुल समय नहीं है। अतः मैं सुझाव रखता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : संविधान में यह उपबन्ध है कि वैधानिक अधिकार संसद् को है पर संसद् चाहे तो राष्ट्रपति को यह अधिकार सौंप दे। बताया गया है कि राष्ट्रपति का शासन अल्पकाल के लिए है, अतः विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से सरकार की यह नीति है कि विधान की भाषा कुछ और रखी जाती है और आश्वासन बिल्कुल उसका उलटा दिया जाता है।

ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति का शासन थोड़े ही समय के लिए होगा और चुनाव के बाद स्थायी सरकार बनेगी। पर मैं समझता हूं कि स्थिति और भी खराब हो जायेगी। आप जानते हैं कि आन्ध्र विधान सभा में विरोधी दल के सदस्य अधिक संख्या में थे। राष्ट्रपति के शासन का अर्थ भी तो कांग्रेस शासन ही है। क्यों न वहां के सभी दलों के लोगों की एक पार्टी इस काम में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बना दी जाय। इस विधेयक के समर्थन में रखे गये तर्कों का कुछ भी अर्थ नहीं है अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार न किया जाये।

एक बात मुझे और कहनी है कि चुनाव जल्दी से जल्दी किया जाय। एक समिति बनाने का जो सुझाव मैंने दिया है उसे विधेयक के उपबन्धों में अवश्य सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री लक्ष्मय्या : माननीय गृह मंत्री का यह विधेयक संविधान की धारा ३५७ के अधीन राष्ट्रपति को आन्ध्र राज्य के लिए विधान बनाने का अधिकार देने के सम्बन्ध में है। गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि चुनाव फरवरी १९५५ में होंगे अतः आन्ध्र का शासन चलाने के लिए किसी समिति के बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक को स्वीकार करना इसलिए भी आवश्यक है कि अध्यादेश की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। यह विधेयक केवल अल्प अवधि के लिए ही है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : माननीय गृह-मंत्री ने इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करते समय बताया था कि कुछ अध्यादेशों को विधि में पारित करना है पर उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन से अध्यादेश हैं। यदि यह अध्यादेश वही हैं जिनके बारे में आन्ध्र के राज्यपाल ने संकेत किया है तो इन अध्यादेशों में कहीं-कहीं दो एक शब्दों का ही परिवर्तन करना है और इस काम में बहुत थोड़ा समय लगता। पर यदि किन्हीं अन्य अध्यादेशों का परिवर्तन करना है तो वह दूसरी बात है।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप बहुत खराब है।

मैं अध्यादेश राज के विरुद्ध हूं। प्रजातन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों पर यह व्यवस्था की गयी थी कि हमें एक व्यक्ति का राज्य नहीं चाहिए। पर आज वही परिस्थिति हमारे सामने है। पेप्सू के सम्बन्ध में जैसी समिति बनाई गयी थी हमें वैसी समिति की आवश्यकता नहीं है। यदि समिति बनाई जायें तो उसमें केवल आन्ध्र राज्य के प्रतिनिधि ही रहें। अतः मैं समिति बनाने की मांग को भी पेश नहीं करना चाहता।

मैं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस प्रस्थापना से सहमत न होंगे वह कहेंगे कि आन्ध्र राज्य में यथास्थिति (जैसी है वैसी) रखी जाय। इस बात का वादा वह मांगेंगे और लोगों को इससे सन्तोष हो जायेगा।

डा० काटजू : जब यह व्याख्यान दिये जाते हैं तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि वे संकेत किनकी ओर किये जाते हैं। हर प्रकार मेरी नीयत में सन्देह पैदा किये जाते हैं।

यह तो बहुत ही साधारण विधेयक है। एक यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि यह विधेयक संविधान की शक्ति के परे है। किन्तु जब संविधान के अनुच्छेदों का हवाला दिया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह अनुच्छेद ३५७ के अनुसार है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने कहा है कि सम्पूर्ण सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। किन्तु सरकार की निन्दा करते समय समय की मर्यादा एवं औचित्य का भी तो ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही राष्ट्रपति किसी भी राज्य का चाहे वह पेप्सू हो अथवा आंध्र शासन भार सम्भालते हैं तो उसका सम्बन्ध केवल राष्ट्रपति से ही नहीं होता अपितु सम्पूर्ण संसद् से हो जाता है। उनकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। वह संसद् की धरोहर हैं। अगर उनके लिए कोई विधान बनाना है तो वह हमें बनाना होगा। राष्ट्रपति अधिनियम पारित करते हैं। सात दिन के भीतर उन्हें यह अधिनियम संसद् में रखना चाहिए। प्रक्रिया तो यह है कि अगले दिन ही वह अधिनियम सभा-पटल पर रखा जाता है। फिर इसके अतिरिक्त आपको यह ी अधिकार मिला

[डा० काटजू]

है कि प्रत्येक सदस्य, चाहे वह उस राज्य का हो अथवा किसी और का, संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और सम्पूर्ण अधिनियम या उसका कुछ भाग बिल्कुल ही बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद दोनों सभाएं अपनी सहमति देती हैं, और उसके बाद मामला समाप्त हो जाता है। मैं नहीं जानता कि श्री यू० एम० त्रिवेदी क्या चाहते थे। किन्तु इतना अवश्य है कि जो कुछ हम करते हैं वह उन्हें रुचिकर नहीं है। उनका कहना है कि 'परामर्शदात्री समिति' की क्या आवश्यकता है, सम्पूर्ण संसद् का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। जैसे ही अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा पारित हो प्रत्येक सदस्य की राय जानने के लिए वह सभा पटल पर रखा जायेगा। अब सारी बात इस समिति के बारे में है। इसके बारे में बहुत सन्देह है। मैंने बार बार कहा है कि अध्यादेश ये हैं। श्री त्रिवेदी का कहना है कि हम अध्यादेशों का राज नहीं चाहते। किन्तु ये अध्यादेश तो तभी लागू हो गये थे जबकि आंध्र विधान सभा वहां कार्य कर रही थी। उन दिनों वहां की विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था अतः मन्त्रालय ने सोचा कि इन अध्यादेशों को जारी कर दिया जाय, कहीं ऐसा न हो कि विधियां व्ययगत हो जायें। यदि वहां के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दिया होता और विधान सभा भंग न की गई होती तो इन अध्यादेशों के आधार पर नये विधेयक अथवा विधान बनाने के लिए आंध्र की विधान सभा को बुलाया जाता। पहली सरकार ने जो कुछ किया था हम तो केवल उसी पर अमल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह विधान सात दिन से अधिक नहीं चल सकता और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप इस समिति को रखेंगे तो इसकी बैठक के लिए कोई और समय नहीं मिलेगा।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह सच है कि मई से नवम्बर तक की ८ महीने की अवधि में विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया था ?

डा० काटजू : मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया है, फिर विधान सभा की बैठक कैसे बुलाई जा सकती है।

श्री ए० के० गोपालन : इससे पहले, ८ महीने तक बैठक नहीं बुलाई गई थी।

डा० काटजू : इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझे जो कुछ मालूम है, मैं तो उसी के बारे में बता रहा हूं। वहां के राज्यपाल के सामने स्थिति यह थी कि यदि अध्यादेशों को लागू नहीं किया जाता तो उनकी अवधि समाप्त हो जाती।

श्री ए० के० गोपालन : मैं तो केवल यही बताना चाहता हूं कि ८ महीने तक विधान सभा की बैठक बिल्कुल भी नहीं बुलाई गई थी।

डा० काटजू : इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। यह प्रश्न आप मुझ से क्यों करते हैं। यह तो आंध्र मंत्रिमंडल से करना चाहिए। आंध्र मत्रिमंडल के सारे दोष, उसके गुणावगुण मेरे सिर मढ़े जा रहे हैं। उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। मैं तो उसी स्थिति के लिए उत्तरदायी हूं जो अब वहां हैं। स्थिति तो यह है कि अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो जायगी और उन्हीं के आधार पर विधान बनाये जायेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि समिति का विचार एक दम अव्यावहारिक है।

यह कहा गया था कि यदि भविष्य में कोई विधान बनाया जाय तो उसके लिए परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब पंजाब के लिए संसद् ने अधिनियम पारित कर दिया था तो

किसी भी समिति का कोई भी प्रश्न नहीं था। जब १९५२ में यहां मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था तो यही बात हुई थी और तुरन्त ही मैं इससे सहमत भी हो गया था क्योंकि राष्ट्रपति का शासन कुछ दिन और चलने को था, और इससे एक लाभ यह हुआ कि हमें यह मालूम हो गया कि इस मामले में जनमत क्या है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति इसे मानें। वे तो केवल इससे परामर्श ही लेते हैं। पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन लगभग एक वर्ष तक रहा और वहां इस प्रकार की समिति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। मैं समझता हूं कि यहां राष्ट्रपति का शासन तीन महीने से अधिक नहीं चलेगा। फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार की समिति का क्या लाभ? किन्तु यदि सभा इसी बात पर ही तुली है कि ऐसी समिति बनाई ही जाय तो मैं यह समझ सकता हूं कि समिति को अमुक तिथि से कार्य करना चाहिए। एक माननीय मित्र बराबर इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि क्या वहां कोई नयी विधि नहीं होगी, और ऐसा आश्वासन चाहते हैं कि क्या दो तीन महीने में चुनाव होकर वहां की जनता के हाथ में वहां का शासन आ जायगा? चुनाव के सम्बन्ध में तो मैं कह सकता हूं कि वर्तमान प्रस्तावों में कहा गया है कि चुनाव फरवरी के मध्य में हो जाने चाहियें। इसके बाद सम्पूर्ण प्रक्रिया में लगभग एक महीना और लग जायगा और राष्ट्रपति का शासन १५ मार्च और अधिक से अधिक ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हो जायगा जहां तक कि नये विधान की बात है, मैं कह सकता हूं कि उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि नये विधान की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय सदस्य के इस कहने पर कि, 'यदि उपयुक्त हो सका तो परामर्शदात्री समिति से परामर्श किया जायगा', विचार किया जायगा। अन्यथा प्रस्ताव में जो सूत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार्य नहीं होगा।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस मामले में सन्देह की गुंजाइश नहीं है। परामर्शदात्री समिति का उद्देश्य राज्यपाल को परामर्श देना है। यह अच्छा है कि कोई क़ानून बनाने से पूर्व राज्यपाल को स्थानीय व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम राज्यपाल के नाम कार्यपालिका अनुदेश जारी कर सकते हैं कि कोई प्रारूप भेजने से पूर्व वह यह देखें कि उन्होंने स्थानीय व्यक्तियों से, राजनैतिक दलों से परामर्श किया है, और प्रारूप में वह इस बात का उल्लेख करें कि उन्होंने इतने व्यक्तियों से परामर्श किया है, और उसके बाद वे अपनी राय प्रकट करें। मेरा सविनय निवेदन यह है कि आपने उस "सप्ताह भर के शासन यंत्र" से प्राप्त किया है उससे संसद् की इस बात का पर्याप्त आश्वासन मिलेगा कि उन्हें सूचित किये बिना कुछ भी नहीं किया जाता और यदि संसद् चाहे तो कोई भी बात उसके बिना नहीं हो सकेगी। यह तभी हो सकता है जब संसद् को उतनी शक्ति प्राप्त हो। आपकी यह चर्चा विशुद्ध भावनाओं और निराधार सन्देह पर ही आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि आंध्र राज्य विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—(राष्ट्रपति को राज्य विधान-मंडल की शक्ति प्रदान करना)

श्री ए० के० गोपालन ने अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तावित किया।

डा० लंका सुन्दरम: मैं प्रस्ताव करता हूं।

[डा० लंका सुन्दरम्]

पृष्ठ १ में पंक्ति १८ के पश्चात् यह परन्तुक जोड़ा जाये ।

"Provided that before enacting any such Act, the President shall, except where it is not practicable to do so, consult a committee constituted for the purpose consisting of ten members of the Lok Sabha nominated by the Speaker and five members of the Rajya Sabha nominated by the Chairman,"

["परन्तु ऐसे किसी अधिनियम को अधिनियमित करने से पहले, राष्ट्रपति, जहां ऐसा करना व्यवहार्य न हो उस मामले को छोड़ कर, इस प्रयोजन के लिये गठित एक समिति से परामर्श लेगा जिस में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित दस सदस्य लोक-सभा के होंगे और सभापति द्वारा नाम निर्देशित पांच सदस्य राज्य-सभा के होंगे ।"]

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ में पंक्ति २१ से २५ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(4) Either House of Parliament may, by resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3); direct any modifications to be made in the Act and if the modifications are agreed to by the other House of Parliament during the session in which the Act has been so laid before it, such modifications shall be given effect to by the President by enacting an amending Act under sub-section (2);

["संसद् का कोई सदन, उपधारा (३) के अधीन, जिस तारीख को उसके समक्ष अधिनियम रखा गया था उस दिन से सात दिन के भीतर पारित संकल्प द्वारा, उस अधिनियम में कोई रूपभेद करने का निदेश दे सकता है और यदि उन रूपभेदों पर संसद् का दूसरा सदन, उस सत्र में जिसमें वह अधिनियम उसके समक्ष रखा गया है, सहमत हो जाये तो उन रूपभेदों को राष्ट्रपति उपधारा (२) के अधीन एक संशोधन अधिनियम अधिनियमित करके प्रभावी बनायेगा ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री ए० के० गोपालन : अपने संशोधन प्रस्तुत करके मैं यह बताना चाहता हूं कि पहिली प्रक्रिया क्या थी और अब क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है । मेरा संशोधन

खंड ३) में एक परन्तुक जोड़ देता है जिसका उद्देश्य यह है कि जब संसद् का सत्र चल रहा हो तो इस प्रकार के प्राधिकार का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए ।

मैंने अभी बताया था कि मई से नवम्बर तक वहां की विधान-सभा नहीं बुलाई गई थी, फिर भी जबकि सदस्य वहां थे तो अध्यादेश पारित करने की क्या आवश्यकता थी ? जब सत्र न हो रहा हो, उस बीच अध्यादेश पारित करना तो ठीक है किन्तु राज्यपाल ने लगातार ८ महीने तक विधान-सभा का सत्र ही नहीं बुलाया; और विधान-सभा को न बुला कर अध्यादेश जारी कर दिये गये, तथा अध्यादेशों को लागू करने के बाद यह कहा गया कि वहां संवैधानिक व्यवस्था असफल हो गई है । और वह भी ८ महीने बाद असफल हुई । यह सम्पूर्ण प्रक्रिया अवांछित एवं सिद्धान्त के विरुद्ध थी । अब जबकि संसद् का अधिवेशन हो रहा है तो हमें बताया गया है कि इन अध्यादेशों की अवधि १० दिसम्बर को समाप्त हो रही है । इसलिए कार्यपालिका को विधान के अधिकार दे दिये जायें ।

गृह मंत्री बराबर यह कह रहे हैं कि इसमें सन्देह की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है । मैं तो कहूंगा कि यह सभी कुछ सन्देहपूर्ण है और पग पग पर सन्देह प्रकट हो रहा है । पहली बात तो यह है कि इन अध्यादेशों को जारी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी । आठ महीने के इस समय में कभी भी विधान-सभा की बैठक बुलाई जा सकती थी । यह बैठक क्यों नहीं बुलाई गई ? लगातार ८ महीने तक इसे न बुलाने का क्या कारण था ? क्या संवैधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने पर वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को, घोषणा करने के परामर्श देने से पहले यह प्रयत्न किया था, कि उसके स्थान पर कोई दूसरी संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है ? रायज्पाल ने इन दोनों बातों को जान बूझ कर इसलिये नहीं किया क्यों कि वह जानते थे कि अध्यादेशों का जारी करना और विधान के अधिकार अपने अधिकार में ले लेना बहुत ही आसान कार्य है । अब यह एक प्रथा सी बन गई है । इसे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये । यह एक बहुत आसान बात हो गई है कि विधान-सभा भंग कर दी जाय, अध्यादेश जारी कर दिये जांय और जब संसद् का अधिवेशन हो तो विधान बनाने का अधिकार ले लिया जाय ।

गृह मंत्री ने कहा था कि संसद् के सामने बहुत से विधेयक हैं, अतः इस प्रकार के विधेयकों पर विचार करने के लिये सभा के पास समय नहीं है । यदि ऐसी बात है तो फिर संसद् का अधिवेशन बुलाया ही क्यों जाता है ।

आंध्र में लगातार ८ महीने तक विधान-सभा का अधिवेशन ही नहीं बुलाया गया और हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि यह बहुत आसान बात है । जब वहां की सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ था तो कोई और वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ? राष्ट्रपति की घोषणा का समर्थन करते हुये एक प्रस्ताव संसद् में रख दिया गया और वह पारित हो गया । और अब आप कहते हैं कि चूंकि संसद् के पास समय की कमी है इसलिये विधान बनाने के अधिकार किसी और को ही सौंप दिये जायें ।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यही है कि जब संसद् का सत्र चल रहा हो तो इस प्रकार के प्राधिकार के उपभोग करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया जाना चाहिये । जब संसद् का सत्र न हो तो आपातकाल में काम चलाने के लिये आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं । इसलिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने अपने विचार प्रकट करके सभा का विश्वास अपने प्रति कर लिया है । ऐसी स्थिति में क्या मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि क्या इन अध्यादेशों के बारे में विरोधी दल के नेताओं से वे परामर्श लेंगे ।

मेरा संशोधन सन् १९५१ में पंजाब की तथा १९५३ में पेप्सू की जो स्थिति थी उसके अनुभव एवं पूर्वोदहारण पर ही आधारित है, और माननीय मंत्री ने पेप्सू के लिये १९५३ में जो अधिनियम बनाया था उसी अधिनियम का यह ज्यों का त्यों दूसरा रूप है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : विधेयक के उपखंड (४) का सूत्र वही है जो पंजाब अधिनियम, १९५१ का है । मेरा संशोधन पेप्सू अधिनियम १९५३, के उपखंड (४) पर आधारित है ।

पहले वाले की अपेक्षा दूसरा अधिनियम निश्चय ही अच्छा है । पहले अधिनियम के सूत्र के अनुसार दोनों सभाओं द्वारा इसे ७ दिन में पारित कराना चाहिये जो कि बहुत कठिन है । इसलिये पेप्सू अधिनियम में दूसरे सूत्र का अनुसरण किया गया । इस संशोधन में यह कहा गया है कि प्रक्रिया की कार्यवाही सात दिन में शुरू हो जानी चाहिये । इसलिये मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री मेरे संशोधन को जो पेप्स अधिनियम, १९५३ पर आधारित है, स्वीकार करेंगे ।

श्री रघुरामैया : मैं श्री गोपालन तथा डा० सुन्दरम् द्वारा प्रस्तुत किये गये दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं । हां , सभा की इस ओर से जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा कर के अपना स्थान ग्रहण करें । उन्हें फेर बोलने का अवसर दिया जायेगा । इस समय मैं संशोधनों पर माननीय गृह मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र श्री एस० वी० रामस्वामी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । पूर्व दृष्टान्त के रूप में दो अधिनियम हमारे समक्ष हैं । एक १९५१ का पंजाब अधिनियम है और दूसरा १९५३ का पेप्सू अधिनियम है । जहां तक अल्प ज्ञान वाले एक अधिवक्ता के रूप में मेरा सम्बन्ध है, इस से कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र पेप्सू सूत्र को पसंद करते हैं तो उसके स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

जहां तक डा० लंका सुन्दरम् के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं सभा के मतों से अपने मत का यथा सम्भव समायोजन करने के लिये पूर्णतया तैयार हूं, परन्तु स्पष्ट रूप से समझे गये, कुछ अपवाद होने चाहियें । प्रथम, विधान के साथ आगे बढ़ने के लिये हमारे पास कुछ समय होना चाहिये, और समिति का परामर्श लेने में विलम्ब होगा और पर्याप्त समय भी लगेगा । अतः, यदि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि परामर्शदात्री समिति की प्रक्रिया अमुक दिनांक से कार्यान्वित होगी, तो मेरा सुझाव है कि दिनांक १ जनवरी, १९५५ होना चाहिये, क्योंकि उस दिनांक से वर्ष आरम्भ होता है । मैं ने पहिले किसी बीच के दिनांक का विचार किया था, परन्तु १ जनवरी, १९५५ अधिक सुविधाजनक है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन अध्यादेशों के बारे में कार्यवाही करने के पश्चात् हम और कोई अधिनियम पारित करना नहीं चाहते । द्वितीय वाक्यांश जैसे कि वह रखा गया है, "जहां ऐसा नहीं किया जा सकता उस स्थान को छोड़ कर", मुझे पसंद नहीं है । आप यह कर सकते हैं "जहां तक किया जा सकता है" या "यदि किया जा सकता है" । कि राष्ट्र-

पति को यह स्वेच्छाधिकार स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिये कि यदि समय हो, तो वह परामर्श कर सकते हैं। कृपया इस बात का स्मरण कीजिये कि मैं ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया है कि यदि डा० लंका सुन्दरम् अपना संशोधन वापस भी लेते हैं तो भी हम राज्यपाल को विशिष्ट निदेश देंगे कि अपने प्रस्ताव बनाते समय उसे, अनौपचारिक रूप में कोई बैठक करके या अन्य किसी उचित ढंग से, वहां के लोगों के नेताओं की इच्छायें अवश्य जान लेनी चाहिये। फिर इस के हमारे पास आने पर यदि समय प्राप्य हो तो, गृहमंत्रालय संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों से तदर्थ परामर्श करेगा। मैं अनेकों बार आश्वासन दे चुका हूं, परन्तु यदि आप चाहते हैं तो यह एक छोटी सी बात है। इस अपवाद का परिणाम यह होगा कि १ जनवरी, १९५५ से परामर्शदात्री समिति की प्रक्रिया लागू हो जायेगी। यह मेरा सुझाव है। नकारात्मक रूप होने के बजाय "जहां यह न किया जा सके उस स्थान को छोड़ कर" आप कह सकते हैं "यदि किया जा सके" या "यदि राष्ट्रपति समझे कि यह किया जा सकता है"। उत्तम ढंग होगा "यदि राष्ट्रपति समझे कि यह किया जा सकता है", क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे उच्चतम न्यायालय के निर्वचन के लिये छोड़ दिया जाय--औचित्य, आदि ही व्यवहारिकता हो सकती है। मैंने बहुत आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है, और यदि राष्ट्रपति इसे व्यवहार्य समझें, तो यह पूर्णतया उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय, और इस पर किसी व्यक्ति के कहने का प्रश्न नहीं होना चाहिये।

विधि के लागू होने की पक्की तिथि १ जनवरी, १९५५ है क्योंकि उस दिन वर्ष आरम्भ होता है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या कोई ऐसी सम्भावना है कि कोई विधान उससे पहिले लागू किया ....

डा० काटजू : मैं यह कर सकता हूं जिससे उससे पहिले कोई विधान कार्यन्वित न हो। यदि उपाय चाहें तो इसे २४ दिसम्बर कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : संशोधन की भाषा क्या है ?

डा० काटजू : "२० दिसम्बर, १९५४ के पश्चात्, ऐसा कोई अधिनियम बनाने से पहिले, राष्ट्रपति, यदि वह समझे कि यह व्यवहार्य है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं कहते, "जहां तक व्यवहार्य हों ?"

डा० काटजू : "यदि राष्ट्रपति व्यवहार्य समझें तो वह," अन्यथा, औचित्य तथा व्यवहारिकता का प्रश्न एक न्यायिक मामला बन जाता है। " यदि वह व्यवहार्य समझें तो। " यहां " व्यवहार्य" पर जोर दिया गया है। "यदि वह व्यवहार्य समझें।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह डा० लंका-सुन्दरम् के संशोधन पर संशोधन होगा। यह औपचारिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

डा० काटजू : हां, परन्तु शब्दावली के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। "परन्तु, २० दिसम्बर, १९५४ के पश्चात् यदि राष्ट्रपति व्यवहार्य समझें, तो वह"

श्री रघुरामैया : माननीय गृह मंत्री प्रत्येक पांच मिनट पर अपने शब्द बदल रहे हैं, अतः उनका समर्थन करना मेरे लिये बहुत कठिन है। मेरी भावना केवल यह है कि यदि माननीय गृह मंत्री परामर्शदात्री समिति रखने के लिये तैयार हैं तो वह इसे अब क्यों नहीं रख सकते ? वह २० दिसम्बर तक क्यों प्रतीक्षा करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा के अध्यक्ष और दूसरी सभा के सभापति मिलकर

[उपाध्यक्ष महोदय]

नाम निर्देशन करेंगें । वे माननीय गृह मंत्री के अधीन नहीं हैं ।

श्री पी० आर० राव (वारंगल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ए० के० गोपालन ने जो ऐमैन्डमेन्ट रक्खा है मैं उसकी ताईद करता हूं, इस लिये कि यहां पर बार बार जम्हूरियत और कान्स्टिट्यूशन का नाम लिया जाता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब पार्लियामेन्ट का सेशन हो रहा हो उस वक्त जो आर्डिनेंन्स और बिल्स वगैरह आते हैं वह पार्लियामेन्ट के सामने क्यों नहीं लाये जाते ।

डा० काटजू : आयेगा तो सही, सात दिन के अन्दर आ जायेगा, पास होते ही आ जायेगा ।

श्री पी०आर० राव : जब पार्लियामेन्ट का सेशन हो रहा हो तो पार्लियामेन्ट को ही यह अधिकार क्यों न दिया जाय, क्यों इस को प्रेसिडेन्ट के हाथ में रक्खा जाय ? इस के माने यह नहीं कि प्रेसिडेन्ट पर मुझे कोई ऐतबार नहीं है, मैं प्रेसिडेन्ट की इज्जत करता हूं । तेकिन प्रेसिडेन्ट को जो अख्त्यारात दिये गये हैं वह गैरमामूली हालात में इस्तेमाल करने के लिये दिये गये हैं । लेकिन जब गैर-मामली हालात न हों और पार्लियामेन्ट का सेशन हो रहा हो तो उस वक्त जो आर्डिनेन्स या बिल्स लाने हों वह पार्लियामेन्ट के सामने आने चाहियें ।

मुझे एक बात याद आ रही है कि जो कांग्रेस अपने हुकूमत में आने के पहले जम्हूरियत के गीत गाती रही, उसी कांग्रेस की हुकूमत में आने पर जम्हूरियत के असल मकसद के खिलाफ कार्यवाइयां होने लगीं । मुझे इस बात का अफसोस है कि जम्हूरियत के नाम पर जम्हूरिय का खून हो रहा है । यह बात कहां तक ठीक है मेरी समझ में नहीं आता । इस की बहुत सी मिसालें हैं कि आन्ध्र में परसों तक जो कांग्रेस की हुकूमत रही है उस ने ऐसेम्बली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, और जो कानून वहां बनाया गया था, उस के खिलाफ कार्रवाई की है । आज हर बात पर जम्हूरियत का सवाल उठता है । जम्हुरियत के खिलाफ कोई भी नहीं है । हम भी चाहते हैं कि जम्हूरियत को बराबर अमल में रक्खा जाय । लेकिन अगर जम्हूरियत के यही माने हैं कि पार्लियामेन्ट के सेशन में होते हुए भी प्रेसीडेन्ट को सब अख्त्यारात दिये जायें तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत नुकसानदेह है और यह जम्हूरियत के असल मकसद के खिलाफ है ।

मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ट्रावनकौर कोचीन में और आन्ध्र में जब अपोजीशन पार्टी वाले हुकूमत बनाने के लिए आगे आ रहे हैं और हुकूमत बनाने का मौका चाहते हैं तो वहां की कांग्रेसी हुकूमत जो है वह सारी हुकूमत को अपने हाथ में रख कर, जम्हूरियत के गीत गाते हुए भी, जम्हूरियत का खून कर रही है । यह मैं आप को बताना चाहता हूं ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पार्लियामेन्ट का सेशन हो रहा हो उस वक्त जो इस तरह के आर्डिनेन्स या ऐक्ट पास होते हैं उन को पार्लियामेन्ट के सामने आना चाहिये । मेरा ख्याल है कि हाउस इस बात को कबूल करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों पर मतदान लेता हूं । सब से पहले मैं डा० लंका सुन्दरम् के संशोधन पर मत लूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं अतः मेरे संशोधन को संशोधित रूप में रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन अन्तिम रूप में जिस प्रकार होगा वह मैं पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ में पंक्ति १८ के पश्चात् यह परन्तुक जोड़ा जाये :

"Provided that, after the 20th day of December 1954, before enacting any such Act, the President shall, whenever he considers it practicable to do so, consult a committee constituted for the purpose consisting of ten Members of the House of the People nominated by the speaker and five Members of the Council of States, nominated by the Chairmen."

["परन्तु, दिसम्बर, १९५४ की २० तारीख के पश्चात् ऐसे किसी अधिनियम को अधिनियमित करने से पहले, राष्ट्रपति, जहां भी वह ऐसा करने व्यवहार्य समझे, इस प्रयोजन के लिये गठित एक समिति से परामर्श लेगा जिसमें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित दस सदस्य लोक-सभा के होंगे और सभापति द्वारा नामनिर्देशित पांच सदस्य राज्य-सभा के होंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : माननीय सदस्य ने कहा था कि यह अध्यादेश ९ तारीख से पहले विधि रूप में पारित कर दिये जायेंगे। उन अध्यादेशों का क्या होगा जो २० दिसम्बर तक स्थगित रहें ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे समाप्त हो जायेंगे। सभा को अधिकार है कि उन्हें स्वीकार करे या न करे परन्तु समय के कारण बाधा नहीं पड़नी चाहिये ।

इसके पश्चात श्री ए० के० गोपालन का संशोधन संख्या ३ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ में पंक्ति २१ से २५ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(4) Either House of Parliament may, by resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), direct any modifications to be made in the Act and if the modifications are agreed to by the other House of Parliament during the session in which the Act has been so laid before it, such modifications shall be given effect to by the President by enacting an amending Act under sub-section (2)."

["(४) संसद् का कोई सदन उपधारा (३) के अधीन, जिस तारीख को उसके समक्ष अधिनियम रखा गया था, उस दिन से सात दिन के भीतर पारित संकल्प द्वारा उस

[उपाध्यक्ष महोदय]

अधिनियम में कोई रूप भेद करने का निदेश दे सकता है और यदि उन रूप भेदों पर संसद् का दूसरा सदन, उस सत्र में जिसमें वह अधिनियम उसके समक्ष रखा गया है, सहमत हो जाये तो उन रूपभेदों को राष्ट्रपति उपधारा (२) के अधीन एक संशोधन अधिनियमित करके प्रभावी बनायेगा ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस सोपान पर भी मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं । बुरा विधान, चाहे वह आनुषंगिक हो या और कोई, बुरा ही होता है । इसी कारण हम इस विधेयक का विरोध करते हैं । हम जानते हैं कि सरकार के पक्ष का बहुमत है इसीलिये हमने अपने आपको अतिदुष्ट विधि के समस्त उत्तरदायित्वों से पृथक कर लिया है ।

चीन से वापस आने पर प्रधान मंत्री ने एक दिन कहा था कि उनके मतानुसार भारत के लिये संसदीय लोकतन्त्रवाद सर्वोत्तम वस्तु है । हम जानते हैं कि संसदीय लोकतन्त्रवाद में कुछ बातें हैं । परन्तु, जहां तक संसदीय लोकतन्त्रवाद की उत्तम प्राचीन प्रथाओं का सम्बन्ध है, उन्हें यह सरकार अपनी कार्यवाहियों द्वारा पूर्णरूप से अलग फेंक रही है, विशेषकर उन विधेयकों द्वारा जो माननीय गृहमंत्री ने इस सभा में प्रस्तुत किये हैं और सभा में प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

इस चर्चा में डा० लंका सुन्दरम् ने जो कहा है वह मुझे बहुत पसंद आया । यही बहुत ही सार्थक बात थी कि १९५१ में, जब कि हम इस सभा में विरोध करने के लिये नहीं थे, जबकि हम राष्ट्रपति द्वारा पंजाब का शासन संभालने पर आपत्ति करने के लिये यहां नहीं थे, तब चार दिन तक चर्चा हुई और हमारे मित्र तथा सम्मानीय सहयोगी पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे लोगों ने ऐसी बातों का डट कर विरोध किया । उस अवसर पर सरकार ने रक्षा-पक्ष पर होना स्वीकार किया और वह इस बारे में बहुत क्षमा मांगती थी । परन्तु जब से हम इस सभा में आये हैं, निवारक निरोध अधिनियम के साथ आरम्भ वाले सम्पूर्ण विधान से, हम देखते हैं कि गृह मंत्री कभी भी क्षमायाचक नहीं होते हैं । इसके विपरीत सरकार बहुत ही शोर मचाती है और संसदीय लोकतन्त्रवाद की प्राचीन प्रथाओं के बारे में वह औचित्य की भावना का परित्याग करने में नहीं हिचकिचाती है । गृह मंत्री डा० काटजू, इन अवसरों पर ऐसा व्यवहार करते हैं जो मेरे लिये सहन करना बहुत ही कठिन हो जाता है । मैं डा० काटजू का सम्मान करता हूं, उनके प्रति मेरे हृदय में

सद्भावनायें हैं, परन्तु मैं, संसद सदस्य के रूप में, यह पसंद नहीं करता कि मैं उनके कहने की प्रतीक्षा करूं मानो कि वह कोई दरबार कर रहे हैं, वह हम से अपनी इच्छा से परामर्श कर रहे हैं, और यदि आन्ध्र-निवासी सदस्य उनके दरबार में उनकी प्रतीक्षा करें तो वह उन से तदर्थ परामर्श करेंगे ।

डा० काटजू : मैंने कभी किसी को किसी दरबार में नहीं बुलाया है ।

श्री एज० एन० मुकर्जी : इस कारण तो मैं कहता हूं कि डा० लंका सुन्दरम् का संशोधन जिस परिवर्तित रूप में सभा में स्वीकार किया गया है, वह किसी भी प्रकार अच्छा नहीं है ।

यह भी सुझाव दिया गया है, और स्वयं आपने भी, बताया है कि २० दिसम्बर या २४ दिसम्बर या अन्य किसी दिनांक पर इस प्रकार का मतभेद होने का यह कारण है कि सम्भव है कि सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने में कुछ विलम्ब हो जाय । जब उन्होंने यह कहा तब मुझे स्मरण हुआ कि १९५० में केवल एक दिन में इस सभा ने निवारक निरोध अधिनियम को पारित कर दिया था । जब सरकार कुछ करना चाहती है, वह हो जाता है । अब गृह मंत्री कहते हैं कि प्रक्रिया की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय के लिये नाम निर्देशन करना बहुत कठिन होगा । यही कारण है कि हम इस विधि के विरुद्ध है ।

हमें इन अध्यादेशों का विशेष ध्यान है । व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता कि इन अध्यादेशों में क्या है । आन्ध्र के सदस्य बताते हैं कि इन अध्यादेशों को विधान की मान्यता प्राप्त होगी । इन्हें संसद् की स्वीकृति प्राप्त होगी । आज कल यही हो रहा है और इसी कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं । अन्त में, मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आन्ध्रवासियों, जो साहासी लोग हैं जैसा कि उन्होंने स्वयं अपना राज्य बनाने में प्रकट किया है, के प्रति दुर्व्यवहार किया गया है । उनके विधान मण्डल ने निर्णय दिया । उस निर्णय का शासकीय आज्ञा द्वारा खण्डन कर दिया गया है । हम नहीं जानते कि आन्ध्र-वासियों के लिये विधान का बनाना कब तक राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : तृतीय वाचन में, मैं एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूं । अन्तिम क्षण में गृह मंत्री के विचार बदलने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं । मैं उन से कहना चाहता था कि वह स्मरण रखें कि आजकल आन्ध्र प्रदेश में अत्यधिक राजनीतिक आन्दोलन चल रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यहां सरकार या कुरनूल में राज्यपाल जो कर रहे हैं उसकी जांच-पड़ताल नहीं हो सकती । आशा है कि अवसर आने पर यह समिति, जिसके लिए अब वह सहमत हो गये हैं, तुरन्त ही कार्य करने लगेगी और इसे राज्यपाल के कार्य की जांच पड़ताल करने की प्रत्येक सुविधा दी जायेगी । इसके अतिरिक्त यह समिति राष्ट्रपति को भी उचित परामर्श देगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आंध्र के सम्बन्ध में यह कहना कि वहां संवैधानिक सरकार असफल रही गलत है । प्रत्येक सुसंगठित राज्य में मंत्रि-मडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तथा दूसरा मंत्रि-मंडल उसका स्थान ग्रहण करता है, किन्तु इससे हम यह नहीं समझते कि संवैधानिक सरकार समाप्त हो गई है । अनुच्छेद ३५६ को अधिनियमित करते समय मैंने तथा डा० अम्बेडकर ने यह निवेदन किया था कि, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव हो, दूसरा चुनाव होना चाहिये और यदि इस चुनाव के पश्चात् भी स्थायी मंत्रि-मंडल न

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बन सके तभी यह समझना चाहिये कि संवैधानिक गठन असफल रहा ।

आंध्र की स्थिति विचित्र है । वहां के वर्तमान मंत्रि-मंडल ने चुनावों तक कार्यवाहक मंत्रि-मंडल के रूप में कार्य करना अस्वीकार कर दिया तब राष्ट्रपति सम्मुख के इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग न था कि वह अनुच्छेद ३५६ का आशय लेते ।

१९५१ में भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी । तथा हमने संसद् के अधिकारों के लिये संघर्ष किया था किन्तु सभा को यह स्मरण करना चाहिये कि अनुच्छेद ३५६ तथा ३५७ में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, कि सरकार संसद् के द्वारा बनाई गई पुनरीक्षण कार्यप्रणाली अथवा सलाहकार समिति को स्वीकार करने को विवश हो ।

इसलिये मुझे एच० एन० मुकर्जी को यह कहते हुए सुन कर आश्चर्य हुआ कि यह प्रजातान्त्रिकता के विरुद्ध और निर्दय है । वास्तव में यह संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है तथा यह हमारे द्वारा प्रारित सबसे अच्छा उपबन्ध है । केन्द्रीय सरकार का यह शासन भी तीन मास की अल्पावधि के लिये होगा यदि केन्द्रीय सरकार आंध्र के लोगों से कुछ लाभ उठाना चाहती तो वह यथाशीघ्र चुनाव करने को प्रस्तुत न होती ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में, मैं डा० लंका सुन्दरम् के संशोधन की शब्दावली से सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं यदि इन शब्दों को पसन्द नहीं करता कि "राष्ट्रपति इसे व्यवहारिक समझें तो" अनुच्छेद ३५६ के अनुसार यह संसद् का अधिकार है कि वह राज्य की विधान-सभा की भांति विधि अधिनियमित करे । यदि संसद् यह अधिकार राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति यह क्यों कहें कि यदि वह व्यावहारिक समझेंगे तो परामर्श करेंगे । केन्द्रीय सरकार समिति से परामर्श करने के अधिकार को क्यों बढ़ावा दें जबकि वह इसे व्यावहारिक समझते हैं । इसलिये प्रत्येक सम्भव मामले में मैं चाहूंगा कि सरकार इस समिति की सलाह ले ।

मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इन अध्यादेशों के सम्बन्ध में भी आंध्र के लोगों से सलाह लें क्योंकि सभा के सभी सदस्यों का यही मत है कि उनसे परामर्श किया जावे ।

मुझे सलाह देने का पूरा अधिकार है क्योंकि राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग संसद् सदस्यों के एजेण्ट के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन यह हमारा अधिकार है ।

मुझे विश्वास है कि यह समिति भी पूर्व समिति की भांति ठीक प्रकार से कार्य करेगी ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक--मध्य): मैं इस संशोधित विधेयक का समर्थन करता हूं । किसी साम्यवादी को प्रजातांत्रिक परम्पराओं पर उपदेश देते हुए सुनना बड़ा मनोरंजक होता है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किसके लिये बोल रहे हैं । कदाचित वह एक प्रकार का साम्यवादी प्रचार करना चाहते हैं किन्तु जनता अब उनके प्रचार से मूर्ख बनने वाली नहीं है ।

४ म० प०

हम जनमत से डरने वाले नहीं हैं । हमने ही देश में वयस्क मताधिकार प्रचलित किया तथा हमने ही शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने का निश्चय किया है । केवल यही प्रजातांत्रिक मार्ग सरकार के सामने खुला था । तीन महीनों के भीतर ही चुनाव हो रहे हैं ।

इस प्रकार हमारा तरीका सर्वथा प्रजातांत्रिक है । साम्वादियों को यह भय है कि

बहुमत कांग्रेस का होगा । वे इसे 'निर्दय' बहुमत कहते हैं । किन्तु जब तक एक संगठित दल न हो, जो एकमत होकर सब कार्य करना चाहें, तबतक देश का प्रशासन नहीं चल सकता।

इस प्रकार मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं ।

श्री रघुरामैया : मैं साम्यवादियों तथा निर्वाचक-गण से नहीं डरता किन्तु मुझे गृह मंत्री के अस्थिर रवैये से बड़ा भय है । प्रातः उन्होंने इसके अव्यावहारिक होने पर तर्क दिये अब वह इसे व्यावहारिक कह रहे हैं । मैं कहता हूं कि यदि सलाहकार समिति २० दिसम्बर के पश्चात् व्यावहारिक हो सकती है तो वह उसके पूर्व व्यावहारिक क्यों नहीं हो सकती । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात से सहमत हूं कि इसको स्थगित नहीं करना चाहिये । हम में से किसी से कभी भी परामर्श लिया जा सकता है ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए भी गृह मंत्री के हाथों में आंध्र के भविष्य के प्रति शंकित हूं किन्तु मैं आशा करता हूं कि किसी प्रश्न के उत्पन्न होने पर वह आंध्र के सदस्यों से सलाह लेंगे ।

डा० काटजू: मेरे सम्बन्ध में कई प्रकार की बातें कही गई हैं । श्री एच० एन० मुकर्जी ने मुझ पर दरबार लगाने का आरोप लगाया है । यह मुझे बड़ा विचित्र लगा क्योंकि मैं अपने को श्री एच० एन० मुकर्जी से बड़ा प्रजातांत्रिक मानता हूं । वे ध्वंस में विश्वास करते हैं और मैं परामर्श में । यह अन्तर है । जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे समझाते नहीं, बल्कि ध्वंस करते हैं । जब हमें अवसर मिलता है तो हम जीवन भर दूसरों को समझाते-बुझाते रहते हैं, यहां तक कि अपने माननीय मित्र रघुरामैया को भी । इसलिये कृपया ईश्वर के लिये दरबार जैसी भावना निकाल दीजिये । मैं कार्यालय में तथा उसके बाहर होने पर भी समान दृष्टिकोण से विचार करता हूं । आप भी देश के कल्याण में उतनी ही रुचि रखते हैं जितनी कि मैं । दैवयोग से ही मैं यहां बैठा हूं किन्तु भारत का नागरिक होने के नाते देश के समृद्धि सम्पन्नता, कल्याण तथा हित मुझे उतना ही प्रिय है जितने कि आपको । ईश्वर के लिये कोई ऐसा अभिप्राय मत समझिये । मैं परामर्श करूंगा कि तात्पर्य है कि मैं आपके घर आकर आप से परामर्श लूंगा । मैं अपने मित्र के निमंत्रण पर "रेड स्क्वायर" जाकर उनका मत जानना चाहूंगा । एक बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्व से कार्य करेंगे । मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अनुच्छेद ३५६ के अर्थ का इतिहास सुनाया है । मैं उनसे इस बात पर सहमत हूं कि जब तक परिस्थितियां अपवादस्वरूप न हो जायं जैसे कि आंध्र में उत्पन्न हो गई हैं । एक अभिसमय होना चाहिये । जबकि पराजित मंत्रि-मंडल कहता है 'हम लोगों से अपील करते हैं क्योंकि जनता हमारा समर्थन करती है चाहे विधान ऐसा न करे' । तथा वे कार्यवाहक मंत्रिमंडल के रूप में कार्य चलते रहें । किन्तु यहां परिस्थितियां अपवादस्वरूप थीं और उन्होंने कहा कि हम पदत्याग करते हैं । मैं आपको यह बता दूं कि यह उनके हक़ में बहुत अच्छा था क्योंकि यदि वे कार्य करते रहते तो विरोधी पक्ष यह नारे लगाते कि ये लोग पद लोलुप है तथा चुनाव कराने तथा मतदाताओं पर दबाव डालने के लिये पदों पर अधिकार जमाये बैठे हैं ।

जाने वाले मंत्रिमंडल ने सोचा कि राज्यपाल को कार्यवाहक का कार्य करना चाहिये । इससे चुनाव निष्पक्ष तथा सच्चे हो सकेंगे, तथा आंध्र के लोगों को यह निर्णय करने देना चाहिये कि वह किस प्रकार की सरकार चाहते हैं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आंध्र के लोग

[डा० काटजू]

किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। जहां तक न्याय तथा व्यवस्था कायम है और जहां तक मतदाताओं पर अनुचित दबाव नहीं डाला जाता, उस सीमा तक यह प्रजातन्त्रात्मक है।

श्रीमान् अन्त में मैं अपने आदरणीय मित्र की बात को लेता हूं—सम्भवतः वह मुझे अब अपना आदरणीय मित्र नहीं समझते हैं। कुछ गलत धारणा बन गई है। जो कुछ मैंने आरम्भ में कहा था मैं उस पर दृढ़ हूं, क्योंकि मैं उस सारी व्यवस्था को जिसका उपबन्ध आपने सावधानी के लिए किया है व्यर्थ समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है इस विधान मंडल से बाहर इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं है और मैं भी कभी यह विचार करता था कि यदि ऐसा कोई विधान है तो वह किसी भावना के वश होकर पारित कर दिया गया होगा। कल्पना कीजिये कि निर्वाचन में या निर्वाचन की तैयारी में कोई बात हो जाती है और राज्यपाल कहता है कि "मुझे कुछ इस प्रकार का विधान चाहिये"। वह विधेयक बना कर हमें भेज देता है। तब समिति से परामर्श लेना सर्वथा असम्भव होगा। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि पेप्सू में समिति की बैठक बुलाने के लिए दो मास की पूर्व-सूचना भी पर्याप्त नहीं थी। यदि हम कोई तिथि निश्चित कर देते थे तो वह माननीय सदस्यों के लिए सुविधाजनक नहीं होती थी। यद्यपि वे पटियाला के पास ही नाभा और अन्य स्थानों पर रहते थे परन्तु वे लिख भेजते थे कि यह तिथि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया इस तिथि को बदल दें। अब यदि आप सब कडलोर या करनूल में रह रहे हों तो बैठक बुलानी बहुत कठिन होगी। त्रिवेन्द्रम का कोई माननीय सदस्य भी समिति का सदस्य हो सकता है। वह कह सकता है कि "मुझे १० दिन की पूर्व-सूचना चाहिये, मैं आपके ही आदेश की प्रतीक्षा में नहीं रहता हूं।" इसी दृष्टिकोण से मैंने कहा था कि यहां आरम्भ में राष्ट्रपति का शासन केवल दो या तीन मास के लिए ही रहेगा इस लिये कोई परामर्शदात्री समिति नहीं होनी चाहिये। पैप्सू के विधेयक में भी मैंने स्वयं यह सुझाव रखा था। मैं कहता हूं कि आप इस बात के लिए कि विधेयक सब प्रकार से ठीक हो आप अपनी सात दिन की व्यवस्था पर निर्भर रहें। परन्तु माननीय सदस्यों ने यह विचार किया कि कुछ किया जाना चाहिये और इस लिये मैंने यह सुझाव दिया कि "हम इसे इस प्रकार कर लें।" मैंने सुझाव दिया कि जब इन अविलम्बनीय विधानों की आवश्यकता हो तो मैं समिति आदि जैसा कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहता हूं। समस्त आंध्र देश जानता है कि अध्यादेश क्या थे। वे सभी कुछ जानते हैं। उन्हें अधिनियमित कर दिया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा। सदस्य उन पर चर्चा करके उन्हें अनुमोदित कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं। जहां तक भविष्य में किये जाने वाले विधानिक कार्य का सम्बन्ध है, मुझे उस सम्बन्ध में बहुत संशय है। २४ दिसम्बर के पश्चात् यदि मैंने इसे व्यवहार्य समझा तो मैं परामर्शदात्री समिति की बैठक बुला सकता हूं तो मैं अवश्य बैठक बुलाऊंगा। यदि बैठक न बुलाई जा सकी और विषय तुरन्त महत्व का हुआ तब ऐसा नहीं किया जायेगा। अतएव इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धान्त अपनाया गया था। कोई गड़बड़ी करने के प्रयोजन से या श्री रघुरामैया को घबराहट में डालने के विचार से ऐसा नहीं किया गया था। ऐसा विचार नहीं था। मैंने बार बार कहा है कि यदि कोई समिति न भी हो तो मैं औपचारिक रूप से आपको अपने विचार भेज सकता हूं और आपके विचार

डाक द्वारा मंगवा सकता हूं। मैं आपको लिख सकता हूं कि, "अब यह सुझाव दिया गया है। आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं। क्या आप कृपया अपने विचार मुझे चार दिन में भेज सकते हैं?" मैं आपके विचार से बद्ध नहीं हूं। आप को जो आप चाहे कहने का अधिकार है। परन्तु प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देते समय हम आपकी राय का ध्यान रखेंगे। यदि आप यह कहें कि यह विषय संसद् के समक्ष आना चाहिये तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। जब राष्ट्रपति कार्य भार सम्भाल लें तो जैसा आप कह रहे हैं इसे एकतंत्र शासन नहीं कहा जा सकता है। जैसा मैंने बताया, पैप्सू में बजाये इसके कि पैप्सू की जनता राज्य का ध्यान रखती सारे भारत की जनता समग्र रूप से पैप्सू का ध्यान रख रही थी। आज सारे भारत की जनता ही आंध्र की परिस्थितियों को सुधारने, वहां की विधि तथा व्यवस्था और कल्याण के लिये उत्तरदायी है। इस बात को देखने के लिये कौन उत्तरदायी होगा कि आंध्र में शान्तिपूर्ण, नियमपूर्वक और पक्षपातहीन निर्वाचन हों? आंध्र की जनता नहीं, नहीं अमुक अमुक प्राधिकारी, वरन् सारे भारत की जनता जिनका प्रतिनिधित्व संसद् करती है इस कार्य को करेगी।

अतएव, श्रीमान् मैं प्रसन्न हूं कि विधेयक को सामान्यतः अनमोदित किया गया है और मैं अपने माननीय मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी से कहना चाहता हूं कि वह बहुत गलती पर है, यदि वह ऐसा समझते हैं कि जब कभी वह मेरे घर आते हैं तो वह एक दरबार में आते हैं तो वह सर्वथा गलती पर हैं। मैं श्री रघुरामैया को भी विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपने पुराने सिद्धान्त को नहीं छोड़ा है। हम यहां विरोधी दल के सदस्यों और सरकारी दल के सदस्यों के रूप में हैं। हमारे अपने अपने सिद्धान्त हैं परन्तु इन सिद्धान्तों के साथ ही हम परस्पर सहयोग करना चाहते हैं ताकि जो निश्चय यहां किये जायें वे यथासम्भव एकमत से किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--जारी

खंड ६१ से ६५ तक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अन्य खण्डों पर विचार करेगी। ६१ से ६५ तक के खण्डों पर विचार किया जायेगा। जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उनकी सूचना सचिव को दे दें। मैं उन्हें प्रस्तुत हुआ समझ लूंगा।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : श्रीमान्, एकऔचित्य प्रश्न है। पहले ३९ से ६० तक के खण्डों के लिये ३ घंटे नियत किये गये थे, परन्तु बाद में इन्हें १७ मिनट में पारित कर दिया गया। उन ३ घंटों का क्या हुआ? जिनके संशोधन थे उन्हें समय नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड ६१ से ६५ के सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ की जाये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए।]

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा--उत्तर पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व) : मैंने अपने संशोधन संख्या १२ की सूचना दी है। यह संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ के उपखण्ड (२) में से "अथवा उनका गलत उत्तर देकर" और "अथवा उत्तर" शब्दों के हटाने के सम्बन्ध में है। इस संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री को झूठी गवाही की प्रचलित बुराई के दूर करने का मौका मिले। माननीय सदस्यों को याद होगा

[श्री रघुवीर सहाय]

कि मौलिक विधेयक में माननीय गृह मंत्री ने यह उपबन्ध रखना चाहा था कि दंडाधिकारी अथवा न्यायाधीश को यह अधिकार होना चाहिए कि वह झूठी गवाही देने वाले को उसी समय दण्ड दे सकें । प्रवर समिति ने उस उपबन्ध में काफ़ी परिवर्तन कर दिया है और इस ोष को रहने दिया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२, उपखण्ड (२) के उपबन्धों की ओर ध्यान देने से पता चलता है है कि स्वयं कानून ही आज इस बुराई का उत्तरदायी है। उस में स्पष्ट रूप से यह रखा गया है कि अभियुक्त पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकता है, अथवा उसका झूठा उत्तर दे सकता है । एक ओर तो आप झूठी गवाही का दोष दूर करना चाहते हैं, और दूसरी ओर आप अभियुक्त को झूठी गवाही देने का कानूनी अधिकार देना चाहते हैं । ये दो वि ोधी बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं । भले ही अभियुक्त, प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दे, किन्तु यदि वह उत्तर देता है, तो वह सच ही होना चाहिए,चाहे उससे वह दोषी ही सिद्ध हो जाये ।

यह कहा जाता है कि यदि ये शब्द "कि वह गलत उत्तर दे सकता है" निकाल दिये जायें, तो लोगों के मस्तिष्क में यह शंका उत्पन्न हो जायेगी कि गलत उत्तर देने से अभियुक्त दूसरा अपराध करके अपने को दूसरे मामले में फांस लेगा । किन्तु यह तर्क निरर्थक है, क्योंकि उसका यह वक्तव्य शपथ-बद्ध नहीं है और इस प्रकार वह अपने को दण्ड का भागी नहीं बनाता ।

मैं आपका ध्यान एक और उपबन्ध की ओर आकर्षित करता हुं, जो इस संशोधित विधेयक में किया है । अभियुक्त को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह स्वयं साक्षी के कटघरे में जा सकता और अपनी गवाही दे सकता है । इस उपबन्ध का आशय मेरी समझ में सचाई को महत्व देना है । अभियुक्त के पटीक्षण, प्रति परीक्षण तथा पुनर्परीक्षण से न्यायालय को सच्ची बात जानने में सुविधा होगी । जब अभियुक्त को यह अधिकार दिया जा रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन शब्दों को क्यों रखा जाता है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अनेक पुरुषों ने झूठी गवाही के इस दोष के बारे में बहुत कुछ कहा है । इस सामाजिक दोष का हमें सब प्रकार से सामना करना है और उसका उन्मूलन करना है । विदेशों में सच्चे बयानों को बड़ा महत्व दिया जाता है । नुरेम्बर्ग में मुकद्दमों की कार्यवाहियों का अध्ययन करने पर मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभियुक्तों ने अपने बयान बड़े स्पष्ट रूप से दिये हैं । यही बात अपने देश में भी क्यों न पैदा की जाये ? अपने सारे जीवन में मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा, जबकि न्यायाधीश अथवा दंडाधिकारी ने किसी अभियुक्त अथवा गवाह की सच्चे बयान देने पर प्रशंसा की हो । भले ही अभियुक्त दंडित हो,परन्तु उस की सच्चाई को कुछ न कुछ महत्व अवश्य देना चाहिए । वस्तुतः हमें विधि के मूलभाव को ही पूरी तरह से नया रूप देना है । झूठी गवाही का यह दोष यत्र-तत्र दण्डों का उपबन्ध करने से समाप्त होने वाला नहीं है । मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे उपाय किये जायें जिससे सच्चाई को प्रोत्साहन मिले और न्यायालय में सच्चाई का वातावरण उत्पन्न हो जाये । कम-से-कम ये शब्द तो हटा ही दिये जायें ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण पूर्व): खण्डों के इस समूह में भी, अभियुक्त का अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार न्यायाधीश की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । इस तरह अभियुक्त को ही फंसा कर न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने का जो सिद्धान्त

इन खण्डों में रखा गया है, वह अत्यधिक शरारत भरा है । अभियुक्त जिस हालत में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उससे इस बात की शंका रहती है कि न्यायालय उसके विरुद्ध अपनी विचारधारा बना लेगा और यह प्रत्यक्ष मालूम होता है कि वह अपना निर्णय उसके विरोध में देगा । इस पक्षपात की निवृत्ति के लिये यह अत्यधिक आवश्यक है कि न्यायालय यह सोच कर अगली कार्यवाही करे कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है । यह सिद्धान्त यद्यपि इंग्लैण्ड से लिया गया है, परन्तु मान्य ह । धारा ३४२ में संशोधन करने वाला खण्ड ६१ इस मान्य सिद्धान्त की पूर्णरूपेण उपेक्षा करता है । इस नये संशोधन का उद्देश्य यह है कि न्यायालय परीक्षण तथा प्रति परीक्षण के द्वारा अभियुक्त से कुछ झूठी सच्ची बातें मनवा कर अभियोक्ता की सहायता करे । अभियुक्त, क्योंकि प्रक्रिया की प्रविधियों से अनभिज्ञ होते हैं, और उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि न्यायालय में क्या चल रहा है, अतः वे कभी कभी ऐसी बातें स्वीकार कर लेते हैं, जो कि पूर्ण रूपे से सत्य नहीं होतीं । मुझे इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के एक मामले का व्यक्तिगत अनुभव है । आसाम से एक निरुद्ध व्यक्ति बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायालय के समक्ष लाया गया । उसके खिलाफ यह आरोप था कि उसके पास एक ध्वंसात्मक पत्रक पाया गया । उच्चतम न्यायालय ने उससे प्रश्न पूछा :—"क्या तुम्हारे पास एक पत्र पाया गया ?" व्यक्ति ने उस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया और उसकी याचिका रद्द कर दी गई । बाद में मुझे यह मालूम हुआ कि वह पत्रक कार्मिक संघ से सम्बन्धित था । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह सोचा कि यदि उसके पास से कोई पत्रक बरामद हुआ है, तो निरोध ठीक ही होना चाहिए, जबकि व्यक्ति ने यह सोचा कि न्यायाधीशों का तात्पर्य साप्ताहिक पत्र से है तो उसने 'हां' कर दिया । ऐसी ही घटनायें बहुत से मामलों में होती हैं ।

द्वितीय तर्क इस निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में यह है कि हमारा संविधान इसके अधिनियमन की अनुमति नहीं देता । संविधान यह नहीं चाहता कि एक व्यक्ति को अपने खिलाफ़ ही प्रमाण देने के लिये बाध्य किया जाये । किन्तु यहां पर डा० काटजू चाहते हैं कि न्यायालय को परीक्षण तथा प्रति परीक्षण के द्वारा अभियुक्त को अपने खिलाफ ही सब कुछ कहने को बाध्य किया जाये । इन दोषों के निवारण के लिये संशोधन संख्या ६०९ प्रस्तुत किया गया है ।

अब मैं खण्ड ६३ तथा ६५ के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा । खण्ड ६३ स्थगन-सम्बन्धी धारा ३४४ में संशोधन करता है । नई उपधारा के शुरू में ही कहा गया है कि न्यायालय सारे मामलों की सुनवाई जल्दी करेगा । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम चाहते भी हैं कि मामले जल्दी निपटाये जायें । शीघ्रता के अभाव में वस्तुतः अभियुक्त को ही नुकसान होता है, अभियोक्ता को नहीं । असल में देखा जाये तो अभियोक्ता ही स्थगनों के जिम्मेवार होते हैं । कभी यह सोचकर कि अभी गवाह अच्छी तरह सिखाये नहीं गये हैं, वे उनको अनुपस्थित रखते हैं, और उसी आधार पर स्थगन के लिये कहते हैं । कभी कभी एक गवाह बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि उसके बारे में यह शंका रहती है कि प्रति परीक्षण के समय वह ठीक उत्तर नहीं दे सकेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि अभियोक्ता ही स्थगनों के लिये उत्तरदायी है । किन्तु डा० काटजू इन स्थगनों के विरोध में नहीं हैं,वे तो उस स्थगन के विरोध में हैं, जिसकी अपेक्षा अभियुक्त को हो सकती है । उन्होंने इस बात का उपबन्ध किया है कि जब गवाह उपस्थित हैं, तो जब तक उनका

[श्री साधन गुप्त]

परीक्षण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक स्थगन की कोई स्वीकृति नहीं दी जायेगी। व्यवहार सम्बन्धी मामलों में तो साक्ष्य सीमित होता है, परन्तु दण्ड सम्बन्धी मामले में ऐसी बात नहीं है। यह सम्भव है, कि साक्षी ही ऐसी कोई बात कह दे जो कि अभियुक्त के विरोध में हो। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि स्थगन की स्वीकृति न देना किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है। प्रत्येक मामले में स्थगन की स्वीकृति मिलनी ही चाहिए, यदि वह उचित आधारों पर मांगी गई है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रकार से न्याय का गला न घोंटे। यदि वे चाहते हैं कि प्रत्येक मामले की सुनवाई जल्दी हो, तो वे देरी के कारण तो दूर करें, परन्तु उसको अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिये अवसर न देकर न्याय का गला न घोंटें।

अभियुक्त के अधिकार पर दूसरा कुठाराघात खण्ड ६५ में किया गया है। वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा ३५० के अनुसार एक अभियुक्त कतिपय गवाहों को दुबारा बुला सकता है, जबकि एक नया दंडाधिकारी उस मामले का परीक्षण करता है। दुबारा परीक्षण क्यों होना चाहिये इसके कारण सरल हैं। एक दंडाधिकारी ने साक्ष्य को सुना और साक्षी का व्यवहार भी देखा है और वह चला जाता है—यह ठीक है कि आप उसके साक्ष्य को लिख सकते हैं, किन्तु पत्र से पढ़ कर आप उस प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते, जिस प्रकार कि आप साक्षी के साक्ष्य देते समय देख कर उसके सम्बन्ध में अनुमान अथवा विचार कर सकते हैं। पढ़ने में तो एक साक्ष्य सुन्दर हो सकता है किन्तु यह बातें देखना कि न्यायालय में साक्ष्य देते समय साक्षी कहां कहां रुकता है और किस समत घबराता है, इससे आप ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए अभियुक्त को यह अवसर दिया गया है कि वह साक्षी को दुबारा बुला कर नये दंडाधिकारी के सामने साक्ष्य दिलवा सकता है।

एक दूसरा कारण भी है। जैसा कि श्री टेकचन्द ने कहा है, बहुत से मुकद्दमों में दंडाधिकारी की धारणा बन जाती है। यदि एक दंडाधिकारी यह समझ ले कि अभियुक्त निर्दोष है तो हम लम्बी जिरह नहीं करते। नये दंडाधिकारी के विचार भिन्न हो सकते हैं। और उसके सामने हमें किसी दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है। नया दंडाधिकारी यह निर्णय नहीं कर सकता कि कब एक साक्षी को पुनः बलाया जाय। यह तो केवल अभियुक्त ही समझ सकता है। किन्तु माननीय गृह मंत्री ने यह उपबन्ध किया है कि साक्षी को बुलाने का ही निर्णय केवल दंडाधिकारी न करे, बल्कि वह यह भी निश्चित करे कि एक साक्षी पर कितनी जिरह की जा सकेगी। यह एक असाधारण बात है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हमने ६१४ और ६१५ संशोधन रखे हैं। ६१४ द्वारा हम पूरी जिरह की मांग करते हैं और ६१५ द्वारा अभियुक्त को यह अधिकार दिया जायेगा कि जब वह उचित समझे, एक साक्षी को दंडाधिकारी के सम्मुख परीक्षण के लिए बुला सकता है।

अब मैं खंड ६२ और ६३ के विषयों के बारे में कहूंगा। खंड ६२ के द्वारा अभियुक्त साक्षी के रूप में साक्षय दे सकेगा। किन्तु हमारा दल अभी यह शंका कर रहा है कि इस देश में यह उपबन्ध किस प्रकार चलेगा।

जब अधिक दंड के मुकद्दमे कार्यपालिका की भांति आचरण करने वाले न्यायालयों में जायेंगे, तो अभियुक्त पर दबाव डालकर यह लिखवा लिया जायेगा, अन्यथा उसे भय रहेगा कि कहीं दंडाधिकारी हम से रुष्ट न हो

जाये । हमारे पास इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण भी हैं । हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब अभियुक्त ने बार-बार अपने को निर्दोष कहा तो उस पर जुर्माना अधिक होता रहा । अतः इसदेश में धारा ३४२क के उपबन्ध सन्देहजनक विशेषाधिकार होंगे । उस खंड के सम्बन्ध में मेरा संशोधन केवल 'or' ('अथवा') शब्द के स्थान में 'and' ('तथा') शब्द के रखे जाने के बारे में ही है ।

मैं खंड ६४ के बारे में दो एक शब्द कहूंगा । गृह मंत्री ने धारा ३७९ के अन्तर्गत चोरी के अपराध को समझौते के योग्य बनाया है और इसी प्रकार धारा ३८१ के अन्तर्गत भी समझौता किया जा सकेगा । किन्तु हमारी प्रार्थना है कि इसी प्रकार धारा ३८० के अन्तर्गत भी ऐसा ही होना चाहिए । इसे न्यायालय के स्वविवेक तथा वांछनीयता पर छोड़ दिया जाये और जिस जिस मामले में न्यायालय चाहें समझौता हो जाये । हमने यह सुझाव संशोधन संख्या ६१२ में रखा है ।

५ म० प०

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा ५०९ के मामले समझने के योग्य न रखें जायें । धारा ५०९ किसी स्त्री का भोंडा अपमान करने और उसको अपमानित करने के सम्बन्ध में रखती है । यह मामला ब्रिटिश सरकार ने समझौते के योग्य बनाया था । हमें उनसे अधिक उन्नत आचरण का प्रदर्शन करना चाहिये । यह मामला सारे समाज का मामला है और ऐसे घृणित अपराध में समझौता नहीं होना चाहिये । मैं माननीय गृह मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ६१३ को स्वीकार किया जाये ।

मैं गृह मंत्री से पुनः प्रार्थना करता हूं कि संशोधन संख्या ६१२ को, जिसके द्वारा धारा ३८० के चोरी के अपराध समझौते योग्य बनाये जाने हैं और संशोधन संख्या ६१३ को जिसके द्वारा धारा ५०९ के अपराध समझौते योग्य न बना जायें, स्वीकार किया जाये ।

सभापति महोदय : अब खंड ६१ से ६५ पर संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे ।

खंड ६१

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७ में, पंक्तियां १२ से २१ हटा दी जायें ।

निम्न लिखित अन्य संशोधन प्रस्तुत किये गये :

श्री साधन गुप्त	संशोधन संख्या ६०९
श्री एम० एल० अग्रवाल जिला पीलीभींत व जिला बरेली पूर्व	संशोधन संख्या ९५
श्री रघुवीर सिंह	संशोधन संख्या १२
श्री वेंकटरामन	संशोधन संख्या ६२२

खंड ६२

श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा संशोधन संख्या ९४ और श्री साधन गुप्त द्वारा संशोधन संख्या ६१० प्रस्तुत किये गये ।

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७, पंक्ति ३७ और ३८ में, "adverted to or" ("की ओर निर्दिष्ट या") शब्द हटा दिये जायें ।

खंड ६३

श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या ६११ और पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने संशोधन संख्या ४८६ प्रस्तुत किये ।

खंड ६४

श्री एन० एस० जैन (जिला बिजनौर—दक्षिण) ने संशोधन संख्या ३०२ और श्री

साधन गुप्त ने संशोधन संख्या ६१२ प्रस्तुत किये

श्री वेंकटरामन् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १८, पंक्ति ३८ में, 'theft' (चोरी) के पश्चात् "where the value of the property stolen does not exceed one thousand rupees" (जहां चुराई गई सम्पत्ति का मल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो) ये शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ १८, पंक्ति ४१ में, "master" (स्वामी) शब्द के पश्चात "where the value of the property stolen does not exceed one thousand rupees" (जहां चुराई गई संम्पत्ति का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो) ये शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ १९, पंक्ति ४ में, "trust" (न्यास) शब्द के पश्चात "where the value of the property does not exceed one thousand rupees" (जहां संपत्ति का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो) ये शब्द जोड़े जायें ।

(४) पृष्ठ १९, पंक्ति ९ और १० में "wharfinger, etc." (घाट वाला, आदि) शब्दों के पश्चात "where the value of the property stolen does not exceed one thousand rupees" (जहां चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो) ये शब्द जोड़े जायें ।

(५) पृष्ठ १९, पंक्ति ११ में "servant" (सेवक) शब्द के पश्चात "where the value of the property does not exceed one thousand rupees" (जहां संपत्ति का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो) ये शब्द जोड़े जायें ।

श्री साधन गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २० में पंक्ति १५ से १९ को हटा दिया जाये ।

खंड ६५

श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या ६१४ और ६१५ प्रस्तुत किये ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा और राज्य-सभा की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के उस प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों का अनुमोदन करती है, जो सभा में २३ अगस्त, १९५४ को प्रस्तुत किया गया था ।"

इस प्रतिवेदन पर एकमत था और इसमें दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की सर्वसम्मति द्वारा निर्धारित निष्कर्ष हैं, तथा मैं उनके सर्वसम्मत निर्णय के अनुमोदन की सिफारिश करता हूं :

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : किस सम्बन्ध में ?

सभापति महोदय : दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में ,।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : ,मैं विषय जानना चाहता था ।

श्री ए० एम० थामस : यह श्री चटर्जी के मामले के बारें मैं है ।

सभापति महोदय : यह सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है ।

श्री वी० ो० नायर (चिरयिन्कील) : कृपया हमें बता दिया जाये कि यह किस विषय के बारे में है ।

डा० काटजू : मैं इसे संक्षेप में बताता हूं । एक प्रश्न उठा था कि यदि इस सभा का सदस्य दूसरी सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है अथवा इसी प्रकार से दूसरी सभा का कोई सदस्य इस सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिये इस पर दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों ने बैठ कर एकमत से एक प्रतिवेदन दिया है । वह प्रतिवेदन यह है कि यह बात उस सभा में उठाई जाये जो सभा शिकायत करे । यदि अध्यक्ष अथवा सभापति, जैसा भी प्रकरण हो, यह समझें कि उठाया गया प्रश्न सारवान है, और शिकायत प्रत्यक्षत: ठोस है, तब अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा वह शिकायत दूसरी सभा में भेजी जाये,और उस की प्राप्ति पर वह सभा इस प्रकार कार्यवाही करे, जैसे कि यह शिकायत उसके अपने सदस्य द्वारा ही विशेषाधिकार के उल्लंघन के बारे में है । वह इस पर कार्यवाही करके शीघ्र ही निश्चय करें, और उस निर्णय की सूचना दें । यदि खेद व्यक्त किया जाये, और तब उस क्षमा प्रार्थना को स्वीकार किया जाये और दोनों सभाओं को उसकी सूचना दी जाये कि यह एकमत द्वारा किया गया निर्णय था ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह प्रतिवेदन तो सभा में कई मास पूर्व दिया गया था ।

सभापति महोदय : यह २३ अगस्त १९५४ को परिचालित किया गया था ।

श्री वी० ो० नायर : तो इस औपचारिकता के लिए ४ मास का समय क्यों लगा ?

डा० काटजू : कभी कभी, गृह मंत्री धीमे से काम करते हैं । अवस्था यह है कि बाद में नियम समिति ने यह विचार किया कि इस निश्चय पर सभा का अनुमोदन होना चाहिये, और इसीलिये, यह सभा के समक्ष रखा गया है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक-सभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के उस प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों का अनुमोदन करती है, जो सभा में २३ अगस्त, १९५४ को प्रस्तुत किया गया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।